लोक सभा

बुधवार,
१ सितंम्बर, १९५४

वाद विवाद

(भाग १—प्रश्नोतर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit 1-4-92
Fumigated On 11.11.83
Parliament Library

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४ . . . स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ . . . ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ . . . ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ . . . १३९–१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . १८३–१८५

स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० — १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ — १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ — २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ — २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ — २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ — २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . . ३९५–४०६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . . ४०६–४२४

अंक ७— मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०४, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . . ४२५–४७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२ . . . . . ४७३–४८४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १५१ . . ४८४–४९८

अंक ८— बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . . ४९९–५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . . ५४५–५४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . . ५४८–५६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . . . ५६४–५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७ . . . ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०२, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१ . . . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९ . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न-संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३२, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३४, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५० ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . . ८१४-८३२

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . ८८८-८९८

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६, ७२८, ७२९, ७३४ से ७३६, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११ क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७	१२४३—१२८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ .	१२८६—१२९४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४[illegible]	१२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . .	१३१५—१३५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३२, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५	१३५९—१३७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ .	१३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९	१३९३—१४४२
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११	१४४२—१४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००१, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . .	१४४६—१४६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११	१४६२—१४७८

अंक २०— शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४८, १०४६ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७२ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . १४७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६१, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

अंक २१— सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७-१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७-१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१—१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१२ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या १२६२, १२७१, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

अंक २५:—शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४ . . . . . . १८८५—१९३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२ १९३३—१९३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४ १९३९—१९६०

लोक सभा

बुधवार, १ सितम्बर १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आयुर्वेदिक प्रणाली सम्बन्धी गवेषणा

*३३३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चिकित्सा की आयुर्वेदिक प्रणाली के सम्बन्ध में कोई गवेषणा की जा रही है; और

(ख) यदि ऐसा है तो वह किस प्रकार की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी हां ।

(ख) यथाउपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २४]**

श्री डी० सी० शर्मा : मैं ने सभा पटल पर रखे गये विवरण को आद्योपान्त पढ़ा है जिस में आरम्भ की गई अनेक परियोजनाओं की सूचना दी गई है । मैं जानना यह चाहूंगा कि क्या इन में से कोई परियोजना समाप्ति

पर है अथवा उन में से कुछ परियोजनायें कब तक पूरी होंगी ?

राजकुमारी अमृतकौर : गवेषणा के मामले में उस के पूरे होने का कोई टाइम टेबिल बता सकना बहुत कठिन है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या हैजे के अतिरिक्त जिस में गवेषणा की जा रही है, सामान्य व्यक्तियों में फैलने वाली बीमारियों तथा उन औषधियों के सम्बन्ध में भी कुछ गवेषणा कार्य किया जा रहा है जिन को सामान्य व्यक्ति प्रयोग में लाते हैं और जो साधारणतः गांवों और शहरों में वैद्यों द्वारा खाने के लिये बताई जाती हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : लोगों की साधारण बीमारियों के सम्बन्ध में अब गवेषणा की जा रही है । उदाहरण के लिये एनीमिया (रक्त की कमी) एक बड़ी साधारण बीमारी है इस कारण अनीमिया, आंख, कान, नाक तथा गले की बीमारियों के लिये आयुर्वेदिक औषधियों में गवेषणा की जा रही है, जिन का इन शिकायतों के होने पर प्रयोग करने से लाभ होगा ।

सेठ गोविन्द दास : जो अब तक इस सम्बन्ध में खोज हुई है, क्या उन में से कुछ दवाइयों का उपयोग भिन्न-भिन्न स्थानों पर हो रहा है जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : जी हां । यह खोज हो रही है, वहां पर जो मरीज आते हैं उन पर इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और उन का असर नोट किया जाता है । रिसर्च तो इसी तरह से होती है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या [चिकित्सा की आयुर्वेदिक एवं एल्लोपैथिक प्रणालियों में समान आधारों का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मैं प्रश्न का ठीक-ठीक तात्पर्य नहीं समझ सकी किन्तु इतना बताना चाहूंगी कि दोनों प्रणालियां इतनी भिन्न हैं कि मेरी राय में इन में समन्वय करना सम्भव नहीं है ।

दोमुहानी के निकट रेलवे लाइन का कट जाना

*३३५. **श्री बर्मन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोमुहानी (उत्तर-पूर्वी रेलवे) के निकट जून १९५४ में तीस्ता नदी के जल द्वारा कितनी दूर तक रेलवे लाइन कट गई है;

(ख) लाइन के संकट में आने की सूचना रेलवे को पहले-पहल कब प्राप्त हुई थी;

(ग) खतरे को दूर करने के लिये रेलवे द्वारा की गई कार्यवाहियां; और

(घ) लाइन के एक स्थान या अधिक स्थानों पर कट जाने के परिणामस्वरूप रेलवे सम्पत्ति, निजी लोगों की तथा खेती वाली भूमियों आदि की कितनी क्षति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) दोमुहानी के निकट एक बहुत बड़ा लगभग ३,५०० फुट लम्बा कटाव तथा २५०, १२० व ७० फुट लम्बे तीन और कटाव हो गये थे ।

(ख) तथा (ग). जुलाई १९५३ में तीस्ता नदी की एक नई धारा दोमुहानी के निकट रेलवे लाइन के किनारे किनारे बह निकली थी । पश्चिमी बंगाल सरकार को इस की जानकारी थी और उस से बाढ़ को रोकने वाले बांध की व्यवस्था करने के लिये निवेदन किया गया था । पहले वाले बांध को बनवाने का कार्य राज्य सरकार ने अपने ऊपर लिया था और इस कटाव से पूर्व उस का कुछ भाग बन कर तैयार भी हो गया था;

(घ) रेलवे सम्पत्ति की क्षति का अनुमान ४० हजार रुपया लगाया गया है । निजी लोगों तथा खेती की भूमियों को होने वाली क्षति का पता रेलवे को नहीं है ।

श्री बर्मन : क्या यह सच है कि इस भाग की रक्षा करने का दायित्व भार रेलवे तथा राज्य सरकार एक दूसरे पर डालने का प्रयत्न कर रहे थे और जिस के परिणामस्वरूप किसी भी सरकार ने समय के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं की थी ?

श्री शाहनवाज खां : रेलवे पर जितना उत्तरदायित्व था, उस ने सारा का सारा स्वीकार कर लिया था । बाढ़ को रोकने वाले बांधों की व्यवस्था करने का कार्य रेलवे का दायित्व रेलवे पर नहीं है वरन् राज्य सरकार पर इस का पूर्ण दायित्व है जिसने इस को पूर्णरूपेण स्वीकार कर अपना कार्य करना आरम्भ कर दिया था ।

श्री बर्मन : क्या यह सच नहीं है कि यह वही रेलवे लाइन थी जो तीस्ता से फूट कर बहने वाली नई धारा से हो कर निकलती थी और सामान्य बुद्धि के अनुसार दोमुहानी पर इस कटाव पर रोक लगा कर निजी सम्पत्ति में हुये नुकसान तथा क्षति को बचाने का कार्य सरकार को करना चाहिये था ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं तीस्ता नदी से हाल ही

में यह नई शाखा धारा के रूप में फूट गई थी; पहले से नहीं थी । यह मई या जून १९५३ में ऐसा हुआ था । यह नई उत्पन्न हुई स्थिति थी ।

श्री बर्मन : इस लाइन के कट जाने के परिणामस्वरूप, दोमुहानी से चंगड़ाबांधा वाली मुख्य लाइन भी कट गई है, जो पाकिस्तान की सीमा का अन्तिम स्टेशन है ? उस लाइन के कटाव को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? आगे वह क्या कार्यवाही करने वाली है ?

श्री शाहनवाज़ खां : हम कटावों को यथाशीघ्र बनवाने का विचार रखते हैं और उस के पश्चात् बाढ़ों को रोकने वाले बांधों को बनवाने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार से निवेदन करेंगे ।

उड्डयन तथा उत्प्लवन (ग्लाइडिंग) क्लब

*३३६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में १ जुलाई, १९५४ तक (१) सरकारी सहायता प्राप्त उड्डयन क्लबों तथा (२) उत्प्लवन क्लबों की संख्या क्या है;

(ख) १९५३–५४ में इन दोनों प्रकार के क्लबों को दी गई सरकारी सहायता की राशि क्या है; और

(ग) पिछले बारह मासों में कितने विमान चालकों को प्रशिक्षित किया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ११ उड्डयन क्लब तथा दो उत्प्लवन क्लब ।

(ख) उड्डयन क्लबों को ८·४७ लाख रुपया तथा उत्प्लवन क्लबों को ३०,००० रु० की सहायता दी गई थी ।

(ग) ३० जून, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में उड्डयन क्लबों ने १४४ 'ए' तथा ३० 'बी' विमान चालकों को तथा उत्प्लवन क्लबों ने १४२ उत्प्लवन चालकों को प्रशिक्षित किया ।

सरदार हुक्म सिंह : इन में से कितने लोगों को इन सेवाओं में काम दिया जा सकेगा ?

श्री राज बहादुर : ३० जून १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में ३० प्रशिक्षार्थियों को ख अनुज्ञप्तियां मिल चुकी हैं । इन को आवेदन पत्र देना होगा और एक बोर्ड द्वारा चुनाव के बाद इन्हें प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद में डकोटा अनुमोदन शिक्षा लेनी पड़ेगी । इस के बाद उन को काम दिया जा सकेगा ।

सरदार हुक्म सिंह : प्रतीसूक्षाची में विमान चालकों की संख्या कितनी है ?

श्री राज बहादुर : डकोटा अनुमोदन प्रशिक्षण के लिए कुल ९३ आवेदन पत्र आये । इस वर्ष हमें ४२ लोगों को चुनना है । शिक्षा की अवधि चार मास है और एक दल में १२ व्यक्ति रहेंगे; हम ६ व्यक्ति अतिरिक्त ले रहे हैं ।

श्री जी० एस० सिंह : क्या सरकार का विचार उड्डयन और उत्प्लवन की शिक्षा देने वाले क्लबों को, विशेषतः जो एक ही स्थान पर हैं, मिला देने का है ?

श्री राज बहादुर : हमारा विचार ऐसा नहीं है ।

राष्ट्रीय समुद्री य बोर्ड

*३३८. **श्री गिडवानी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार भारतीय मल्लाहों को विदेशी जहाजों के स्वामियों और उनके अभिकर्ताओं के दुर्व्यवहारों से बचाने के लिए क्या उपाय करने जा रही है;

(ख) भारतीय मल्लाहों के हितों की रक्षा, नौकरी की सुरक्षा, बीमारी, मृत्यु और

बोट आदि के बीमा के सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक क्या उपाय किये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने भारतीय मल्लाह संघ की इस मांग पर विचार किया है कि एक राष्ट्रीय समुद्रीय बोर्ड की स्थापना की जाय जो इन प्रश्नों पर विचार करे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) साधारण प्रकार से इस प्रकार की कोई शिकायतें नहीं आतीं। कुछ समय पूर्व कुछ ऐसी शिकायतें आई थीं। जब ऐसी शिकायतें आती हैं तो उन की जांच सम्बन्धित जहाज के स्वामी द्वारा कराई जाती है और क्षोभ को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही भी की जाती है।

(ख) विचार किया जाता है कि भारतीय मल्लाहों की सेवाओं की साधारण स्थिति में सुधार करने के लिए परमावश्यक उपाय यह है कि उन के भरती करने की प्रणाली का पुनर्संगठन किया जाय। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ग) हां। भारतीय मल्लाह संघ को सूचित कर दिया गया है कि उन की भरती करने की समस्या को सुलझा लेने के पश्चात उन के सुझाव पर उचित विचार किया जायेगा।

श्री गिडवानी : सरकार को इस प्रश्न पर विचार करने में कितना समय लगेगा ?

श्री अलगेशन : किस प्रश्न पर ?

श्री गिडवानी : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर से उत्पन्न एक राष्ट्रीय सामुद्रिक बोर्ड की स्थापना का प्रश्न।

श्री अलगेशन : मैं ने अपने उत्तर के भाग (ख) में कहा है कि मल्लाहों की भरती की प्रणाली को एक उचित आधार पर लाना परमावश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि इस काम में कितना समय लग जायेगा।

श्री अलगेशन : इस समय में समय बताने में असमर्थ हूं।

दिल्ली परिवहन सेवा

***३३९. श्री राधा रमण** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ और १९५३-५४ में दिल्ली परिवहन सेवा की सम्पूर्ण आय और व्यय क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) :

वर्ष	आय	व्यय
	लाख रु० में	लाख रु० में
१९५२-५३	७८·०५	७३·७७
१९५३-५४	८४·३४	८१·१७

श्री राधा रमण : क्या आप हमें यह बतायेंगे कि यह आय और व्यय गत दो वर्षों की आयव्यय की तुलना में कैसी है, दिल्ली यातायात सेवा में गत दो वर्षों में क्या पूंजी लगाई गई और वर्तमान वर्ष में कितनी पूंजी लगाने का प्रस्ताव है ?

श्री शाहनवाज खां : १९५२-५३ और १९५३-५४ में साधारणतया आय में वृद्धि हुई है।

दिये गये ऋणों की राशियां निम्न प्रकार हैं :

१९५०-५१	२० लाख रुपया
१९५१-५२	२० लाख रुपया
१९५२-५३	३५ लाख रुपया
१९५३-५४	४५ लाख रुपया।

श्री राधा रमण : और १९५४-५५ में कितना ?

श्री शाहनवाज खां : आशा की जाती है कि १९५४-५५ में यह राशि ८० लाख तक हो जायेगी।

श्री राधा रमण : इन वर्षों की आय में से कितने धन का उपयोग नयी बसों के क्रय और यात्रियों की सुविधाओं के लिए किया गया ?

श्री शाहनवाज खां : तुलनात्मक दृष्टि से शुद्ध आय ३ और ४ लाख के बीच में थी अतः नयी गाड़ियों के क्रय में उस में से अधिक का उपयोग नहीं किया जा सका । पर ऋणों का उपयोग नयी गाड़ियों के क्रय और यात्रियों की सुविधाओं के लिए किया गया ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पुरानी दिल्ली में ट्राम कार्स के बदले में नई बसेज चलाई जायेंगी, यदि हां, तो यह कब तक चालू हो जायेंगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी हां, तजवीज़ ऐसी है कि यह जो ट्रैमवेज़ हैं उन्हें हटा कर बसेज चलाई जायें और मैं उम्मीद करता हूं कि यह काम छः महीने के अन्दर हो जायेगा ।

श्री बर्मन : मैं यह जानना चाहता हूं कि बिगड़ी हुई पुरानी बसों के स्थान पर नयी बसों के खरीदने के लिए कितनी अवक्षयण राशि का हिसाब आप रखते हैं ताकि नयी बसों के क्रय में कठिनाई न हो ?

श्री शाहनवाज खां : १९५२-५३ में सुरक्षित अवक्षयण राशि ८·४२ लाख थी और १९५३-५४ में ९·३१ लाख है ।

गन्ना नस्ल सुधार केन्द्र कोयम्बटूर

*३४०. **श्री नानादास** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयम्बटूर के गन्ना नस्ल सुधार केन्द्र से परिचालित सुदृढ़ प्रकार के गन्ने की खेती के लिए कितने वर्ग एकड़ भूमि खेती के लिए तोड़ी गई है;

(ख) गन्ना की खेती में इन नई क़िस्मों के चालू करने से उपज में प्रति एकड़ कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) १ जुलाई, १९५४ तक कोयम्बटूर के गन्ना नस्ल सुधार केन्द्र पर कुल कितनी धन राशि व्यय हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कोयम्बटूर में परिचालित सुधारी हुई गन्ने की नस्ल की खेती अब सम्पूर्ण गन्ने की खेती के क्षेत्र के ९० प्रतिशत भूमि में होती है ।

(ख) लगभग ४ टन प्रति एकड़ ।

(ग) कोयम्बटूर संस्था १९१२ में स्थापित की गई थी और प्रारम्भ से अब तक कितना धन व्यय हुआ यह सूचना प्राप्त नहीं है । वर्तमान वर्ष में ३० जून, १९५४ तक कुल ७२,३५८ रुपये व्यय किये गये हैं जब कि आयव्ययक में इस वर्ष हेतु ६,५०,२०० रुपया स्वीकृत है ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि सुदृढ़ जाति के गन्ने को देश के विभिन्न प्रदेशों के कृषकों को किस प्रकार बांटा जाता है ?

श्री करमरकर : यह कोयम्बटूर संस्था से नहीं उत्पन्न होता । क्या यह ठीक है कि माननीय सदस्य विभिन्न राज्यों में गन्ने का मूल्य जानना चाहते हैं ?

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार गन्ने के पौधे देश के विभिन्न प्रदेशों के कृषकों के पास पहुंचाने के लिए किस कार्य प्रणाली का अनुसरण कर रही है ?

श्री करमरकर : मेरे पास संस्था से सम्बन्धित सूचना है । पौधे पहुंचाने के साधनों की सूचना मेरे पास नहीं है ।

मद्यार्क (टिंक्चर्स)

***३४१. श्री डाभी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तथा बम्बई सरकार के बीच विभिन्न प्रकार के मद्यार्कों के आयात और निर्यात के विनियमन हेतु विधि बनाने के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार चल रहा है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) और (ख). बम्बई सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सम्मुख सुझाव रखा है कि वह संविधान के अनुच्छेद ३०२ के अन्तर्गत मद्यसार से निर्मित औषधियों तथा शृंगार के प्रसाधनों की वस्तुओं के भारत के विदेशों के साथ तथा अन्तर्राज्य आयात निर्यात पर नियन्त्रण रखने के लिए विधान निर्मित करे ।

श्री डाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में निश्चय करने में लगभग कितना समय लग जायेगा ?

राजकुमारी अमृतकौर : जब बम्बई सरकार ने बताया कि उसे कठिनाई हो रही है तो हम ने उस से एक प्रारूप विधान और सुझाव मांगा । प्रारूप विधान को हम ने सभी राज्यों के पास भेजा । उन के उत्तरों की प्रतीक्षा करनी पड़ी उन के उत्तरों के आ जाने के पश्चात् हमने उन्हें बम्बई भेज दिया । तब बम्बई सरकार ने कहा "हमें चाहते हैं कि केन्द्रीय विधान बने" । अब सभी सम्बन्धित मंत्रालय इस विषय पर विचार कर रहे हैं ।

श्री बोगावत : क्या सरकार बम्बई में पीने के काम में लाये जाने वाले मद्यार्क की अधिकता से विज्ञ है ?

राजकुमारी अमृतकौर : स्वभावतः, जब बम्बई सरकार ने मामले को हमारे सम्मुख उपस्थित किया है तो उस के बारे में हमें पूरी पूरी जानकारी है ।

ट्रैक्टर का प्रयोग

***३४२. श्री एस० सी० सिंघल :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में ट्रैक्टरों के प्रयोग की वृद्धि हुई है या कमी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : १९५१ की गणना के अनुसार देश में ८,२९० ट्रैक्टर प्रयोग में लाये जा रहे थे । उस के बाद कोई गणना नहीं की गई पर कृषि के अतिरिक्त जमीन खोदने, सड़क बनाने और मिट्टी निकालने के काम में भी ट्रैक्टरों का बड़ी संख्या में प्रयोग हो रहा है अतः देश में प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टरों की संख्या में निश्चय वृद्धि हुई होगी । गत ३ वर्षों में ट्रैक्टरों के आयात की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	संख्या
१९५१–५२	७,१४८
१९५२–५३	१,२२७
१९५३–५४	३,१९५

श्री एस० सी० सिंघल : केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश की सरकारों को ट्रैक्टर्स दे रखे थे । उन के आंकड़े दो साल पहले क्या थे और अब क्या हैं ?

श्री करमरकर : मेरे पास हर एक राज्य के पास कितने ट्रैक्टर हैं इस की कोई अलग अलग संख्या नहीं है ।

श्री एस० सी० सिंघल : स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए कोई कारखाना है या नहीं ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न के लिए मैं पूर्व सूचना की अपेक्षा करता हूं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सत्य है कि जो ट्रैक्टर्स अभी चलाये जा रहे हैं वह

अतिरिक्त हिस्से न मिलने के कारण बहुत बार बेकार हो जाते हैं। और आज कल भी बहुत जगहों पर इस तरह के ट्रैक्टर्स बेकार पड़े हुये हैं ?

श्री करमरकर : हम ने सुना है कि यह बात अंशतः सत्य है और इस के बारे में एक कमेटी बैठ रही है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ट्रैक्टरों के अधिक प्रयोग को सुलभ बनाने के लिए उस के भाड़े पर उठाने की दर में कमी करने का विचार कर रही है ?

श्री करमरकर : इस विषय में मुझे कोई वर्तमान सूचना नहीं है।

कलकत्ता में पोत-घाट मजदूर

***३४३. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में पोतों में माल लादने तथा उतारने वाले मज़दूरों की "धीरे धीरे काम करो" की चालों का परिणाम यह हुआ है कि कुछ पोत, जो उस पत्तन पर पहुंचने थे, देश के अन्य पत्तनों को भेजे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने पोत और किन पत्तनों को भेजे गये हैं; और

(ग) अब "धीरे धीरे काम करो" चाल की क्या स्थिति है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस बात का सरकार को कोई बोध नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) आजकल कलकत्ता पत्तन पर माल लादने व उतारने वाले मज़दूरों की नीति "धीरे धीरे काम करो" की नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने कहा है कि कलकत्ता पत्तन पर माल लादने व उतारने वाले मज़दूरों की नीति आजकल "धीरे धीरे काम करो" की नहीं है। परन्तु भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में उन्हों ने कहा था कि सरकार को इस तथ्य का बोध नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह यह कैसे कह सकते हैं।

श्री अलगेशन : इस प्रश्न के उत्तर में, कि कलत्ता पत्तन से पोत अन्य पत्तनों को भेजे गये हैं या नहीं, मैं ने कहा था "नहीं"। वहां "धीरे धीरे काम करो" की कुछ चालें अपनाई गई थीं, परन्तु उन का उन्हों ने परित्याग कर दिया है और मज़दूरों ने सामान्य कार्य करना पुनः आरम्भ कर दिया है।

डा० राम सुभग सिंह : ये चालें मज़दूरों ने किस पत्तन पर अपनाई थीं ?

श्री अलगेशन : कलकत्ता पत्तन पर।

डा० राम सुभग सिंह : इन चालों में पोत-घाट के कुल मज़दूरों के कितने प्रतिशत मज़दूरों ने भाग लिया था, और उन्हों ने "धीरे धीरे काम करो" की ये चालें कब अपनाई थीं।

श्री अलगेशन : बात यह नहीं है कि पोत-घाट के सारे मज़दूरों ने "धीरे धीरे काम करो" के इस ढंग को अपनाया था। यह केवल माल लादने व उतारने वाले मज़दूरों ने अपनाया था। तब परिवहन मंत्रालय में एक बैठक बुलाई गई जिस में पोत-स्वामियों तथा नौवहन समवायों, माल उतारने व लादने वाले मज़दूरों की संस्थाओं तथा मज़दूर संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बैठक में यह समझौता हुआ था कि मज़दूर "धीरे धीरे काम करो" के इस ढंग का परित्याग कर देंगे, और कुछ अन्य बातों को भी कार्यान्वित करना स्वीकार किया गया था।

डा० राम सुभग सिंह : उस पत्तन पर माल लादने व उतारने वाले कुल कितने मजदूर हैं ? माल लादने व उतारने के काम के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों ने इन मजदूरों को उस समूह से किस आधार पर लिया था ? क्या पोत-घाट मजदूर बोर्ड के उद्घाटन के पश्चात् यह निश्चय नहीं हुआ था कि सारे मजदूरों का एक समूह होगा और माल लादने व उतारने वाले मजदूरों की नियुक्तियां ज्येष्ठता के आधार पर होंगी ? इन मजदूरों की नियुक्ति का आधार क्या था और उन की वर्तमान. . ..

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत लम्बा और बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न है । यह विशेष घटना किस तारीख को हुई थी ?

श्री अलगेशन : यह बैठक अप्रैल में आरम्भ हुई ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि हमारे लिये यह उत्तम होगा कि हम इस प्रश्न पर समय लगाने की बजाय आगला प्रश्न लें ।

राष्ट्रीय बचत टिकट

*३४५. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न मूल्यों के जो राष्ट्रीय बचत टिकट जारी किये थे उन से सरकार को कितना धन प्राप्त हुआ;

(ख) इन टिकटों को किन राज्यों ने लिया है;

(ग) ३० जुलाई, १९५४ तक कितने मूल्य के टिकट बिके; और

(घ) क्या इन टिकटों को समान मूल्य के राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों से बदला जा सकेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) राष्ट्रीय बचत टिकट डाकघरों में लेखन सामग्री के रूप में बेचे जाते हैं और डाक घरों में विक्रय का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(ख) सारे राज्यों में सब डाक घरों के पास टिकट होते हैं ।

(ग) उपरोक्त (क) की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) हां, ५ रु० और १० रु० के प्रमाण-पत्रों का क्रय समान मूल्य के टिकटों से हो सकेगा ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि देहातों में नेशनल सेविंग्स स्टाम्प्स को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें उसी कीमत में नेशनल सेविंग्स सर्टी-फिकेट्स से बदलने के लिए क्या क्या कार्रवाई की गयी है ?

श्री राज बहादुर : पहले नेशनल सेविंग्स स्टाम्प्स केवल उन डाकखानों में मिलते थे जहां कि सेविंग्स बैंक का काम भी चलता था । अब देहातों में भी यह आसानी से मिल सकें इसलिये अब यह किया गया है कि हर एक डाकखाने में बिला लिहाज़ इस के कि वहां सेविंग्स बैंक का काम होता है या नहीं इन स्टाम्प्स के मिलने की सुविधा कर दी गयी है और साथ ही जो सर्टीफिकेट्स दिये जाते हैं उन के मिलने की भी सुविधा है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि किस पोस्टल सर्किल में अब तक इस सम्बन्ध में सब से अधिक सफलता मिली है ।

श्री राज बहादुर : जैसा मैं ने बताया इन का कोई अलग हिसाब नहीं रखा जाता । कायदा यह है कि खजाने से हैड पोस्ट आफिसेज़ स्टाम्प्स खरीद लेते हैं, आन पेमेंट, और फिर सब आफिसेज़ और ब्रांच आफिसेज़ को देते हैं ।

इन डाकखानों में जैसे और स्टाम्प मिलते हैं वैसे ही ये स्टाम्प भी मिलते हैं ।

दानेदार चीनी

***३४७. श्री आर० एन० सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० मई, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में दानेदार चीनी कुटीर उद्योग के आधार पर तैयार की जा रही है; और

(ख) दानेदार चीनी के निर्माण में काम में लाई जाने वाली मशीन का मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) उत्तर प्रदेश, बिहार और हैदराबाद ।

(ख) दानेदार चीनी की मशीन का मूल्य उस की कार्यक्षमता पर निर्भर है । ६० मन चीनी प्रति दिन तैयार करने वाली मशीन का मूल्य लगभग ५०० रु० है ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस मशीन से गन्ने से चीनी बनाने में चीनी का कितना परसेंटेज आता है ।

श्री करमरकर : मुझे नोटिस चाहिए ।

श्री आर० एन० सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि यह मशीन कहां पर मिल सकेगी ?

श्री करमरकर : आप यू० पी० गवर्नमेंट के पास तलाश कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : अग्रेतर प्रश्न पंडित डी० एन० तिवारी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : ३४८ ?

रलवे तथा परिवहन मंत्री क सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : प्रश्न ३४८ तथा ३५८ एक ही हैं । क्या मैं उन का एक साथ उत्तर दे सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ३५८, श्री विश्वनाथ राय का है । हां ।

रेलों में अपराध

***३४८. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५ जून, १९५४ को ३१२ डाउन (उत्तरपूर्व रेलवे) रेल के एक डिब्बे में सराय तथा भगवानपुर के स्टेशनों के बीच सशस्त्र डाका पड़ा था;

(ख) क्या कोई व्यक्ति पकड़ा गया था; और

(ग) सरकारी सम्पत्ति को कितनी हानि हुई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) डाक डालने वालों ने जो २७ डाक के थैले खोले थे, उन में से एक पार्सल जिस में ३५ रु० के मूल्य की एक घड़ी थी और दूसरा जिस में ५ रु० का सरकारी चलार्थ-नोट था चोरी गये ।

उत्तर पूर्व रेलवे पर डाके

***३५८. श्री विश्वनाथ राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले जून के प्रथम सप्ताह में सशस्त्र लोगों ने उत्तर पूर्व रेलवे की लखनऊ काटीहर यात्री रेल में डाक के थैलों को, जिन में बीमा हुये लिफाफे थे, लूटा था; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे डाक सेवा के किसी कर्मचारी को सशस्त्र डाकुओं ने गहरी चोट पहुंचाई थी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां ।

(ख) रेलवे डाक सेवा के कर्मचारी को चाकू से घायल किया गया था। वह ५-६-१९५४ को अस्पताल में प्रविष्ट कराया गया था और ११-६-१९५४ को ठीक होने के उपरान्त वह वहां से वापस आ गया।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या उस रेल में कोई रेलवे रक्षा पुलिस चल रही थी ?

श्री शाहनवाज खां : उस समय रेल में रेलवे रक्षा पुलिस का कोई व्यक्ति न था।

पंडित डी० एन० तिवारी : प्रत्येक यात्री गाड़ी में रेलवे रक्षा पुलिस चलती है या नहीं ?

श्री शाहनवाज खां : नहीं। हमारे पास रेलवे रक्षा पुलिस में इतने व्यक्ति नहीं हैं। केवल बहुत महत्वपूर्ण यात्री रेलों, डाक गाड़ियों और महत्वपूण सामान ले जाने वाली मालगाड़ियों में रक्षा पुलिस चलती है।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार को इस बात की कोई सूचना मिली है कि डकैती में किसी राजनीतिक दल का किसी रूप में कोई हाथ था ?

श्री शाहनवाज खां : सरकार को ऐसी किसी बात का पता नहीं लगा है।

अधिक अन्न उपजाओ योजनाएं

***३४९ ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न की सन्तोषजनक स्थिति होने की दृष्टि से, सरकार देश में 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' और राज्यों को अधिक अनुदान व सहायता देना कब बन्द करेगी;

(ख) अगस्त, १९५४ तक केन्द्रीय सरकार ने इस आन्दोलन पर कितना रुपया व्यय किया है; और

(ग) आजकल कितने राज्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं और कितने राज्यों को अब भी सहायता की आवश्यकता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अब अधिक अन्न उपजाओ योजनायें, प्रथम पंच वर्षीय योजना के अधीन विभिन्न राज्यों की विकास-योजनाओं का काम बन गई हैं। इस तरह, अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को समाप्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ख) १९४३-४४ से १९५२-५३ तक, दोनों वर्षों को मिलाकर, केन्द्रीय सरकार ने लगभग ५४·३४ करोड़ रुपये व्यय किये। बाद के वर्षों में हुये वास्तविक व्यय के आंकड़े अभी तक प्राप्य नहीं हैं।

(ग) १९ राज्य ऐसे हैं जो खाद्यान्न में या तो आत्म निर्भर हैं और या आधिक्य वाले हैं। फिर भी, अन्य ९ राज्यों को अब भी सहायता की आवश्यकता है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : इस काल में जम्मू तथा काश्मीर राज्य को कितना धन दिया गया ?

श्री करमरकर : मेरे कथन में शोधन हो सकता है, हम उन्हें दो वर्ष के लिए २० लाख रुपये दे रहे हैं। मैं कह चुका हूं कि इस में शोधन हो सकता है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि कुछ राज्य आधिक्य वाले हैं और कुछ अभाव वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आधिक्य वाले राज्यों में आधिक्य कितना है और अभाव वाले राज्यों में अभाव कितना है ?

श्री करमरकर : आधिक्य वाले राज्यों में थोड़ा सा आधिक्य है और अभाव वाले राज्यों में, उदाहरणार्थ, बम्बई बहुत अभाव वाला राज्य है और अन्य थोड़े अभाव वाले हैं। श्रीमान्, यह स्पष्ट है कि प्रश्न का यह उत्तर संतोषजनक नहीं है।

श्री टी० एन० सिंह : माननीय मंत्री ने बताया है कि अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन विकास की तथा सामुदायिक परियोज-

नाओं आदि की अन्य योजनाओं में मिल गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या विकास खंडों तथा सामुदायिक विस्तार खंडों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अधिक अन्न उपजाओ कार्य के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : मैं ने विकास खंडों और सामुदायिक विस्तार क्षेत्रों का उल्लेख नहीं किया है । मैं ने कहा था कि यह सारे देश के लिए पंच वर्षीय योजना का एक भाग है । अब यह कार्य अलग नहीं किया जाता है जैसा कि यह पंच वर्षीय योजना के बनने से पहले किया जाता था ।

दीवान राघवेन्द्र राव : क्या सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश दिये हैं कि ऐसे अनुदानों का उन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाय जहां सामुदायिक परियोजनाओं के कोई विकास खंड नहीं हैं ?

श्री करमरकर : मैं एकदम यही कह सकता हूं कि ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है । ये विकास परियोजनायें भिन्न हैं और इन का अपना आधार है । ये परियोजनायें बनाई जाती हैं तथा भारत सरकार को भेजी जाती हैं और उन्हें उन क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है जिन के लिए धन दिया गया हो ।

श्री डाभी : १९४९–५० से आज तक के वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कितने अन्न का उत्पादन हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट है कि वह इस की पूर्व सूचना चाहेंगे ।

श्री करमरकर : हां, श्रीमान् ।

श्रमजीवी पत्रकार

*३५०. **श्री एम० एल० द्विवदी** : क्या श्रम मंत्री २९ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले 'श्रमजीवियों' की श्रेणी में श्रमजीवी पत्रकारों को सम्मिलित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक के पुरःस्थापन के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : यह विषय अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि कलकत्ते के जो नवभारत और दूसरे अखबार बन्द हो गये थे और उस में कुछ पत्रकार संजीवी काम से अलग हो गये थे, जिन को सहायता देने का सरकार ने वायदा किया था, उन को इस सम्बन्ध में क्या सहायता दी गयी है ?

श्री आबिद अली : इस सवाल का उस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है जो कि मैम्बर साहब ने पूछा है । अगर वह दूसरा सवाल पेश करेंगे तो मैं उस का जवाब दूंगा ।

श्री साधन गुप्त : यह मामला कब तक विचाराधीन रहेगा और क्या इस पर शीघ्र ही विचार करने की सरकार की कोई नीति है ?

श्री आबिद अली : जी हां, सरकार की नीति इस पर शीघ्र ही विचार करने की है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता था कि क्या प्रेस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही इस सम्बन्ध में बिल बनाया जायेगा, और यदि हां, तो इस पर विचार हो जाने की कब तक आशा की जाती है ?

श्री आबिद अली : खास तौर से तो वर्कमैन की डेफ़ीनीशन का सवाल है । जब हम दूसरा अमेंडिंग बिल लायेंगे तो उस में वर्कमैन की डेफीनीशन बदलने का खयाल तो है ही ।

प्रशिक्षण संस्थायें और केन्द्र

*३५२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ में श्रम मंत्रालय के अधीन चालू प्रशिक्षण संस्थाओं और केन्द्रों में कुल कितने प्रशिक्षणार्थी थे;

(ख) यदि उन प्रशिक्षणार्थियों में ग्राम जनता से लिये गये विद्यार्थियों की कुछ प्रतिशतता थी, तो वह कितनी थी;

(ग) क्या सरकार इन संस्थाओं को ग्राम जनता के लिये खोल देने का और इन्हें शिल्पिक स्कूलों में परिवर्तित करने का विचार करती है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ६,५८२ ।

(ख) सारे प्रशिक्षणार्थी ग्राम जनता के वयस्क नागरिकों में से भर्ती किये जाते हैं।

(ग) ये संस्थायें ग्राम जनता के लिये खुली हुई हैं। सरकार इन को शिल्पिक स्कूलों में परिवर्तित करने का विचार नहीं करती है।

(घ) जिस प्रकार के प्रशिक्षण का विचार है, वह संतोषजनक रूप से केवल प्रशिक्षण संस्थाओं और केन्द्रों में ही दिया जा सकता है, शिल्पिक स्कूलों में नहीं ।

श्री के० सी० सोधिया : १९५३–५४ में केन्द्रों की कुल संख्या कितनी थी ?

श्री आबिद अली : लगभग ५६ ।

श्री के० सी० सोधिया : उन पर कुल कितना व्यय हुआ था ?

श्री आबिद अली : लगभग ६० लाख रुपये ।

दिल्ली मे स्थानीय निकाय

***३५३. श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की नगरपालिका और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के शासन सम्बन्धी समस्त अधिकार केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली राज्य सरकार से ले लिये हैं, और यह कि भविष्य में इन स्थानीय निकायों पर दिल्ली राज्य सरकार का कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं रहेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दरभंगा की डकोटा दुर्घटना

***३५५. श्री भागवत झा आजाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३० अप्रैल, १९५४ को डमडम हवाई अड्डे के दक्षिण छोर पर दरभंगा उड्डयन के डकोटा के टकराने की दुर्घटना की जो जांच की गई थी, उस का प्रतिवेदन दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डमडम हवाई अड्डे के निकट ३० अप्रैल, १९५४ को दरभंगा उड्डयन के डकोटा की दुर्घटना के जांच न्यायालय के प्रतिवेदन की एक प्रति मैं पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस २७५/५४]**

(ख) उस न्यायालय के अनुसार दुर्घटना के संभव कारण निम्न थे :—

(क) पोर्टइंजिन के खराब हो जाने के बाद 'फेदरिंग' में विलम्ब (आयात प्रक्रियाओं में चालक को अनुभव न होने के कारण) जिस के फलस्वरूप ऊंचाई कम हो गई,

(ख) बाद में गियर' और 'फ्लैप्स' दोनों ही को उठाये हुए, एकल इंजिन के लिये सिफारिश की गई ऊपर उठने की रफ्तार की दर से कम पर अगले भाग ऊपर किये हुए ऊपर उठने का प्रयत्न (रुकावटों से बचने के लिये), और

(ग) विमान की रफ्तार का धीरे धीरे कम होना, जिस के परिणामस्वरूप अन्त में विमान एक नारियल के पेड़ पर अटक गया ।

श्री भागवत झा आजाद : जो पुस्तक हम लोगों को दी गई है, उस से पता चलता है कि न्यायालय ने यह विचार प्रकट किया है कि अननुसूचित एयर लाइनों पर दशा बहुत बुरी है । किन बातों को सोच कर सरकार ने अननुसूचित एयर लाइनों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य किन विचारों के प्रति निर्देश कर रहे हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं प्रतिवेदन के पृष्ठ १३, पैराग्राफ १८ के प्रति निर्देश कर रहा हूं, जिस में न्यायालय ने कहा है कि विमान में 'कॉक पिट' जांच सूचियां, आपात सूचियां कुछ भी उपलब्ध नहीं था, और यह कि यातायात कर्मचारी प्रबन्धक को सामान के चढ़ाये जाने और उतारे जाने आदि के विषय में कुछ भी नहीं मालूम था ।

श्री राज बहादुर : यह तो एक प्रकार का सामान्य विचार है; न्यायालय ने केवल यह कहा है कि उन को तुरन्त प्राप्त करना और उन का उचित उपयोग करना चाहिए, तथा उन का उचित उपयोग भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

श्री भागवत झा आजाद उठे—

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति । जांच का कारण तो यह है कि क्या राष्ट्रीयकरण के बाद से स्थिति में कोई सुधार हुआ है ? जांच का यही कारण है ।

श्री राज बहादुर : वास्तव में बात तो यह है कि न्यायालय ने अपने प्रतिवेदन को कई विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया है। मुख्य प्रासंगिक भाग वे हैं जिन में निर्णय, सिपारिशें, तथा सम्मतियां दी हैं । यह निर्णय उन में से नहीं है कि ये पत्र प्राप्य नहीं थे । इसलिए सुधार का प्रश्न ही नहीं उठता ।

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जहां तक अनुसूचित एयर लाइनों की बात है उन के विमानों की देखभाल तथा अनुज्ञप्ति सम्बन्धी शर्तों के बारे में हम कड़ा नियंत्रण कर रहे हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : हालांकि उत्तर स्पष्ट नहीं है तो भी मैं पूछ सकता हूं कि क्या इस न्यायालय द्वारा की गई सिपारिशें अब लागू कर दी गईं हैं, और इन अननुसूचित एयर लाइनों पर इस प्रकार की दुर्घटनाओं को, जो कि व्यक्तियों की मृत्यु का कारण होती हैं, रोकने के लिए जो शर्तें लगाई गयी हैं वे क्या हैं ?

श्री जगजीवन राम : नई शर्तें लागू नहीं की जायेंगी । अननुसूचित एयर लाइनों की अनुज्ञप्ति जारी करने वाली शर्तों में इन सभी बातों की देख भाल की जाती है—कि उन्हें अपने यहां इंजीनियरिंग कारखानों की उचित व्यवस्था करनी होगी, उस सभी सामान की जांच करनी होगी जिसे कि वे ले जाते हैं, तथा उन्हें अपने यहां नागरिक उड्डयन महानिदेशक द्वारा जारी किये गये अनुज्ञप्ति प्राप्त एवं योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ रखने होंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच नहीं है कि ये अननुसूचित एयर लाइन, राष्ट्रीयकरण के बाद, अपने कर्मचारियों को निकालने की धमकी दे रही हैं, तथा कुछ अच्छे पदाधिकारियों की, जो इन कामों के विशेषज्ञ हैं, छंटनी कर दी गई है? इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री राज बहादुर : अननुसूचित एयर लाइन तो अपनी आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती करती हैं । ऐसा होते हुए भी जब कभी इन समवायों का कोई भी कर्मचारी हमारे पास आया तो हम ने सदैव

ही उन की सहायता करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया है, और साथ ही यह भी प्रयत्न किया है कि ये अननुसूचित एयर लाइन भी सफलतापूर्वक कार्य करे ।

श्री भागवत झा आज़ाद : मेरा प्रश्न यह नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री गुरुपादस्वामी ।

रेलवे पदाधिकारी

***३५६. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलों में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों के विभेदों को समाप्त करने के लिए कोई निर्णय किया गया है; तथा

(ख) क्या यह सच है कि जिन पदों पर इन दो श्रेणी की सेवाओं वाले व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है, उन के दायित्व एक से हैं, तथा उन पदों पर प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी समान रूप में नियुक्त किये जा सकते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी जब वे कनिष्ठ वेतन स्तर में काम करते हैं तथा द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी, विभिन्न श्रेणी के होते हुए भी, सहायक पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाते हैं। किन्तु द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों द्वारा की गई कुछ प्रार्थनाओं की पूर्ति कर दी गई है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों की संख्या क्या है ?

श्री अलगेशन : ठीक आंकड़े देने में तो मैं असमर्थ हूं । हो सकता है कि उन की संख्या ५०० और ६०० के बीच हो ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यह विभेद करने तथा उसे स्थायी बनाने के क्या कारण हैं ?

श्री अलगेशन : यह विभेद पहले से ही किया गया था और तभी से चला आ रहा है । कई अवसरों पर इस प्रश्न के बारे में विचार किया गया है कि क्या द्वितीय श्रेणी की सेवा को समाप्त करना वांछनीय है; किन्तु अच्छी तरह जांच करने के पश्चात् द्वितीय श्रेणी की सेवाओं को बनाये रखने का निश्चय हुआ है; तथा प्रथम श्रेणी के लिए प्रत्यक्ष भर्ती करने का भी तै हुआ है ताकि उच्च प्रशासनीय पदों पर नवयुवक व्यक्ति रहें ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या हम जान सकते हैं कि द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों के बीच इस विभेद को समाप्त करने के लिए सरकार निकट भविष्य में कोई निर्णय करेगी ? क्या हमें कोई संभावित समय जब कि इसे समाप्त किया जायगा, बताया जा सकता है ?

श्री अलगेशन : मैं ने अभी बताया था कि हमारा विचार द्वितीय श्रेणी की सेवाओं को बनाये रखने का है तथा प्रथम श्रेणी की सेवाओं के लिए प्रत्यक्ष भर्ती करने का है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि कुंजरू कमेटी तथा ऐपिलबी कमेटी ने अपनी अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि क्लास एक और क्लास दो के बीच में जो विभिन्नता है और उस विभिन्नता के कारण जो मन मुटाव हो रहा है उसे दूर करने के लिए कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अलगेशन : जैसा कि मैं ने कहा था कि हम ने द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों की

मांगों तथा प्रार्थनाओं पर विचार किया है और निम्न लिखित कार्यवाही की गई है :—

द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों की स्थायी पदोन्नति का कोटा १ अप्रैल १९५३ से २५ प्रतिशत से बढ़ा कर ३३-१/३ प्रतिशत कर दिया गया है।

द्वितीय श्रेणी के वे पदाधिकारी जो पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से वरिष्ठ वेतन स्तर पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे हैं, उन को द्वितीय श्रेणी में प्रतिवर्तित किये बिना उन्हें स्थानापन्न के रूप में ज्यों का त्यों बने रहने दिया है।

द्वितीय श्रेणी के वे पदाधिकारी जिन की अवस्था ५० वर्ष से अधिक हो चुकी है और जो पहले द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी की स्थायी पदोन्नति के पात्र नहीं थे, अब वे इस प्रकार की पदोन्नति के पात्र बना दिये गये हैं आदि आदि।

सरदार ए० एस० सहगल : एक प्रश्न और।

अध्यक्ष महोदय : अब में अगला प्रश्न ले रहा हूं।

समुद्र में गंदगी

*३५९. **श्री रघनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई १९५४ में तेल द्वारा समुद्र में फैलने वाली गन्दगी के बारे में लन्दन में हुए सम्मेलन में भारत ने प्रतिनिधि भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या क्या निर्णय हुए ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण पटल पर रखा गया है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार सम्मेलन के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली है ?

श्री अलगेशन : इस बात का परीक्षण किया जा रहा है कि क्या हमें इस अभिसमय का अनुसमर्थन करना चाहिये ?

श्री जोकीम आल्वा : सम्मेलन में यह स्वीकार कर लिया गया था कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पत्तनों तथा बंदरस्थानों को हानि पहुंचाने वाले क्रूड आयल, डीजल आयल, आदि जैसे अन्य तेलों द्वारा समुद्र में गन्दगी फैलाना मना कर दिया जाय। क्या बम्बई उन क्षेत्रों में है जहां यह मनाही लागू होगी ? वहां के तेल शोधन कारखानों की ओर ख्याल रखते हुए, क्या यह बात सम्मेलन में उठाई गई थी ?

श्री अलगेशन : मुझे बताया गया है कि गन्दगी फैलने की इस समस्या से हमें कोई विशेष उपद्रव नहीं पहुंचता और हमें इस के विषय में भयभीत नहीं होना चाहिये।

उचित मूल्य दुकानें

*३६०. **श्री अच्युतन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १० जुलाई, १९५४ के बाद राज्य सरकारों को, और खास कर त्रावनकोर-कोचीन राज्य को, उचित मूल्य दुकानें तथा खाद्यों के सहायता प्राप्त मूल्य जारी रखने के बारे में यदि कोई निदेश दिये गये थे तो वे क्या थे; और

(ख) १० जुलाई, १९५४ के बाद उचित मूल्य दुकानों के मूल्यों की तुलना में बाजार भावों की प्रवृत्ति क्या थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) भारत सरकार ने त्रावणकोर-कोचीन सहित सब अभाव वाले राज्यों को सलाह दी है कि जब तक बाजारभाव वर्तमान सरकारी मूल्यों से भी कम नहीं हो जाता और जब तक लोग सरकारी दुकानों से चावल खरीदना बन्द नहीं

कर देते तब तक विनियंत्रण के पूर्व के मूल्यों पर सरकारी दुकानों से चावल वितरित किया जाय ।

(ख) त्रावणकोर-कोचीन से अब तक प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार वहां विनियंत्रण के बाद कीमतें घट रही हैं और राज्य के कुछ भागों में औसत रूप में कीमतें सरकारी दुकानों से भी कम हो गई हैं ।

अभाव वाले अन्य राज्यों में भी कीमतें घट रही हैं तथा बिहार, बम्बई, मद्रास एवं पश्चिमी बंगाल के कई स्थानों में वह सरकारी दुकानों के मूल्यों से भी कम थीं । जहां अभी बाजार भाव सरकारी दुकानों के मूल्यों से अधिक हैं वहां भी उन के बीच का अन्तर कम हो रहा है । किन्तु बिहार, आसाम तथा पश्चिमी बंगाल के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में गत कुछ सप्ताहों में कुछ मूल्य वृद्धि हुई है फिर भी वह जनवरी, १९५४ के मूल्यों से अधिक नहीं है ।

श्री अच्युतन : क्या मैं त्रावनकोर-कोचीन के बारे में १० जुलाई, १९५४ के बाद चावल की खपत में हुई कमी का प्रतिशत जान सकता हूं ?

श्री **करमरकर** : कमी की मात्रा ?

अध्यक्ष महोदय : कमी या वृद्धि ?

श्री **अच्युतन** : उचित मूल्य दुकानों से होने वाली चावल की खपत में हुई कमी का प्रतिशत ।

श्री **करमरकर** : उचित मूल्य दुकानों से हुई खपत के आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं किन्तु यह मान लिया गया है कि वहां के बाजार भाव कम हैं ।

श्री **अच्युतन** : मूल्यों के नहीं अपितु खपत के बारे में मैं जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने अभी उसी का उत्तर दिया है ।

श्री **अच्युतन** : क्या त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने १० जुलाई, १९५४ के बाद उचित मूल्यों की दुकानें चालू रखने के बारे में तथा अपनी खाद्य नीति के बारे में कोई प्रस्ताव भेजे हैं ?

श्री करमरकर : त्रावनकोर-कोचीन सरकार द्वारा इस विषय में किये गये किसी पत्रव्यवहार का मुझे पता नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : उत्तर के दरमियान माननीय मंत्री ने बताया कि जनवरी १९५४ से बिहार, आसाम तथा अन्य कुछ बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बाजार भाव सरकारी दुकानों के मूल्यों की तुलना में अधिक हैं । क्या सरकार को विदित है कि अब उत्तर बिहार के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में तथा दक्षिण बिहार के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में कीमतें और भी बढ़ गई हैं ? इन क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए क्या सरकार उचित मूल्यों की दुकानें खोलने का विचार कर रही है ?

श्री करमरकर : मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है वह यह है । मैं ने पहले जो उत्तर पढ़ सुनाया था उस का अन्तिम वाक्य मैं फिर पढ़ना चाहता हूं :

> "बिहार, आसाम तथा पश्चिमी बंगाल के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में गत कुछ सप्ताहों में कुछ मूल्य वृद्धि हुई है फिर भी वह जनवरी, १९५४ के मूल्यों से अधिक नहीं है ।"

श्री **भागवत झा आजाद** : अब नहीं । अब तो कीमतें बढ़ गई हैं ।

राशन विभाग के कर्मचारियों की पुर्नानियुक्ति

***३६३. श्री बुचिकौटैय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह निदेश जारी किया गया है कि पुराने राशन विभाग के छंटनी किये गये कर्मचारिवृन्द को रेलवे सेवाओं में भर्ती के लिए प्राथमिकता दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे में अब तक ऐसे कितने व्यक्तियों को नौकरियां दी जा चुकी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे प्रशासन और रेलवे सेवा आयोगों को ये अनुदेश दिये गये थे कि वे विभिन्न राज्य सरकारों के असैनिक संभरण खाद्य विभाग के छंटनी किये गये कर्मचारियों को भारतीय रेलों में उन क्लर्क और अशिल्पिक पदों के लिए प्रार्थना-पत्र भेजने की अनज्ञा दी जाये जिन का रेलवे सेवा आयोगों ने विज्ञापन दिया हो, और ऐसे कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार के अधीन की गई सेवा की अवधि की सीमा तक (४० वर्ष की आयु तक) उन की आयु की सीमा को बढ़ा दिया जाये ।

(ख) अब तक ७० ।

श्री बुचिकोटैय्या : कुल कितने व्यक्तियों की छंटनी की गई थी ?

श्री अलगेशन : इस का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है । ये आंकड़े उन के पास होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के पास ये आकड़े नहीं हैं ।

श्री राघवैया : क्या रेलवे सेवा आयोग उन्हें नियुक्त करने से पूर्व उन की कोई परीक्षा लेंगे ?

श्री अलगेशन : उन्हें प्रार्थना-पत्र भेजना होगा और फिर यथापूर्व उन का चुनाव किया जायेगा ।

श्री राघवैया : यदि सरकार की यह नीति है कि राशन विभाग के इन कर्मचारियों को किसी न किसी प्रकार रेलवे विभाग में खपा लिया जाय तो भला इस परीक्षा की क्या आवश्यकता है ?

श्री अलगेशन : ये सब अस्थायी कर्मचारी थे और जब इन्हें स्थायी आधार पर नियुक्त करना है तो निश्चय ही, परीक्षा और चुनाव होना चाहिये ।

विमानों में आग की चेतावनी की व्यवस्था

*३६४. **श्री बोगावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानों में आग की चेतावनी की व्यवस्था को सुधारने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस प्रकार की है;

(ग) इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(घ) क्या किसी विमान में अब तक ऐसा कोई अग्नि-सूचक यंत्र लगाया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). मैं एक विवरण, जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सभा-पटल पर रखता हूं । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सं० २६]

श्री बोगावत : आग की चेतावनी देने वाले यंत्र को प्रभावोत्पादक कैसे बनाया जाता है ?

श्री राज बहादुर : आग की चेतावनी देने वाला प्रभावोत्पादक यंत्र वह होगा जो झूठी चेतावनी न दे ।

मैंगनीज की खानों का बन्द होना

*३६५. **श्री पी० सी० बोस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में मैंगनीज़ और लोहे की कई खानें बन्द हो गई हैं; और

(ख) क्या जो मजदूर बेकार हो गये हैं, उन को वैकल्पिक नौकरी देने की कोई योजना सरकार के पास है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां । १९५४ में १५० मैंगनीज़ की खानें और १६ लोहे की खानें बन्द हो गई हैं । किन्तु इसी कालावधि में ७८ मैंगनीज़ की खानें नये सिरे से अथवा पुनः खोली गई हैं ।

(ख) छंटनी किये गये श्रमिकों को वैकल्पिक नौकरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई विशेष योजना नहीं बनाई है । किन्तु, सरकार ने मैंगनीज़ की कच्ची धातु पर से निर्यात शुल्क हटा कर मैंगनीज़ उद्योग को सहायता देने के लिये कार्यवाही की है । यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में और खाने दोबारा खुल जायेंगी और उन लोगों को जो अब बेकार हो गये हैं शनैः शनैः पुनः नौकरी मिल जायेगी ।

श्री पी० सी० बोस: इन मैंगनीज़ की खानों के बन्द होने का क्या कारण थे ?

श्री आबिद अली : विदेशों के बाज़ार में मैंगनीज़ की कच्ची धातु की मांग नहीं रही थी ।

श्री नानादास : क्या सरकार के पास इन खानों के श्रमिकों की सहकारी संस्थाएं संगठित करने और खानों के उन संस्थाओं की सहायता से चलाने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री आबिद अली : जी नहीं ।

डा० रामा राव : इन खानों के बन्द हो जाने से हुई अत्यधिक बेकारी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का हमारी मैंगनीज़ की कच्ची धातु के लिए नये बाजार तलाश करने का विचार है ?

श्री आबिद अली : यह प्रश्न तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि भारत से निर्यात किये जाने वाले मैंगनीज़ पर इस समय जो नौवहन भाड़ा लिया जाता है, वह अत्यधिक है, और विदेशी बाजारों में इस की मांग की कमी के कारणों में से एक यह भी है ?

श्री आबिद अली : इस प्रश्न का भी उत्तर वही है जो मैं ने इस से पूर्व के अनुपूरक प्रश्न का दिया है ।

एरणाकुलम-क्विलोन रेलवे लाइन

*३६६. **श्री सी० आर० अय्युण्णि**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावणकोर-कोचीन राज्य में एरणाकुलम्-दक्षिण और क्विलोन के बीच रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) लाइन का पूरा किया हुआ भाग यातायात के लिए कब खोला जायगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) :(क) और (ख) । एक विवरण जिस में प्रगति का ब्यौरा और लाइन के विभिन्न भागों के खोलने की अनुमानित तिथियां दी हुई हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सं०२७]**

श्री सी० आर० अय्युण्णि : विवरण में यह लिखा हुआ है कि :

> "एरणाकुलम् से कोट्टायम् तक का विभाग ३, १९५५ के अन्तिम भाग में उस अवस्था में खोला जा सकता है यदि पटरियां, जोड़ने का सामान और गर्डरों के लिये इस्पात मिल जायगा

ये पटरियां, जोड़ने का सामान और गर्डरों के लिये इस्पात कहां से मिलेगा ?

श्री अलगेशन : सम्भव है विदेशों से और देशी स्रोतों से भी ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि: क्या इस लाइन पर बिजली से गाड़ी चलायी जायेगी या कोयले से ?

श्री अलगेशन : इसी विषय पर पहले एक प्रश्न पूछा गया था जिस का मुझे यही उत्तर देना पड़ा था कि इस समय हम ने इसे भाप द्वारा चलाने का ही निश्चय किया है ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि : इस समय कोयले का ठीक ठीक मूल्य क्या है ? क्या यह कुछ अधिक महंगा नहीं पड़ता है ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार में कल भी यही प्रश्न पूछा गया था ।

श्री ए० एम० थामस : अनुदानों की मांगों से सम्बन्धित एक ज्ञापन के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये उत्तर से पता चला था कि एरणाकुलम् और कोट्टायम् के बीच की लाइन पर अक्तूबर १९५५ में यातायात आरम्भ हो जायेगा । परन्तु अब कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बताया गया है और इस के अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि इसे उस अवस्था में चालू किया जायगा यदि पटरियां, जोड़ने का सामान और गर्डरों के लिये इस्पात मिल जायगा । क्या सरकार सभा-पटल पर रखे गये कार्यक्रम पर दृढ़ रहेगी और क्या ये पटरियां, सामान और गर्डर मंगाने का आदेश काफी पहले नहीं दिया गया था ?

श्री अलगेशन : ये सब चीजें की जा रही हैं । सारे कार्यक्रम की योजना बनी हुई है और ह ारा प्रयत्न इस कार्य को निश्चित तिथि तक पूरा करने का है, परन्तु सदा इन निश्चित तिथियों पर दृढ़ रहना संभव नहीं होता क्योंकि यदि कोई गड़बड़ हो जाय, तो निश्चय ही देर हो जाती है । मेरा विचार है कि यह बात सुगमता से समझ में आ सकती है ।

रेलवे की भूमियों को पट्टे पर देना

*३६९. **डा० रामा राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ और १९५४–५५ में रेलवे की कुल कितनी भूमि कृषि के लिए पट्टे पर गई;

(ख) इस के लिए क्या प्र या अपनाई गई;

(ग) क्या सरकार को खेतिहर सहकारी समितियों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिले हैं कि रेलवे की भूमि को नीलाम करने की बजाये साधारण किराये पर पट्टे पर दे दिया जाय और

(घ) सरकार ने उन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९५३–५४ में ३७०८ एकड़ और १९५४–५५ में लगभग को २,६०० एकड़ भूमि पट्टे पर देने की आशा है ।

(ख) वर्तमान प्रक्रिया यह है कि रेलवे की सारी अतिरिक्त भूमि राज्य सरकारों को कृषकों को पट्टे पर देने के लिए सौंप दी जाती हैं, और व्यक्तियों का चुनाव पूर्णतय: वे ही करती हैं ।

(ग) और (घ)। केवल एक मामले में मध्य रेलवे के रेलवे प्रशासन को मंगावली सहकारी फार्मिंग समिति लि० से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है । इस प्रार्थना को पूरा नहीं किया जा सका ।

डा० रामा राव : क्या सरकार का राज्य सरकारों को नीलामी की अपेक्षा खेतिहर फार्मिंग समितियों को अधिमान देने का निदेश देने का इरादा है ।

श्री शाहनवाज खां : रेल मंत्रालय का राज्य सरकारों को कोई हिदायतें देने का इरादा नहीं है । यह पूर्णतया उन के स्वविवेक पर ही छोड़ दिया गया है ।

डा० रामा राव : क्या मैं माननीय सभा-सचिव के उत्तर से यह समझूं कि राज्य सरकारों को नीलामी द्वारा अधिकतम किराया प्राप्त करने का प्रयत्न किये बिना खेतिहर सहकारी समितियों को कम दर पर ये भूमियां देने की

खुली छूट है ? क्या राज्य सरकारें ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र हैं ?

श्री शाहनवाज खां : राज्य सरकारों को इस विषय में स्वविवेक के प्रयोग का पूर्ण अधिकार है ।

श्री वीरास्वामी : दक्षिण रेलवे पर अब तक कितनी भूमि पट्टे पर दी जा चुकी है और कितनी भूमि पट्टे पर देने के लिए उपलब्ध है ?

श्री शाहनवाज खां : मुझे इस प्रश्न के लिए पूर्व-सूचना चाहिये ।

सरकारी यात्रा संगठनों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

*३७०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री २६ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ के उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९५३ में लिस्बन में हुये सरकारी यात्रा संगठनों के आठवें सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा महासभा में जो भारत का प्रतिनिधि गया था उस के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के सम्बन्ध में क्या निश्चय किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (**श्री** अलगेशन) : एक संक्षिप्त विवरण, जिस में अक्तूबर, १९५३ में लिस्बन में हुए सरकारी यात्रा संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय संघ के आठवें सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और महासभा में भारत के प्रतिनिधि के प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें और उस पर की गई कार्यवाही दी हुई है, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८].**

श्री डी० सी० शर्मा : यात्रा की औपचारिकताओं को सरल बनाने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? इस का सम्बन्ध विवरण की कण्डिका १० से है ।

श्री अलगेशन : इस प्रश्न पर हम निरन्तर ध्यान दे रहे हैं और वित्त मन्त्रालय के परामर्श से हम इस प्रक्रिया को यथा-संभव कम कष्ट साध्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं ने विवरण पढ़ा है । इस में १७ कण्डिकायें हैं । अधिकतर कण्डिकाओं के सामने यह लिखा हुआ है कि किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । कुछ कण्डिकाओं के बारे में यह लिखा हुआ है कि कार्यवाही की जा रही है । केवल एक बात के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है । सम्मेलन ने सदस्य देशों को इस प्रकाशन की प्रतियां खरीदने का सुझाव दिया था और इस विषय में यह कार्यवाही की गई है : 'भारत सरकार ने इस पुस्तिका की एक प्रति खरीद ली है' क्या भारत सरकार के पदाधिकारी इसी प्रकार के उत्तर लिखते हैं ?

श्री अलगेशन : परिहास करना सहज है । ये सम्मेलन किसी पारित संकल्प पर कोई बड़ी कार्यवाही करने के लिये नहीं किये जाते । ये तो केवल अन्तर्राष्ट्रीय मेल-जोल को बढ़ाने और यह देखने के लिये कि इन देशों में और अधिक यात्री आयें, किये जाते हैं । इन सम्मेलनों का कार्य से इतना सम्बन्ध नहीं होता ।

खादी की वर्दी

*३७१. **श्री डाभी** : क्या **संचार** मंत्री डाक तथा तार कर्मचारियों को खादी की वर्दियां देने के बारे में १ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई उपसमिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये खादी खरीदने के बारे में उपसमिति ने क्या सिपारिशें की हैं; और

(ग) क्या सरकार ने ये सिपारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग)। समिति ने अभी अंतिम प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत किया है । कार्यक्रम के अनुसार समिति की अंतिम बैठक ३० अगस्त को होने वाली थी और आशा है कि उस के पश्चात् शीघ्र ही अंतिम सिपारिशें प्रस्तुत कर दी जायेंगी ।

श्री डाभी : क्या डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये खादी की वर्दियां देने के लिये व्यादेश दे दिये हैं ?

श्री राज बहादुर : वर्दियों के लिये व्यादेश दिये जा चुके हैं

श्री डाभी : कितने का ?

श्री राज बहादुर : यह बताना संभव नहीं कि कितने का। यह तो आवश्यकता पर निर्भर करता है, परन्तु यह सम्भवतः पांच से सात लाख गज के लगभग है ।

भू-मापन

***३७२. डा० राम सुभग सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के सुझाव के अनुसार कितनी राज्य सरकारें भू-मापन के लिये तैयार हो गई हैं;

(ख) क्या कोई राज्य सरकार इस सुझाव से असहमत है और यदि हां, तो किस कारण; और

(ग) क्या किसी राज्य में भू-मापन का कार्य आरम्भ हो गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख)। लगभग सब राज्यों ने भूमि भागों और कृषि की भूमि के मापन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है, किन्तु कुछ राज्य सरकारों ने स्पष्टीकरण के लिये कुछ बातें पूछी थीं; और त्रावनकोर-कोचीन सरकार का विचार है कि उस राज्य में भूमिभाग और कृषि की भूमि के मापन की अधिक आवश्यकता नहीं है । भारत सरकार इन राज्यों से पत्र-व्यवहार कर रही है ।

(ग) आंध्र, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, हैदराबाद, मैसूर, पैप्सू, भोपाल और कच्छ में भू-मापन कार्य आरम्भ हो चुका है ।

डा० राम सुभग सिंह : त्रावनकोर-कोचीन के अतिरिक्त जिन अन्य राज्य सरकारों ने स्पष्टीकरण मांगे हैं उन के नाम क्या हैं और उन्हों ने किस बात का स्पष्टीकरण मांगा है ?

श्री करमरकर : १० राज्य जो कुछ शर्तों पर भू-मापन करने के लिये तैयार हैं या जिन्हों ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है वे दिल्ली, बिहार, राजस्थान, मनीपुर, त्रिपुरा, अजमेर, पश्चिमी बंगाल, उत्तर-प्रदेश, आसाम और पंजाब हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : हाल ही में पता चला है कि इन सरकारों में से कुछ एक ने भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी है, भूमि की यह अधिकतम सीमा किन आधारों पर निश्चित की गई है और क्या ऐसा करने से पूर्व इन सरकारों ने योजना आयोग अथवा कृषि मन्त्रालय का परामर्श ले लिया था ?

श्री करमरकर : भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करना भू-मापन से अलग है । निश्चित की गई अधिकतम सीमा के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री ए० एम० थामस : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या त्रावनकोर-कोचीन सरकार द्वारा प्रारूपित भूमि सम्बन्धी कुछ विधेयक केन्द्र के विचारार्थ भेजे गये थे और यदि हां, तो क्या केन्द्र ने इन विधेयकों का अनुमोदन किया है और क्या अनुमोदन करते समय भू-मापन करने के सम्बन्ध में कोई शर्त रख दी गई है ?

श्री करमरकर : हम भूमि सुधार और और भूमि की अधिकतम सीमा पर चर्चा करने लगे हैं जो एक पृथक् प्रश्न है। इस के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

श्री नानादास : क्या यह कार्य समाप्त करने के लिये कोई कार्यक्रम निश्चित किया गया है ?

श्री करमरकर : कोई अवधि निश्चित नहीं की गयी है, परन्तु आशा है कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा। जहां तक आंध्र और बम्बई इत्यादि जैसे राज्यों का सम्बन्ध है। जहां कि कार्य आरम्भ हो चुका है, आशा है कि वहां दिसम्बर, १९५४ और अप्रैल, १९५५ के बीच कार्य पूरा हो जायेगा। उन्हों ने यही अवधि बतायी है।

पंजाब से चावल का क्रय

***३७४. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष भारत सरकार के लिये पंजाब के व्यापारियों ने पंजाब सरकार के कहने पर १,२५,००० टन चावल खरीदा था;

(ख) क्या खरीदे गये चावल का कुछ भाग केन्द्रीय सरकार ने नहीं लिया था ; और

(ग) यदि ऊपर के भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो व्यापारियों के पास कितना चावल पड़ा हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग)। वास्तविक स्थिति यह है कि पंजाब सरकार ने अपनी एकाधिकार समाहार योजना के अन्तर्गत वर्तमान खरीफ़ के वर्ष में अपने अभिकर्ताओं द्वारा १,१४,००० टन चावल खरीद थे जिस में मोटी किस्म के चावल ४०,००० टन हैं। यह समाहार दूसरे राज्यों को निर्यात और आन्तरिक खपत दोनों के लिये था। दूसरे राज्यों को निर्यात किये गये ८०,००० टन और पंजाब सरकार द्वारा रखी गई कुछ मात्रा को घटा देने पर शेष केवल ७,६०० टन रह जाते हैं जिसे केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय रक्षित भण्डार के लिये लेने को तैयार हो गई है। पंजाब के व्यापारियों के पास केवल इतनी ही मात्रा है जिसे केन्द्र ने अभी लेना है, परन्तु भारत सरकार ५,२०० टन का मूल्य दे चुकी है और शेष २,४०० टन का भुगतान करने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या कमीशन की दर के बारे में कोई झगड़ा हुआ था ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह सच है कि सारा स्टाक अथवा उस का कुछ भाग लेने के बारे में कोई झगड़ा हुआ था ?

श्री करमरकर : मुझे इस बारे में किसी झगड़े का पता नहीं है।

अधिक अन्न उपजाओ योजना

***३७६. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य को "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं के लिये सहायता देने का निश्चय किया है; और

(ख) वार्षिक कितनी राशि देने का विचार है और कब से ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष १९५४–५५ और १९५५-५६ के दो वर्षों के लिये २० लाख रुपये नियत किये गये हैं, परन्तु मंजूरियां उन्हीं योजनाओं

के आधार पर दी जाती हैं जो अधिक अन्न उपजाओ के नियमों के अधीन स्वीकार्य हों ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या यह राज्य खाद्य के विषय में आत्म-निर्भर है ?

श्री करमरकर : एकाएक तो मैं यही कह सकता हूं कि यह आत्म-निर्भर नहीं है, परन्तु मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : किन आंकड़ों के आधार पर सरकार ने यह निर्णय किया कि सहायता के रूप में केवल इतनी ही राशि की आवश्यकता है ?

श्री करमरकर : राज्य ने प्रस्ताव रखे । हम ने उन प्रस्तावों पर विचार किया जिस के परिणामस्वरूप उस राज्य को २० लाख रुपये की सहायता उपयुक्त समझी गई ।

रेलवे से गुम पार्सल

***३७७. श्री राधा रमण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलों से गुम होने वाले पार्सलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो फ़रवरी से जुलाई १९५४ तक रेलवे प्राधिकारियों को ऐसी कुल कितनी घटनाओं की सूचना मिली; और

(ग) ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

रलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) पूर्व और पश्चिम रेलवे पर इन की संख्या कुछ बढ़ी है परन्तु अन्य चार रेलवेज़ पर इन की संख्य घट रही है ।

(ख) उक्त अवधि के सम्बन्ध में आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु ३०-६-१९५४ को समाप्त होने वाली छमाही में १९,०३२ घटनाओं की सूचना मिली ।

(ग) एक विवरण, जिस में इस प्रकार की हानि को रोकने के लिये की गई कुछ महत्वपूर्ण कार्यवाही दी हुई है, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९]

श्री राधा रमण : विवरण में माननीय सभासचिव ने उस कार्यवाही का उल्लेख किया है जो कि की जा रही है । क्या चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध में ऐसी घटनाओं मे कोई कमी हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इस के आंकडे तो उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु मुझे जो सूचना मिली है उस से यह पता लगता है कि इन में कुछ कमी हुई है ।

श्री राधा रमण : कितनी घटनाओं में इन गुम होने वाले पार्सलों के स्वामियों ने प्रतिकर का दावा किया और ये कुल कितनी राशि के थे ?

श्री शाहनवाज खां : प्रत्येक घटना की पड़ताल उस के गुण-दोष के आधार पर की जाती है । मेरे पास इस समय तो आंकड़े नहीं हैं । यदि माननीय सदस्य पूर्वसूचना दें तो मै तथ्य बतला सकता हूं ।

श्री राधा रमण : क्या इन गुम होने वाले पार्सलों में से बाद में कुछ मिल गये थे ?

श्री शाहनवाज खां : खूब अच्छी प्रकार तलाश की जाती है और कभी कभी इन में से कुछ मिल भी जाते हैं ।

बम्बई पत्तन पर 'काम धीरे करो" आन्दोलन

***३७८. श्री नवल प्रभाकर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन पर जहाज का माल उतारने और चढ़ाने वाले ३००० मजदूरों ने एक "काम धीरे करो" अन्दोलन आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो यह आन्दोलन कितने दिनों तक जारी रहा: और

(ग) इस आन्दोलन से कितनी अनुमानित हानि हुई ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां ।

(ख) पांच ।

(ग) हानि का अनुमान लगाना कठिन है। यह उतारे और चढ़ाये जाने वाले माल के किस्म पर निर्भर करती है और इस प्रकार कार्यकुशलता में अनमानत: ५० से ७० प्रतिशत तक हानि हुई ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह समझौता फिर किस तरह से हुआ ?

श्री आबिद अली : समझौता तो नहीं हो सका, क्योंकि दोनों पार्टीज़ ने हमारे लेबर आफिसर्स की सलाह नहीं मानी। इसलिये हम ने एडजुडीकेशन दे दिया है ।

डा० रामा राव : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

***डा० एन० बी० खरे** : श्रीमान मेरे सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को पहले ही सूचित कर चुका हूं कि मैं ने स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया है, परन्तु मैं इस गन प्रस्ताव का यथासमय उल्लेख करूंगा

डा० एन० बी० खरे : धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य का अनावश्यक प्रचार नहीं करना चाहता ।

अल्पसूचना प्रश्न और उत्तर

पूर्वोत्तर रेलवे में टूट-फूट

अ० सू० प्र० सं० ६. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी बंगाल में पूर्वोत्तर रेलवे की लाइन के टूट-फूट जाने के कारण इन क्षेत्रों में सैकड़ों यात्री घिरे पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की सख्या कितनी है; और

(ग) क्या उन्हें विमानों द्वारा निकटवर्ती हवाई अड्डों पर पहुंचाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है जहां से कि वे पुन: अपनी यात्रा आरम्भ कर सकें ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख)। सूचना मिली है कि संख्या ३०३ अप लिंक एक्सप्रेस में नगरकोट और चेंगमारी के बीच कैरन स्टेशन पर जहां कि यह २३ अगस्त से घिरी हुई है ३ बच्चों सहित पचपन यात्री उन की यथासम्भव अच्छी प्रकार देख-भाल की जा रही है और सूचना मिली है कि वे वहां की अवस्था के अनुसार अपने लिये किये गये प्रबन्धों से प्राय: सन्तुष्ट हैं ।

(ग) दोनों ओर अर्थात् मनीहारी की ओर बगरकोट के और पांडु की ओर हासीमारा के निकटस्थ हवाई अड्डों को जाने वाली सड़कों के टूट-फूट जाने के कारण यह सम्भव नहीं था ।

तथापि, ३०-८-१९५४ को उन्हें मोटर ट्रकों द्वारा हासीमारा ले जाया गया था, एक छोटे से गिरे हुए पुल को उन्हों ने पैदल चल कर पार किया था। छै रेलवे कर्मचारियों को छोड़ कर जो अब आगे जाने के लिये वहां

**सभापति के आदेश से निकाल दिया गया ।

प्रतीक्षा कर रहे हैं शेष सब का गन्तव्य स्थान हासीमारा था।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मुझे तार मिले हैं जिन में यह कहा गया है कि और स्टेशन भी हैं जहां यात्री घिरे पड़े हैं। यदि ऐसी बात है, तो क्या उन्हें भी भेजने के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ?

श्री अलगेशन : हमारे महा-प्रबन्धक ने, जिन्हों ने इन क्षेत्रों का विमान द्वारा दौरा किया था, हमें यह सूचना दी थी कि सिलीगुड़ी की ओर भी लगभग २०० से २५० तक यात्री हैं और उन की अच्छी प्रकार देख-भाल की जा रही है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि आसाम में रेल, सड़क तथा स्टीमर संचार बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गया है—जिस के परिणामस्वरूप गौहाटी में विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों से आई हुई बहुत सी वस्तुएं इकटठी हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें विमानों द्वारा आसाम के अन्दर या बाहर भेजने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : मुझे मालूम नहीं कि इन्हें विमानों द्वारा भेजने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं। जहां तक रेल परिवहन का सम्बन्ध है आसाम प्रदेश में बहुत बड़े बड़े भाग टूटे हुए हैं और इन भागों की मरम्मत करने और यातायात आरम्भ करने में हमें कुछ समय लगेगा।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं केवल रेलवे के सम्बन्ध में नहीं कह रहा था। सड़क तथा स्टीमर व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो गई है। जो स्टीमर १५ दिन में आ जाते थे उन्हें अब लगभग दो मास लगते हैं, इसलिये ये वस्तुएं सड़ रही हैं। इन परिस्थितियों में, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन्हें विमानों द्वारा भेजा जा रहा है अथवा भेजने का विचार है और यदि हां, तो क्या कोई अर्थसाहाय्य देने का इरादा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : माननीय सदस्य ने यह सुझाव मुझे परसों ही दिया था। मैं ने रेलवे बोर्ड से पूर्वोत्तर रेलवे को संवाद भेज कर यह पता लगाने के लिये कहा है कि गौहाटी में जो आलू अथवा अन्य चीजें पड़ी हैं क्या उन्हें विमान द्वारा भेजने की आवश्यकता है।

डा० राम सुभग सिंह : किन किन स्थानों पर रेल-मार्ग टूट गया है और लाइनें बह गई हैं और कब तक गाडियां सीधी आने-जाने लगेंगी ?

श्री अलगेशन : इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि इस सारी टूट-फूट की कब तक मरम्मत हो जायेगी और कब गाड़ियां पुनः सीधी आ जा सकेंगी। वे इसे यथासम्भव जल्दी से जल्दी करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सम्बद्ध रेलवे के महा-प्रबन्धक ने इस बारे में कोई जांच की है कि इन बाढ़ों से रेलवे सम्पत्ति को कितनी क्षति पहुंची है ?

श्री अलगेशन : अभी इस का समय नहीं आया है और इस से उन के पुनः संस्थापन कार्य में बाधा पड़ेगी

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बबूलकी छाल का यातायात

*३२४. { **श्री ए० के० गोपालन** :
श्री पुन्नूस :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार को उत्तर-पूर्वी रेलवे के चौका घाट और गौंडा स्टेशनों के बीच बबूल की छाल के यातायात के सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयों के विषय में कोई प्रतिनिधान मिला है ;

(ख) क्या यह सच है कि सम्बन्धित अधिकारियों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायतें की गई थीं; तथा

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) । हां ।

(ग) प्रतिनिधान को उत्तर पूर्वी रेलवे के महाप्रबन्धक के ध्यान में लाया गया था, उन्हों ने सूचना दी है कि बबूल' की छाल के शीघ्र यातायात की व्यवस्था कर दी गई है, तथा १७-७-१९५४ को गोंडा जिले में केवल तीन माल डिब्बों के अदत्त रजिस्ट्रेशन थे ।

जहां तक तथाकथित भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है कोई लाभदायक जांच नहीं की जा सकी क्योंकि व्यापार-मण्डल भ्रष्टाचार के कोई विशेष मामले नहीं बता सका ।

चीनी के नये कारखाने

*३३७. { **श्री एस० एन० दास** :
श्री तुलसी दास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के आधीन चीनी के नये कारखाने स्थापित करने की अनुज्ञप्तियों के लिये आवदन पत्र आमंत्रित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या क्या है, तथा कितने मामलों में अनुज्ञप्तियां स्वीकृत की जा चुकी हैं; तथा

(ग) उन स्थानों के नाम तथा संख्या जहां इन कारखानों को स्थापित करने की प्रस्थापना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) ३४ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं । चीनी का एक नया कारखाना खोलने की एक अनुज्ञप्ति की मंजूरी दे दी गई है तथा दूसरे और कारखानों को अनुज्ञप्तियां जारी की जान वाली हैं ।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०].

पटनई चावल

*३४४. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटनई चावल के लिय यूरोपीय देशों में बाजार ढूंढने की सरकारी जांच का क्या परिणाम हुआ ;

(ख) कितने परिमाण में पटनई चावल निर्यात के लिये उपलब्ध होंगे; तथा

(ग) क्या ब्रह्मा का चावल पटना चावल से अच्छा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जांच से यह प्रकट हुआ है कि पश्चिमी बंगाल के उच्च कोटि के कच्चे पटनई चावल की ग्रेट ब्रिटेन तथा यरोपीय देशों में बहुत मांग है ।

(ख) इस समय सरकार के पास उच्च कोटि के कच्चे पटनई चावल का कोई स्टॉक नहीं है, किन्तु ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस प्रकार के चावल की पर्याप्त परिमात्रा बाजार में उपलब्ध है ।

(ग) जी नहीं श्रीमान्, पटनई चावल ब्रह्मा के एस० एम० एस० चावलों से बहुत बढ़िया होता है ।

निरोधा

*३४६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) १९५३ व १९५४ के वर्षों में विदेशों से आने वाले कितने व्यक्तियों को भारत में निरोधा के कारण रोका गया; तथा

(ख) व कौन से रोग हैं जिन के कारण वे रोके गये थे ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) जून १९५४ के अन्त तक ७९ व्यक्ति।

(ख) वे इस कारण नहीं रोके गये थे कि वे स्वयं किसी रोग से ग्रसित थे बल्कि इसलिये कि उन के पास पीत ज्वर का टीका लगाये जाने के वैध प्रमाणपत्र नहीं थे।

निवारक उपचार

*३५१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतान की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सच है कि सरकार न राज्य सरकारों को चिकित्सकीय उपचार की निवारण दिशा की ओर अधिक ध्यान देने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रभावशाली अथवा रचनात्मक योजना बनाई गई है; तथा

(ग) इस योजना की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) हां।

(ख) वे विशष योजनायें जिन में उपचार की निवारण दिशा की ओर विशेष जोर डाला गया है यह हैं।

(१) विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्रों की स्थापना।

(२) बी० सी० जी० के टीके लगाने का कार्यक्रम

(३) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण योजना।

(४) राष्ट्रीय फीलगांव नियंत्रण योजना।

(५) कुष्ट नियंत्रण योजना।

(६) मेडिकल कालेजों में सामाजिक तथा निरोधक औषधि विभागों की स्थापना।

(७) रजित रोग नियंत्रण योजना।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनबन्ध संख्या ३१].

बन गवेषणा शाला

*३५४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि २९ अप्रैल, १९५४ को हस्ताक्षरित भारत-अमरीकी अनुपूरक समझौते के अधीन देहरादून की बन गवेषणा शाला को क्या अतिरिक्त उपकरण तथा सामान प्रदान किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : २९ अप्रैल, १९५४ को किसी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

त्रिपुरा में जूमियों का पुनर्वास

*३५७. **श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय कार्यालय अथवा विभागीय कार्यालयों की कमी के कारण, त्रिपुरा की जूमिया आदिम जातियां अपने पुनर्वास के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक विभागीय प्रधान केन्द्रों में उपयुक्त कार्यालयों को स्थापित कर के इन कठिनाइयों को कब तक दूर किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

आदर्श सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम

***३६१. डा० सत्यवादी :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आदर्श स्वास्थ्य अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिये नियुक्त की गई समिति द्वारा की गई प्रगति को बताने की कृपा करेंगी ?**

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुविहित उपबन्धों को एकत्रित कर लिया गया है । समिति की एक बैठक ९ तथा १० जून, १९५४ को कलकत्ता में हुई थी जिस में समिति के सदस्यों ने प्रस्थापित आदर्श सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम की सीमा तथा रचना के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की थी । समिति की दूसरी बैठक २१ जुलाई से २ अगस्त, १९५४ तक हुई तथा आदर्श सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम के अध्यायों का प्रारूप तैयार करने में पर्याप्त प्रगति हुई ।

मुर्गी पालन विकास

***३६२. श्री बी० मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मुर्गी पालन विकास की एक योजना को चालू करने की प्रस्थापना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; तथा

(ग) किस तारीख तक यह योजना क्रियान्वित की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग)। मुर्गी पालन विकास की एक अखिल भारतीय योजना तैयार की जा रही है । कुछ चुने हुए केन्द्रों में एक अग्रिम योजना, जो मुख्य योजना की पूर्वगामी होगी, विचाराधीन है । अग्रिम योजना के अगस्त १९५५ तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ।

कोट्टूर हरीहर रेल कड़ी

***३६७. श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दक्षिणी रेलवे में कोट्टूर को हरीहर से हरपनाहल्ली से हो कर मिलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) क्या कोई भू-परीमापन किया गया है तथा प्राक्कलन तैयार किये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं श्रीमान्,

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

बरबाडीह-सरनाडीह रेलवे लाईन का पुनः स्थापन

***३६८. श्री जी० पी० सिन्हा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार के पालामाऊ ज़िले में बरबाडीह–सरनाडीह रेलवे लाइन के निर्माण को पुनः प्रारम्भ करने की कोई योजना है; तथा

(ख) इस लाइन के निर्माण पर अब तक कितनी धन राशि व्यय की जा चुकी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) निर्मित किये गये खंड के पूरे अथवा एक भाग को काम में लाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) इस लाइन के निर्माण पर अब तक अनमानतः १.५० करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है ।

भारत अमरीकी पार्सल डाक सेवा

***३७३. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने भारत और अमरीका के मध्य कोई सीधी पार्सल डाक सेवा

को जारी करने के प्रश्न पर निर्णय कर लिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार इसे कब से लागू करने का विचार करती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) इसे १५-८-१९५४ से जारी कर दिया गया है ।.

सहकारी कृषि एकक

*३७५. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंचवर्षीय योजना के अधीन ३० जून, १९५४ तक कुल कितने गांवों को सहकारी कृषि एककों में परिवर्तित किया गया है; तथा

(ख) इस समय का उत्पादन सहकारी कृषि के पूर्व के उत्पादन की तुलना में कैसा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) राज्य सरकारों से इस समय तक प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि मैसूर में एक और भोपाल में तीन गांव सहकारी कृषि एककों में परिवर्तित किये गये हैं ।

(ख) राज्य सरकारों ने अभी तक ठीक आंकड़े नहीं दिये हैं । परन्तु भोपाल तथा मैसूर राज्यों की यह रिपोर्ट है कि उत्पादन पहले से अधिक है ।

बिना टिकट यात्रा

*३७९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों ने बम्बई तथा मद्रास में बिना टिकट यात्रा करने वालों का पता लगाने के कोई नये उपाय किये हैं; तथा

(ख) वह अपने इस आन्दोलन में कहां तक सफल हुए हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) आन्दोलन के परिणाम उत्साह-वर्धक हैं ।

भारत अमरीकी कार्य-संचालन समझौता

*३८०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि गत मई में वर्तमान विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों को अतिरिक्त उपकरणों आदि का संभरण करने के लिये एक अनुपूरक भारत-अमरीकी कार्य-संचालन समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन वर्तमान केन्द्रों के कार्य-क्षेत्र के विस्तार को किस सीमा तक बढ़ाया जायेगा;

(ग) कितने और अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे; तथा

(घ) प्रशिक्षण के लिये कहां तक स्त्रियां आगे आई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्य क्षेत्र को इन दिशाओं में फैलाने की प्रस्थापना है :—

(१) ग्राम्य-स्तर की महिला कार्य-कर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिये २५ केन्द्रों में गृह अर्थशास्त्र विभागों को जोड़ना ।

(२) ग्रामीन कारीगरों को लोहार का काम बढ़ईगिरी तथा सुधरे हुए गृहों के नमूनों को बनाने की कला और उन का निर्माण, जिस म मरम्मत पर विशेष ज़ोर दिया जायगा, और सुधरे हुए कृषि औज़ारों के बनाने के सम्बन्ध

में प्रशिक्षण देने के लिये २० केन्द्रों में वर्कशॉपों को जोड़ना ।

(३) प्रशिक्षण केन्द्रों के निकट रहने वाले किसानों को कृषि के नये विकासों तथा ग्रामीण सहकारी संस्थायें बनाने के सम्बन्ध में हिदायतें देने की व्यवस्था करना ।

(ग) नौ ।

(घ) गृह अर्थशास्त्र विभागों के १९५५ के मध्य तक कार्य आरम्भ कर देने की आशा है । अतः महिलाओं की ओर से दिखाई जाने वाली रुचि का अनुमान करना अभी बहुत पहले की बात है ।

राष्ट्रीयकृत वायुपथ समवायों के अंशधारी

*३८१. { **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:**
श्री भागवत झा आजाद : }

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस की सूचना मिल गई है कि राष्ट्रीयकृत वायुपथ समवायों के अंशधारियों ने बम्बई में १७ जून, १९५४ को एक संकल्प पारित किया है जिस में उन्हों ने सरकार द्वारा वायुपथ समवायों को दिये जाने वाले प्रतिकर में किये जा रहे विलम्ब के विरुद्ध विरोध व्यक्त किया है; तथा

(ख) सरकार ने प्रतिकर के भुगतान में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) वायु समवायों की आस्तियों तथा दायित्वों के निर्धारण से सम्बन्धित कार्य अन्तिम अवस्था में पहुंच चुका है और आशा की जाती है कि इस महीने में निगम केवल तीन समवायों के अतिरिक्त अन्य समवायों को देय प्रतिकर की राशियों का निर्धारण कर सकेगा और इस प्रकार निर्धारित राशियों के भुगतान करने को कह सकेगा । दो समवायों के सम्बन्ध में , प्रतिकर राशियों के निर्धारण के कार्य के अगले महीने में पूरा हो जाने की संभावना है । तीसरे समवाय के सम्बन्ध में, भारतीय ऐयर-लाइन्स निगम ने वायु निगम अधिनियम के अधीन स्थापित न्यायाधिकरण के समक्ष एक अभ्यावेदन करना आवश्यक समझा है । इस समवाय को देय प्रतिकर उस समय तक निर्धारित नहीं किया जायगा जब तक कि न्यायाधिकरण अपना पंचाट न दे दे ।

स्वस्ति समिति को दी गई भूमि

*३८२. **श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि स्वस्ति समिति नाम की एक सहकारी समिति ने त्रिपुरा सरकार से कैलाशाहार उप-मंडल में एक हजार ड्रोन भूमि का बन्दोबस्त ले लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि स्वस्ति समिति को बन्दोबस्त दिये जाने से पूर्व, इस भूमि का एक बड़ा भाग आदिम जातियों के व्यक्तियों के अधिकार में था;

(ग) क्या इन प्रभावित आदिम जाति के व्यक्तियों द्वारा इस समय तक सरकार से कोई अभ्यावेदन किया गया है; तथा

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) यद्यपि यह ठीक है कि बन्दोबस्त के स्वस्ति समिति को दिये जाने से पूर्व इस भूमी का एक बड़ा भाग आदिम जातियों के व्यक्तियों के कब्जे में था, परन्तु ठीक सर्वेक्षण न होने के कारण इस प्रकार की अधिकृत भूमि का ठीक प्रकार से पता नहीं चल सका है ।

(ग) हां श्रीमान् ।

(घ) इस विषय पर राज्य सरकार ध्यान दे रही है ।

चीनी की कीमतों का न दिया जाना

*३८३. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री, १७ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११३५ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में, बिहार तथा उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्टरियों को संभरित गन्ने की कितनी बकाया कीमत अभी भी किसानों को दी जानी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्टरियों के नाम अभी भी जो गन्ने की कीमत का बकाया है उसे दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३२] बिहार की फैक्टरियों से सम्बन्ध रखने वाली इसी प्रकार की जानकारी की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

विलुपुरम रेलवे दुर्घटना

*३८४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि गत ११ जुलाई को दक्षिण रेलवे के विलुपुरम स्टेशन पर रेलवे दुर्घटना के कारण बीस व्यक्ति घायल हो गये थे; तथा

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था ?

रेलव तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, दक्षिण रेलवे के विलुपुरम् रेलवे स्टेशन पर ११-७-१९५४ को १२ बज कर ४७ मिनट पर एक शंटिंग कर रहे इंजन के एक यात्री गाड़ी के रेक से टकरा जाने के परिणामस्वरूप यह दुर्घटना हुई थी ।

(ख) यह दुर्घटना एक अनधिकृत विकृत मस्तिष्क वाले एक युवक के कारण हुई, जो किसी के बिना देखे इंजन पर चढ़ गया और इसे रेक की ओर जो उसी लाइन पर खड़ा था, भीषण वेग से दौड़ा ले गया था ।

रुस को शिष्ट मंडल

*३८५. **श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि सोवियत रूस के रेलवे परिवहन कर्मचारी संघ ने भारत के राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संघ को रूस में एक शिष्ट मंडल भेजने का निमंत्रण दिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या संघ ने शिष्ट-मंडल भेज दिया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार को ज्ञात हुआ है कि संघ का एक अधिकारी भेजा गया है ।

आन्ध्र के गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ना

*३८६. **श्री बुचिकोटैय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आंध्र सरकार द्वारा उस राज्य में गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के कार्य के विकास के लिये कोई प्रस्थापनायें की गई हैं अथवा उस ने कोई वित्तीय सहायता मांगी है; तथा

(ख) यदि हां, तो वह प्रस्थापनायें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

रेलवे पुल

*३८७. **श्री सी० आर० आटयुण्णि** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य में अलवाये तथा ऐडाकोची में पुल निर्माणक कार्य आरम्भ हो गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो उस में कहां तक प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). वास्तविक निर्माण कार्य तो अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है। दोनों पुलों के लिये विस्तृत आरंभिक जांच की आवश्यकता थी, जिसे लगभग पूरा कर लिया गया है और अब ब्यौरेवार योजनायें बनाने तथा प्राक्कलन करने का कार्य किया जा रहा है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये नई लाईनें

*३८८. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ली जाने वाली नई रेलवे लाइनों का चुनाव कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो बनाई जाने वाली नई लाइनों के क्या नाम हैं; तथा

(ग) यदि अब तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय न किया गया हो तो कब तक सरकार द्वारा कोई निर्णय किये जाने की संभावना है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) श्रीमान्, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) अगले वर्ष में किसी समय ।

डाक टिकट शताब्दी

*३८९. { **डा० रामा राव** : **श्री वीरास्वामी** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी "डाक टिकट शताब्दी" के लिए आय-व्ययक में कितने धन की व्यवस्था की गई है एवं उस का अनुमानित व्यय क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) भारतीय डाक-टिकट शताब्दी समारोह के लिए आय-व्ययक में व्यवस्थित एवं अनुमानित व्यय दस लाख रुपया है ।

उर्वरक के क्रय के लिए ऋण

*३९० **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य सरकार ने १९५४ में उर्वरक क्रय करने के लिये केन्द्रीय सरकार से ऋण मांगा है; तथा

(ख) यदि हां तो कितने ऋण की स्वीकृति मिली ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) ६५,६६,१७५ रुपये ।

रेलों पर भोजन व्यवस्था

*३९१ { **श्री डाभी** : **श्री नम्बियार** : **चौ० रघुवीर सिंह** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उस उप-समिति ने जिस की नियुक्ति रेलों पर भोजन व्यवस्था के ठेके वाली प्रणाली की जांच करने के लिए हुई थी, अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां तो उस समिति की मुख्य मुख्य सिपारिशें क्या हैं; तथा

(ग) उन के क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना कब है?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) भारतीय रेलपर भोजन व्यवस्था की समस्या के सभी पहलू समिति के विचाराधीन हैं; और शीघ्र ही उस से प्रतिवेदन मिलने की आशा है ।

सोनपुर-हाजीपुर पुल

***३९२. पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या रलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्व रेलवे के सोनपुर हाजीपुर पुल से पथकर के रूप में कुल कितनी धन राशि मिली है; तथा

(ख) क्या इस मद से हुई आय इस पुल के निर्माण व्यय से अधिक है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) पथकर के रूप में ली गई कुल धनराशि, जो इस पुल के निर्माण-समय से लेकर ३ नवम्बर, १९४९ तक, जब कि यह पथकर समाप्त किया गया, प्राप्य नहीं है, किन्तु ऐसा अनुमान है कि यह धन किसी भी प्रकार से ७ १/२ लाख से अधिक नहीं होगा ।

(ख) नहीं ।

वृद्धावस्था सम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

***३९३. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतवर्ष ने वृद्धावस्था सम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन विषयक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के लन्दन में होने वाले तृतीय सम्मेलन में भाग लिया था; तथा

(ख) यदि हां तो क्या भारतवर्ष से सम्बन्धित कुछ समस्याओं पर वहां विचार हुआ था ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) :

(क) जी हां ।

(ख) सम्मेलन की कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है, और सम्मेलन में हुए वाद-विवाद के सारांश की प्रतिलिपि उचित समय पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

335 L.S.D.

इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट, दिल्ली

***३९४. श्री नवल प्रभाकर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या दिल्ली इम्प्रूवमेंट की आय बढ़ाने के निमित्त कोई योजना बनाई जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : ऐसी कोई भी योजना आजकल विचाराधीन नहीं है ।

आलू का आयात

***३९५. डा० राम सुभग सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष १९५४–५५ में बर्मा से आलू के आयात करने का है; तथा

(ख) यदि हां तो कितनी मात्रा में आलू का आयात करना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख), भारत-बर्मा व्यापार करार में जो कि आजकल चालू है, एक ऐसा उपबन्ध है जिस के अनुसार बर्मा से प्रति वर्ष अधिक से अधिक ३० लाख रुपये के बीज के आलुओं का आयात किया जा सकता है । बर्मा से खाने के आलुओं का आयात करने की आज्ञा सामान्यतः नहीं दी गई है । अभी हाल में—जुलाई-सितम्बर १९५४ की इस तिमाही में, विशेषता के आधार पर २००० टन खाने के आलू बर्मा से कलकत्ता पत्तन पर आयात करने की आज्ञा देने का निश्चय किया गया था । इस आयात का मूल्य भी व्यापार-करार में विनिश्चित अधिकतम धनराशि ३० लाख के अन्तर्गत होगा ।

सड़कें

१५२. श्री नानादास : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त १९४७ के बाद बनाई गई नई सड़कों की कुल लम्बाई कितने मील है ; तथा

(ख) पक्की सड़कों की कुल लम्बाई कितने मील है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : नगरपालिकाओं द्वारा बनाई गई सड़कों सम्बन्धी वांछित जानकारी प्राप्य नहीं है ।

विभाजन के तुरन्त बाद भारत संघ में नगरपालिकाओं की सड़कों के अतिरिक्त अन्य सड़कों की लम्बाई के जो आंकड़े सब से पहले के उपलब्ध हैं उन से ३१ मार्च १९४८ की स्थिति का ज्ञान होता है । सब से बाद के आंकड़े ३१ मार्च १९५० की स्थिति बताते हैं किन्तु ये भी केवल अन्तर्कालीन हैं क्यों कि सम्पूर्ण आंकड़े अभी पश्चिमी बंगाल सरकार से आने हैं । प्राप्य आंकड़ों के आधार पर वांछित जानकारी निम्न रूप में दी जाती है :—

(क) ३१ मार्च १९४८ से ३१ मार्च १९५० के बीच बनाई गई नईसड़कों की लम्बाई मीलों में—११,२६९

(ख) इसी बीच में बनाई गई पक्की सड़कों की लम्बाई मीलों में—४,६७५.

चाय बगान श्रमिकों के बच्चों के लिये प्राथमिक पाठशालायें

१५३. श्री दशरथ देव : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के कितने चाय बगानों में वहां के श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक पाठशालाएं हैं;

(ख) त्रिपुरा के किन चाय बागान में प्राथमिक पाठशालाएं नहीं हैं; तथा

(ग) क्या सरकार का विचार उन चाय बगानों में जहां कि इस प्रकार की पाठशालाएं नहीं खोली गई हैं प्राथमिक पाठशालाओं के खोलने की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही करने का है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) सोलह ।

(ख) ३७ चाय बागानों में प्राथमिक पाठशालाएं नहीं हैं । किन्तु फिर भी इन बागानों के कर्मचारियों के बच्चों को बागानों की निकटवर्ती पाठशालाओं में शिक्षा-सुविधाएं मिल जाती हैं ।

(ग) बागान मज़दूर अधिनियम, १९५१, की धारा १४ राज्य सरकारों को यह अधिकार देती है कि वे ऐसे नियम बनायें जिस के अनुसार प्रत्येक मालिक को अपने बागान के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करनी अनिवार्य हो । शिक्षासम्बन्धी सुविधाओं के बारे में भारत सरकार द्वारा आदर्श नियम बना लिये गये हैं और शीघ्र ही उन को अन्तिम रूप दिया जायगा । जब राज्य सरकारों द्वारा ये नियम प्रकाशित एवं लागू किये जायेंगे, तब चाय बागानों में अधिक पाठशालाओं की स्थापना की जायगी ।

त्रिपुरा में चाय बगान

१५४. श्री दशरथ देव : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के चाय बागान क्षेत्रों के कारखानों में प्रायः दुर्घटनायें होती रहती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की प्रायः होने वाली दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं; तथा

(ग) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं ।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) त्रिपुरा सरकार को इन चाय बागान क्षेत्रों के कारखानों की किसी भी दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

सूअर के बाल

१५५. डा० सत्यवादी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५३–५४ में, देश में सूअर के बाल की कुल पैदावार सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं;

(ख) उस वर्ष की देश की खपत तथा निर्यात के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) १९५३–५४ में इन का स्थानीय और विदेशी बाजारों में अधिक से अधिक और कम से कम प्रति मन मूल्य कितना रहा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५३–५४ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । सुअर के बालों की पैदावार का अनुमान हर पांच वर्ष में होने वाली पशु-गणना के आधार पर किया जाता है । १९४५ की पशु-गणना से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के आधार पर अनुमानित पैदावार मोटे तौर से ५ या ६ लाख पौंड प्रति वर्ष है ।

(ख) १९५३–५४ के देश की खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । १९५२–५३ में अनुमान किया गया था कि १,३५,३५८ पौंड की खपत हुई है । तथा १९५३–५४ में ३,०३,८५६ पौंड का निर्यात हुआ है ।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ३३**]

लंका की मछली पकड़ने वाली नावें

१५६. { **श्री वी० पी० नायर** :
श्री **युनूस** :
श्री **शिवनंजप्पा** : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को १९५४ में इस की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि लंका की मछली पकड़ने वाली नावें कुमारीअंतरीप के आस पास के भारतीय जल प्रांगण में मछलियां पकड़ा करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार पड़ोसी देशों के साथ मछली पकड़ने के सम्बन्ध में कोई ऐसा समझौता करने का विचार कर रही है जिस के द्वारा भारतीय तट से १०० फ़ैदम लाइन तक, भारतीय मछुहरों का मछली पकड़ने का सम्पूर्ण एकाधिकार सुरक्षित किया जा सके; तथा

(घ) सरकार ने भारतीय जल प्रांगण में, विदेशी मछली पकड़ने वाले उपक्रमों के प्रवेश को रोकने के क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, परन्तु इन शिकायतों की पुष्टि करने के लिये अभी तक वहां कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) तथा (घ). इस समय इस की कोई जानकारी देना लोकहित के प्रतिकूल होगा ।

विद्यार्थियों में अहार पोषण की गड़बड़ी

१५९. श्री वी० पी० नायर : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय विद्यार्थियों में फैली हुई आहार पोषण की गड़बड़ी का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आहार पोषण की गड़बड़ी तथा रोगों से ग्रसित विद्यार्थी कितने प्रतिशत अनुमान किये जाते हैं;

(ग) क्या स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की डाक्टरी देखभाल के सम्बन्ध में कोई अखिल भारतीय नीति है;

(घ) यदि हां, तो उस के विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) इस प्रकार का कोई योजनाबद्ध सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है। कुछ राज्यों में सीमित सर्वेक्षण किये गये हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, आहार पोषण की गड़बड़ी तथा रोगों से पीड़ित विद्यार्थी कितने प्रतिशत अनुमान किये जाते हैं, यह बताना संभव नहीं है। फिर भी नित्यक्रम तथा शीघ्र आहारपोषण सर्वेक्षण अनुसूची के अनुसार चिकित्सा गवेषणा भारतीय परिषद् के आदेश से १९५३ में उत्तर प्रदेश में जांचे गये १००० लड़कों के सर्वेक्षण का परिणाम सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ३४]**

(ग) तथा (घ). नहीं, परन्तु स्कूलों की स्वास्थ्य सेवा की एक अग्रिम परियोजना भारत सरकार के विचाराधीन है। स्वास्थ्य मंत्रियों का ध्यान, इस प्रकार की देख भाल की आवश्यकता के सम्बन्ध में अनेक बार आकर्षित किया गया है।

मनीपुर राज्य सड़क परिवहन

१६०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर राज्य सड़क परिवहन विभाग ने १९५३–५४ के आयव्ययक का दो लाख रुपया अध्यर्पित कर दिया है जिस का उपबन्ध बसों, ट्रकों अथवा स्टेशन वैगनों के क्रय करने के लिये किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस के कारण; तथा

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर

१६१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है; तथा

(ख) १९५३ तथा १९५४ में कोयले के निर्यात के द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) लगभग ३,४१,००० ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे सम्बन्धी दावे

१६२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में उत्तर रेलवे में कुल कितनी धन राशि के रेलवे सम्बन्धी दावे उपस्थित किये गये; तथा

(ख) क्या यह सच है कि दावों के निपटाये जाने में बहुधा विलम्ब होता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दावेदार जितनी धनराशि के दावे करते हैं उस के आंकड़े रेलवे द्वारा नहीं रखे जाते हैं क्योंकि कभी कभी दावेदार किसी राशि का उल्लेख नहीं कर

हैं तथा कभी कभी दावे की राशि इतनी बड़ी होती है कि निपटाये गये तथा भुगतान किये गये दावों के साथ उन का कोई मेल नहीं होता है ।

(ख) किसी किसी मामले में हो सकता है, कुछ विलम्ब हुआ हो परन्तु सामान्य रूप से रेलवे दावों को निपटाने का शीघ्रातिशीघ्र प्रबन्ध करती रही है । उत्तर रेलवे में १९४८–४९ में दावों को निपटाने में लगने वाला औसत समय ७९ दिन होता था । अब वही १९५२–५३ में घट कर केवल ६५ दिन रह गया है ।

रेलवे के क्वार्टर

१६३. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के चतुर्थ वर्ग रेलवे कर्मचारियों की कुल संख्या जिन को जुलाई १९५४ तक रहने के क्वार्टर नहीं दिये गये हैं कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : ३७,७६३ ।

रेलवे कुलियों की वर्दियां

१६४. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर रेलवे के कुलियों को प्रति वर्ष वर्दियों के कितने जोड़े दिये जाते हैं; तथा

(ख) इन कुलियों से इन वर्दियों का मूल्य किस दर से वसूल किया जाता है तथा इस की वसूली किस आधार पर की जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हर एक को प्रति वर्ष वर्दियों के दो जोड़े दिये जाते हैं ।

(ख) एक वर्दी की लागत पांच रुपये दो आने होती है । रेलवे के द्वारा कुलियों की दी जाने वाली वर्दियों का मूल्य 'न लाभ, न हानि' के आधार पर वसूल किया जाता है ।

भारतीय मुर्गी आदि (गवेषणायें)

१६५. श्री बर्मन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशी मुर्गों को सफेद लेगहार्न, र्‌होड आईलैण्ड रेड बार्ड प्लाइमाउथ राक इत्यादि जैसे विदेशी नस्लों के तथा मिलावट की सन्तानों के साथ मिला कर किस पीढ़ी तक गवेषणा की गई है;

(ख) क्या कुछ पीढ़ियों के बाद पैदा होने वाले पक्षियों के स्वास्थ्य में कोई कुप्रभाव पाये गये हैं; तथा

(ग) अभी तक जितनी नसलें निकाली गई हैं उन में सब से उत्तम नसल की अण्डा देने की क्षमता में कहां तक विकास किया जा चुका है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) देशी नसल के मुर्गों को विदेशी नसलों के साथ मिलाने के सम्बन्ध में, भारतीय पशु चिकित्सा गवेषणा संस्था इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश) मध्य प्रदेश तथा बम्बई में गवेषणायें की गई हैं;

(१) आई० वी० आर० आई०, इज्जतनगर (यू० पी०) : मिली जुली नसलें सफेद लेगहार्न, र्‌होड आइलैण्ड रेड, बार्ड प्लाईमाउथ राक, देशी तथा उपर्युक्त किस्म के विदेशी मुर्गों के मेल से पैदा की जाने वाली सन्तानों के आपसी मिलावट से पैदा की गई हैं । १९४१ से सफेद लेगहार्न, र्‌होड आइलैण्ड रेड तथा एक प्रकार के देशी मुर्गे की बारह पीढ़ियां पैदा की गई हैं ।

(२) मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश में सफेद लेगहार्न तथा र्‌होड आइलैण्ड जाति के मुर्गोंको देशी मुर्गियों के साथ मिला कर अच्छी नसल की मुर्गियां पैदा की गई हैं और अब वहां सातवीं पीढ़ी की नस्ल उपलब्ध है ।

(३) बम्बई : बम्बई में चटगांव नस्ल का र्‌होड आइलैण्ड रेड के साथ मेल किया गया है तथा लाइट ससेक्स तथा देशी का सफेद लेगहार्न के साथ मेल किया गया है।

(ख) ऊपर बताई गई सब गवेषणाओं में विभिन्न नसलों या मेलजोल से पैदा की जाने वाली नसलों के स्वास्थ पर कोई कुप्रभाव नहीं पाया गया है ।

(ग) इज्जतनगर तथा मध्य प्रदेश में देशी बुनियादी नसल का ४८ अण्डों का औसत वार्षिक उत्पादन र्‌होड आइलैण्ड रेड तथा सफेद लेगहार्न नसलों का पांचवीं पीढ़ी में क्रमशः बढ़ कर १४६ तथा १४२.५ हो गया है । अच्छे भोजन तथा रहने के अच्छे प्रबन्ध के कारण देशी पक्षियों की अण्डा देने की क्षमता भी दुगनी हो गई है । इज्जत-नगर का वर्तमान वार्षिक उत्पादन निम्नलिखित है :

सफेद लेगहार्न	१५५.७
र्‌होड आईलैण्ड रेड	१५६.८
बार्ड प्लाईमाउथ राक	१५६.१
देशी	१३४.३
सफेद लेगहार्न ५ एक्स	१५३.६
र्‌होड आईलैण्ड ५ एक्स	१६०.८
बार्ड प्लाईमाउथ राक ३ एक्स	१६२.३

बम्बई में (क) (३) वर्णन किये गये नसलों के मेल के परिणामस्वरूप औसत उत्पादन बढ़कर क्रमशः १३८.३०,१४६.४० तथा १०१.५ अण्डे हो गया है ।

उड़ने योग्य होने के प्रमाण पत्र

१६६. सरदार हुकम सिंह : क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) जून १९५४ के अन्त में रजिस्ट्री के चालू प्रमाण पत्र रखने वाले विमानों की संख्या कितनी है; तथा

(ख) उपर्युक्त (क) की संख्या में कितने विमानों के पास उड़ने योग्य होने के चालू प्रमाण पत्र हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ६२७ ।

(ख) १८४ ।

विमान चालकों के लाईसेंस

१६७. सरदार हुकम सिंह: क्या **संचार** मंत्री १ जुलाई, १९५४ को नवीनतम लाइसेंस रखने वाले 'क' 'क १' तथा 'ख' विमान चालकों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : 'क' लाइसेंस वाले विमान चालक—४७५, 'क-१' लाइसेंस वाले—२, तथा 'ख' लाइसेंस वाले—५६६ ।

दिल्ली परिवहन सेवा

१६८. सेठ गोविन्द दास : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में दिल्ली परिवहन सेवा में कितनी बसें और बढ़ाई गई हैं;

(ख) जून १९५४ तक किन मार्गों पर आधे आधे घंटे पर बसें चली थीं; और

(ग) इस काल में कितनी बस की दुर्घटनायें हुईं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ६१ ।

(ख) मार्ग संख्या १, ४, ६, ७, १०, १६, २४, २५ और ३० पर।

(ग) १७५ दुर्घटनायें हुईं, जिन में से १३ बड़ी और शेष १६२ छोटी दुर्घटनायें थीं।

अन्तर्राष्ट्रीय डाक सम्बन्ध

१६९. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय डाक सम्बन्धों की कार्यपालिका तथा सम्पर्क समिति के सदस्य के रूप में भारत का क्या स्थान है; तथा

(ख) विश्व डाक संघ के सदस्य होने के क्या मुख्य मुख्य लाभ हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कार्यपालिका तथा सम्पर्क समिति के सदस्य के रूप में भारत अन्य उन्नीस देशों के साथ मिल कर पंच वार्षिक कांग्रेसों के बीच विश्व डाक संघ के कार्य को जारी रखता है ।

(ख) विश्व डाक संघ के सदस्य होने के नाते भारत को यह लाभ प्राप्त होते हैं :

(१) संघ के देशों के साथ पत्रव्यवहार का परस्परिक विनिमय, जबकि संघ की सदस्यता के न होने पर केवल विश्व के देशों के साथ किये गये अनेकों द्विपक्षीय समझौतों के द्वारा ही संभव हो सकता है ।

(२) इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहकार्यता की प्रगति ।

(३) यदि किसी अन्य देश के साथ कोई झगड़ा हो जाये, तो पंच-निर्णय के द्वारा उस का फैसला ।

(४) सघ के अन्य देशों के इलाकों में हमारी डाक के आने जाने की स्वतंत्रता ।

(५) स्थल तथा वायु मार्ग दोनों के द्वारा डाक के आवागमन के लिये एक समान दर का लाभ; और

(६) दूसरे प्रशासनों के अनुभव पर आधारित प्राविधिक परामर्श का लाभ ।

बिजली के इंजन तथा डिब्बे

१७०. श्री तुषार चटर्जी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश की वर्तमान बिजली से चलने वाली रेलवे लाइनों के लिये कितनी बिजली के इंजनों तथा डिब्बों की आवश्यकता है;

(ख) इस आवश्यकता को कहां तक देश में बने हुए सामान से पूरा किया जाता है और कितनी आवश्यकता विदेशों से आयात द्वारा पूरी की जाती है; तथा

(ग) पहले से प्रारम्भ की गई विद्युन्मय लाईनों की नवीन परियोजनाओं के लिये कितनी अतिरिक्त आवश्यकता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) आवश्यकताओं में समय समय पर अन्तर होता रहता है, किन्तु कोई लगभग ७७ बिजली के इंजनों और कोई ६७० बिजली के उपनगरीय प्रकार के डिब्बों की आवश्यकता है ।

(ख) अब तक सारी आवश्यकता की आयात द्वारा पूर्ति की जाती थी ।

(ग) यह अभी तक विचाराधीन है परन्तु कोई १३० डिब्बों और १५ इंजनों के लिये अगले वर्ष के आयव्ययक में उपबन्ध किया जायेगा ।

शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बे

१७१. { पण्डित डी० एन० तिवारी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बे अधिकतर खाली चलते हैं;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बों की संख्या; तथा

(ग) १९५३-५४ । शीतोष्ण नियंत्रित डिब्बों से कितनी आमदनी हुई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख)	केन्द्रीय	१४
	पूर्वी	२०
	उत्तरी	५
	दक्षिणी	९
	पश्चिमी	२४
		७२

(ग) लगभग ४७,२७,६६६ रुपये ।

फीरोजाबाद स्टेशन पर बिजली लगाना

१७२. चौधरी रघुबीर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार का विचार टूंडला और शिकोहाबाद के बीच स्थित फीरोजाबाद स्टेशन पर बिजली लगाने का है; तथा

(ख) यदि हां, तो कब तक इस लाइन पर बिजली लगा दी जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). टूंडला और शिकोहाबाद की बीच लाइन को विद्युन्मय करने का कोई विचार नहीं है । अपितु यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ग्रिड प्रणाली से बिजली दे दी तो फीरोजाबाद स्टेशन पर १९५४-५५ में बिजली लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

पत्र पत्रिकायें

१७३. श्री विभूति मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न भाषाओं में कृषि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्र पत्रिकाओं के नाम क्या हैं;

(ख) गांवों में उन की खपत कितनी है; तथा

(ग) इन पत्र-पत्रिकाओं को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और उस का परिणाम क्या हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५].

प्रवीण तथा अप्रवीण मजदूर

१७४. पण्डित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१ से लेकर काम दिलाऊ दफ्तर में पंजीबद्ध (प्रवीण तथा अप्रवीण) बेकार मजदूरों की संख्या ;

(ख) काम दिलाऊ दफ्तर के रजिस्टरों में दर्ज कितने प्रतिशत बेकार व्यक्तियों को प्रति वर्ष काम मिल रहा है;

(ग) प्रति वर्ष कितने प्रतिशत अतिरिक्त पंजीयन होता है; तथा

(घ) किन महीनों में, कारोबार के लिये प्रार्थियों की संख्या अधिकतम थी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग) तीन विवरण सभा पटल पर रख जाते हैं । [**देखिये** परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६].

(घ) सामान्यतया नौकरी के लिये प्रार्थियों की अधिकतम संख्या प्रति वर्ष जून और जुलाई के महीनों में होती है ।

सड़क परिवहन में रेलवे द्वारा विनियोजन

१७५. श्री के० सी० सोधिया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य प्रदेश में बस परिवहन सेवाओं में रेलवे द्वारा विनियोजित कुल धन राशि;

(ख) उन समवायों की संख्या, जिन में धन विनियोजित किया गया है;

(ग) प्रत्येक में कितना धन विनियोजित किया गया है;

(घ) क्या इन सेवाओं के प्रबन्ध में रेलवे मंत्रालय का कुछ हाथ है, और यदि हां तो क्या; तथा

(ङ) सन् १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में इन विनियोजनों के प्राप्त हुए लाभ की कुल रकम ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख)। मध्य प्रदेश में इस समय काम करने वाली दो परिवहन सेवाओं में, अर्थात् मध्य प्रदेश परिवहन सेवा लिमिटेड, नागपुर तथा प्रान्तीय परिवहन सेवा लिमिटेड, नागपुर, रेलवे ने अब तक १८,१३,३०० रुपये की राशि विनियोजित की है ।

(ग) केन्द्रीय परिवहन सेवा लिमिटेड में ९,६६,५००० रुपये और प्रान्तीय परिवहन सेवा लिमिटेड में ८,४६,८०० रुपये ।

(घ) जी हां। इन परिवहन सेवाओं के कामों का प्रबन्ध उन के अपने निदेशक बोर्डों द्वारा किया जाता है, जिन में से प्रत्येक में रेलवे के दो निदेशक हैं ।

(ङ) सन् १९५२–५३ में रेलवे द्वारा लाभांश के रूप में प्राप्त लाभ (कर मुक्त) ८७,३४८ रुपये है ।

१९५३–५४ के लेखा का अभी तक लेखा परीक्षण नहीं हुआ है ।

दिल्ली काम दिलाऊ दफ्तर

१७९. श्री राजगोपाल राव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२, १९५३ और जनवरी-जून १९५४ में प्रादेशिक काम दिलाऊ दफ्तर, दिल्ली में, क्लर्की तथा अन्य पदों पर सेवा के लिये पंजीबद्ध हुए व्यक्तियों की संख्या ;

(ख) इन पंजीबद्ध व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को नौकरी दिलाई गई है;

(ग) क्या ऐसे भी कोई मामले हैं जिन में १९५३ में पंजीबद्ध हुए व्यक्तियों को नौकरी के लिये नहीं बुलाया गया है, जब कि बाद में पंजीबद्ध हुए व्यक्तियों को नौकरियां भी मिल चुकी हैं, जब कि दोनों ही योग्यताएं समान थीं; तथा

(घ) क्या इस दफ्तर द्वारा दिखाये जाने वाले पक्षपात सम्बन्धी किसी ऐसी शिकायत की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, और यदि हां, तो क्या उन मामलों की जांच की गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिदअली) : (क) और (ख)। पंजीयन तथा नौकरी दिलाने का विवरण नीचे दिया जाता है ।

वर्ष	पंजीयन			नौकरी दिलाई गई		
	क्लर्की	अन्य पद	योग	क्लर्की	अन्य	योग
१९५२	१८,५८७	४२,०८५	६०,६७२	१,९२७	६,३९४	८,३२१
१९५३	२०,५८९	३५,६२८	५६,२१७	१,८००	३,५६२	५,३६२
१९५४ (जनवरी-जून)	१०,२०२	२१,५३७	३१,७३९	१,०५६	१,९१०	२,९६६

(ग) जी नहीं, अनाकर्षक शर्तों वाली अत्यावश्यक या तुरन्त मांगों के अतिरिक्त, जिन के लिये मौके पर उपलब्ध अभ्यर्थियों को भेजना पड़ता है, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है ।

(घ) जी, नहीं । यदि किसी विशेष मामले की सूचना सरकार को दी जायेगी, तो उस के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

पिछड़े हुए क्षेत्रों में डाकघर

१७७. श्री बहादुर सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछड़े हुए क्षेत्रों में जहां हानि की अनुज्ञेय सीमा १००० रुपये प्रति वर्ष तक बढ़ा दी गई है, १ अप्रैल, १९५३ से कितने डाक घर खोले गये हैं; तथा

(ख) इन डाकघरों को चलाने में वास्तव में कितनी हानि हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३४० ।

(ख) १,०२,३१४ रुपये ।

अन्वेषणात्मक नल-कूप

१७८. श्री भागवत झा आजाद : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन विदेशों सार्थों की संख्या जिन को केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत में अन्वेषणात्मक नल-कूप बनाने के ठेके दिये गये हैं; तथा

(ख) (१) एक विदेशी सार्थ द्वारा (२) एक भारतीय सार्थ द्वारा एक नल कूप लगाने में तुलनात्मक कितनी लागत आती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कोई नहीं । परियोजना के अधीन नल कूप बनाने का वास्तविक कार्य, विभाग द्वारा कराया जायेगा । किन्तु परामर्शक सेवाओं, प्रविधिक व्यक्तियों और सामान तथा उपकरणों के समाहार में सहायता देने के लिये एक अमरीकी सार्थ के साथ एक समझौता किया गया है ।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा विदेशी सार्थों को दिये गये ठेकों के अनुसार पम्पसेट तथा ट्रांसफ़ार्मर के साथ मुकम्मल ३०० फुट गहरे, प्रामाणिक प्रकार के नल कूप लगाने की लागत १९५२ के टी० सी० एम० कार्यक्रम के अनुसार २९,००० रुपये है और १९५३ के टी० सी० एम० कार्यक्रम के अनुसार २६,१०० रुपये है । क्योंकि इस प्रकार के कार्य का पर्याप्त अनुभव रखने वाला कोई भारतीय सार्थ नहीं है, इसलिये तुलना करना संभव नहीं है ।

जमालपुर रेलवे कारखानों में चोरियां

१७९. श्री भागवत झा आजाद : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जुलाई, १९५४, तक जमालपुर रेलवे कारखानों से चुराई गई चीज़ों का क्या मूल्य है;

(ख) क्या उनमें से कुछ चीज़ें मिल गई हैं; और

(ग) चुराई गई चीज़ों के रूप में सरकार को कुल कितनी हानि हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) चुराई गई चीज़ों का मूल्य अनुमानतः ४,५५० रु० है ।

(ख) जी हां, लगभग ३,००० रु० की चीज़ें प्राप्त हो गई हैं ।

(ग) १,७५० रु० ।

त्रिपुरा में कृषिऋण

१८०. श्री दशरथ देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ में त्रिपुरा में कृषि **ऋण** के लिये कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितने व्यक्तियों को **ऋण दिये** गये; और

(ग) ऐसे मामलों में दी गई न्यूनतम तथा अधिकतम धनराशियां क्या थीं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) तक। जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर पटल पर रखी जायेगी।

नलकूप

१८१. श्री के० पी० सिन्हा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ के लिये भारत-संयुक्त-राष्ट्र प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत जो २००० नलकूपों के बनवाने का विचार किया गया था उन में से कितने ठेकों पर और कितने राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वयं बनवाये जायेंगे; और

(ख) १९५३ के लिये भारत-संयुक्त-राष्ट्र प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १५०५ कूप ठेकेदारों द्वारा बनवाये जा रहे हैं और ४९५ सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा ।

(ख) १९५३ के कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूप-निर्माण सम्बन्धी दो योजनायें हैं उदाहरणत: (१) उत्पादन हेतु ६५० नलकूपों की योजना (२) ३५० परीक्षात्मक नलकूपों की योजना ।

पहली योजना के अन्तर्गत ६५० नलकूपों में से ४८५ ठेकेदारों द्वारा बनवाये जायेंगे और १६५ विभागीय रूप से । ४८५ कूपों के सम्बन्ध में ठेकेदारों ने प्रारम्भिक तैयारियां कर ली हैं और सितम्बर, १९५४ से काम के प्रारम्भ होने की आशा है । १६५ विभागीय कूपों में से ३५ बिहार में बनवाये जायेंगे और शेष १३० उत्तर प्रदेश में जहां ३१ जुलाई, १९५४ तक ६९ कूप खोदे जा चुके हैं और ६३ तैयार हो गये हैं ।

३५० परीक्षात्मक नलकूपों की योजना के अन्तर्गत विभागीय रूप से काम हो रहा है और नवम्बर, १९५४ में उस के प्रारम्भ होने की संभावना है ।

समुद्र पार देशों में प्रशिक्षित भारतीय

१८२. श्री अजित सिंह : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय स्टाफ के कितने सदस्य फ्रांस में मेसर्ज ला सौसियेटे अनॉनीम दे ज़ातल्ये ए ला लोविया द परी (ए सी एल) के कारखाने में प्रशिक्षित हुये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जहां तक सरकार को ज्ञात है फ्रांस में मेसर्ज़ ला सौसियेते अनॉनीम दे ज़ातल्ये ए ला लोविया द परी (ए सी एल) नाम की कोई फर्म नहीं है । हां नान्त में आतल्ये शांतिये द ला ल्वार नाम की एक फर्म अवश्य है जिस में अभी तक केवल ३ भारतीयों का प्रशिक्षण हेतु प्रवेश हुआ है । इस समय इस फर्म में कोई भारतीय प्रशिक्षार्थी नहीं है ।

पर्यटकों का यातायात

१८३. श्री अजित सिंह : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ में कितने पर्यटक भारत में आये और किन किन देशों से; और

(ख) क्या यह सत्य है कि पर्यटकों की यह सामान्य शिकायत है कि पत्तनों पर उन को सीमाशुल्क प्राधिकारियों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और यदि हां, तो इस विषय में क्या किया जा रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५३ में किस किस राष्ट्र से कितने पर्यटक इस देश को आये इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट ३, **अनुबन्ध संख्या ३७**]

(ख) पर्यटकों के व्यक्तिगत सामान को ले जाने की अनुमति के सम्बन्ध में पैदा होने वाली कठिनाइयों के विशिष्ट प्रकरणों की ओर सदैव ध्यान दिया जाता है, और यथासंभव ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। जल्दी निकासी सामान का नियंत्रित परीक्षण, निकासी के विशेष प्रबन्ध, जलयान और वायुयान अभिकर्ताओं द्वारा पर्यटकों को अपनी यात्रा के दौरान में ही सामान घोषणा प्रपत्र की उपलब्धि सम्बन्धी मामलों में पर्यटकों को विशेष सुविधायें दी जाती हैं। सीमा शुल्कों के अग्रेतर सरलीकरण का प्रश्न निरन्तर सरकार के विचाराधीन है।

स्नातकोत्तर डाक्टरी शिक्षा

१८४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कितने विद्यार्थी गत पांच वर्षों में हर साल स्नातकोत्तर डाक्टरी शिक्षा के लिये इंगलैंड भेजे गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : गत पांच वर्षों में चुने गये अभ्यर्थियों में से किसी ने अपने को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का नहीं बताया।

रेलवे दुर्घटनाओं की जांच समिति

१८५. **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री एम० एल० अग्रवाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे दुर्घटनाओं की जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां तो उस की सिफारिशें क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख)। जी हां, और सिफारिशों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी गई है।

पेरम्बुर में रेल के सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना

१८६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरम्बूर में रेल के सवारी डिब्बे बनाने के कारखाने का निर्माण आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(ग) अब तक इस कारखाने के निर्माण पर कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां श्रीमान।

(ख) १९५५ के अन्त तक।

(ग) जुलाई, १९५४ के अन्त तक १,५९,७६,४४८ रु० खर्च हुए।

सादाबाद में टेलीफोन व्यवस्था

१८७. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ज़िला मथुरा (उत्तर प्रदेश) में सादाबाद नामक स्थान पर टेलीफोन व्यवस्था के लगाये जाने के सम्बन्ध में जो जांच की गई थी, उस का क्या परिणाम हुआ ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : सादाबाद में टेलीफोन करने के एक सार्वजनिक स्थान के खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और निकट भविष्य में ही उस के खुल जाने की आशा है ।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये अन्न प्रतिकर भत्ता

१८८. **डा० सत्यवादी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिमला में स्थित डाक तथा तार कर्मचारियों से अन्न प्रतिकर भत्ते के अधिक भुगतान को फिर से वसूल करने के क्या कारण थे जब कि डाक तथा तार महासंचालक के कर्मचारिवृन्द को इस सम्बन्ध में छूट दे दी गई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : शिमला के निदेशालय के कर्मचारिवृन्द को अन्न प्रतिकर भत्ते के रूप में अधिक भुगतान की बात जब १९४७ में प्रकाश में आई तब यह निर्णय हुआ कि उनके मामले में इस की छूट दे देनी चाहिये । परन्तु शिमला के अन्य डाक तथा तार कार्यालयों के कर्मचारिवृन्द के सम्बन्ध में अधिक भुगतान की सूचना १९५० के अन्त में मिली । इस प्रश्न पर विचार हुआ और नवम्बर १९५१ में निर्णय हुआ कि १-११-५१ को शेष रह जाने वाली रकम छोड़ दी जाये । जो रकम वसूल हो चुकी थी सरकार उस को निकालने के लिये सहमत नहीं हुई क्योंकि यह उस नीति के विरुद्ध है जिस का ऐसे मामलों में सामान्यत: अनुकरण किया जाता है ।

उद्योग तथा श्रम सम्बन्धी संयुक्त मंत्रणाबोर्ड

१८९. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में उद्योग तथा श्रम सम्बन्धी संयुक्त मंत्रणा बोर्ड का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : सरकार का उद्योग तथा श्रम सम्बन्धी संयुक्त मंत्रणा बोर्ड के पुनर्गठन से, जो कि एक स्वतंत्र और गैर-सरकारी संघठन है, कोई सरोकार नहीं है । बोर्ड ने अपना पुनर्गठन द्विपक्षीय गैर सरकारी संघठन के रूप में किया जिस में उन चारों संघटनों के दो दो प्रतिनिधि रहेंगे जिन के मिलने से आरम्भ में यह बोर्ड स्थापित हुआ था, उदाहरणत:

नियोजक : (१) औद्योगिक नियोजकों का अखिल भारतीय संघटन
(२) भारत नियोजक संघ

श्रमिक : (१) भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ
(२) हिन्द मजदूर सभा

इस के अतिरिक्त बोर्ड के सदस्यों की परस्पर सम्मति से एक स्वतंत्र सभापति का निर्वाचन हुआ ।

रेलवे में पदवृद्धियां

१९०. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि प्रभारी सहायकों तथा अधीक्षकों की श्रेणियों के लिए होने वाली पदवृद्धियों में कई अनियमिततायें हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या उपाय करने का विचार करती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) । जी नहीं । युद्ध तथा विभाजन से पैदा होने वाली दशाओं के कारण प्रभारी सहायकों के सम्बन्ध में कुछ सालों तक चुनाव करना संभव न था । सम्बन्धित संचालक की सिपारिश के आधार पर प्रत्येक विभाग में से अस्थायी रूप में उन स्थानों को पदवृद्धियां की गईं । अधीक्षकों तथा प्रभारी सहायकों के चुनाव के लिये प्रवर समिति द्वारा अन्य कर्मचारिवृन्द के साथ इस प्रकार से अभिवर्द्धित व्यक्तियों की अब परीक्षा ली गई है तथा इस समिति की सिफारिशें रेलवे बोर्ड के विचाराधीन हैं ।

मेसर्स स्पेंसर्स

१९१. श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स स्पेंसर्स ने दक्षिण रेलवे की अपनी जलपान व्यवस्था समाप्त कर दी है;

(ख) अब तक समाप्त किये गये संस्थापनों की संख्या क्या है; **और**

(ग) मेसर्स स्पेंसर्स की सेवाओं से अब तक लाभ उठाने वाले यात्रियों की जलपान सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां । मेसर्स स्पेंसर्स एण्ड कं० ने दक्षिण रेलवे के अपने जलपान सम्बन्धी ४६ संस्थापनों में से ४२ के ठेके समाप्त कर दिये हैं ।

(ख) ४२.

(ग) मेसर्स स्पेंसर्स ऐण्ड कम्पनी द्वारा छोड़े गये ४२ ठेकों में से ५ को एक अन्य फर्म ने ले लिया है । शेष ३७ के विषय में स्थिति यह है कि १३ स्टेशनों पर सामिष उपाहार गृह खोले जा रहे हैं। ये उपाहार गृह भी उसी प्रकार सेवा करेंगे जैसी कि मेसर्स स्पैंसर ऐण्ड कम्पनी द्वारा की जाती थी । छः अन्य स्टेशनों पर पहले से ही सामिष उपाहार गृह विद्यमान हैं और इसी प्रकार की सेवा की व्यवस्था वहां भी उपलब्ध होगी । शेष १८ स्टेशनों पर मैसर्स स्पेंसर ऐण्ड कम्पनी द्वारा की गई उस प्रकार की सेवा की कोई मांग नहीं है, अतः वहां किसी प्रकार का विशेष प्रबन्ध करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

चीनी उद्योग के विकास के लिये राज्यों को अनुदान

१९२. श्री आर० एन० सिंह: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन से राज्य सहकारी समितियों के द्वारा चीनी उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) किन किन राज्यों में ऐसी सहकारी समितियां आरम्भ करने का विचार है; **और**

(ग) ऐसे अनुदानों के लिये किन किन राज्यों ने प्रार्थना पत्र भेजे हैं और उन में से प्रत्येक को कितना कितना रुपया दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कोई नहीं ।

(ख) नयी चीनी की मिलें स्थापित करने के लिये बम्बई, आन्ध्र, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में कुछ सहकारी समितियों को संगठित किया गया है ।

(ग) सहकारिता के आधार पर चीनी की मिलें खोलने के लिये किसी भी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुदान मांगने के लिये प्रार्थना पत्र नहीं भेजा है । ऐसी सहकारी समितियों द्वारा ऋण केलिये प्राप्त निवेदनों पर औद्योगिक वित्त निगम अनुकूल विचार करेगा ।

एअर इंडिया इन्टरनेशनल विमान

१९३. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ जुलाई, १९५४ को लगभग ४-३० म० पू० (जी० एम० टी०) पर जब कि एअर इण्डिया इन्टरनेशनल विमान हेनान द्वीप को पार करते समय बम्बई से टोकियो परीक्षण यात्रा पर जा रहा था तो दो अमरीकी जेट फाइटर विमान आ कर उस के ऊपर मंडलाने लगे; **और**

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अमरीकी सरकार के पास विरोध प्रकट किया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जब कि एअर इण्डिया इन्टरनेशनल विमान हेनान से हो कर निकल रहा था, तो दो ऐसे विमान उस के पास आये जिन्हें पहचाना नहीं जा सका। उन विमानों से रेडियो सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका किन्तु एअर इण्डिया विमान के समीप लगभग २० मिनट तक उड़ने के पश्चात् वे वापस चले गये।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। जेट फाइटर विमान उस विमान के ऊपर से स्पष्टतः उसे पहचानने के प्रयोजन से ही उड़ते रहे थे।

मैसूर में नये डाकखाने

१९४. श्री एन० राघय्या : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसूर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकखाने खोलने के सम्बन्ध में कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं; और

(ख) यदि ऐसा है तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रकार के कितने डाकखाने खोले जा चुके हैं?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मैसूर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकखाने खोलने के विषय में १-४-१९५४ तक १२७ आवेदन पत्र विचाराधीन थे और १९५४-५५ में ३६ आवेदन पत्र और प्राप्त हो चुके हैं।

(ख) इन में से ४३ डाकखाने खोलने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

१२ आवेदन पत्र ऐसे स्थानों के बारे में हैं जहां नये डाकखाने खोलना न्यायोचित नहीं है। १०८ आवेदन पत्रों पर अभी जांच की जा रही है।

रेलों में अपराध

१९५. श्री आर० एन० सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में ३१ जुलाई तक गाड़ियों में हुई चोरियों तथा हत्याओं के मामलों की संख्या;

(ख) इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त जीवन तथा सम्पत्ति की कुल हानि;

(ग) यात्रियों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं; और

(घ) हानि उठाने वालों को प्रतिकर के रूप में कितनी राशि दी जा चुकी है?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सवारी गाड़ियों में चोरियां १,४०८

सवारी गाड़ियों में हत्यायें ३

(ख) जीवन की हानियां ३

सम्पत्ति की हानि लगभग ५.२८ लाख रुपया

(ग) इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(१) महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों में सशस्त्र मार्गरक्षकों की व्यवस्था;

(२) खिड़कियों में लोहे की छड़ें तथा गाड़ी के डिब्बों के दरवाजों में सुरक्षा सिटकिनियों का लगवाना;

(३) महिलाओं के डिब्बों को यथासम्भव गाड़ी के मध्य में रखना;

(४) रात्रि में महिलाओं के अकेले यात्रा करने पर तृतीय श्रेणी के टिकट पर एक नौकरानी अथवा साथी को उच्च श्रेणी में अपने साथ ले जाने की अनुमति देना; और

(५) ऐसी घटनायें होने वाले क्षेत्रों में अपराधियों को घेरने के लिये स्थानीय पुलिस प्रहरी विभाग, रेलवे संरक्षण पुलिस तथा सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा बार-बार सम्मिलित आक्रमण किये जाते हैं ।

अग्रेतर हाल ही में यह निश्चय किया गया है :—

(१) कि सभी डिब्बों की खिड़कियों में ३ के स्थान पर ४ छड़ें लगवा दी जायें; और

(२) जब कि डिब्बे सामयिक मरम्मत के लिये कारखानों में जायें तो पाखाने की खिड़कियों की रक्षा के लिये उस की छड़ों में लोहे की पट्टियां लगा कर टांके लगा दिये जायें और कब्जे के पेंचों को कस कर उन पर गोल रिवटें कस दी जायें जिस से बाहर से खिड़की के द्वारा किसी प्रकार की तोड़ा-फोड़ी न हो सके ।

(घ) ये आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं ।

कलकत्ता बन्दरगाह के द्वारा निर्यात तथा आयात

१९६. श्री साधन गुप्त : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के प्रथम पांच मासों में कलकत्ता बन्दरगाह के द्वारा होने वाले निर्यातों तथा आयातों में अत्यधिक कमी हो गई है;

(ख) कलकत्ता पदाधिकारियों द्वारा इस समय में कमाई गई आय; और

(ग) १९५२ तथा १९५३ के इसी समय की तुलना में यह आय कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, १९५२ तथा १९५३ के इन्हीं मासों की तुलना में १९५४ के प्रथम पांच मासों में कलकत्ता बन्दरगाह के द्वारा किये गये निर्यात तथा आयात के टनों में काफी कमी हो गई है । आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :—

कुल टन भार

	१९५२	१९५३	१९५४
जनवरी	७,८०,२८३	६,५६,०९७	६,२२,७९७
फरवरी	८,७७,१६५	७,०९,५१५	५,६०,५४५
मार्च	८,९३,५७५	७,४१,०२२	६,१५,९४६
अप्रैल	९,२२,१३१	७,४९,०२९	५,८७,०५१
मई	९,२३,२४०	७,४९,९३५	५,८०,३९४

(ख) तथा (ग). १९५२, १९५३ तथा १९५४ में जनवरी से मई तक पैदा की गई आय के तुलनात्मक आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :—

	१९५२	१९५३	१९५४
	रु०	रु०	रु०
जनवरी	७४,७७,७११	६७,८५,५३५	६५,१६,३११
फ़रवरी	६७,१०,०७१	६५,८५,८६८	६६,०९,४८७

	१९५२	१९५३	१९५४
	रु०	रु०	रु०
मार्च	७७,०१,८३८	७७,०१,५०१	७७,४१,९५४
अप्रैल	६९,९८,८२९	६८,६९,६०७	६०,३३,७५५
मई	७६,४२,८१४	६२,२८,११५	६०,३६,६७६

रेलवे स्टेशनों का वर्गीकरण

१९७. श्री जांगड़े : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस आधार पर वर्तमान स्टेशनों का वर्गीकरण या क्रमस्थापन किया जाता है; और

(ख) पूर्वी रेलवे पर गोंदिया, बिलासपुर तथा रायपुर स्टेशनों को कौन से दर्जे दिये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री **अलगेशन**) : (क) विभिन्न स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों का वेतन क्रम स्टेशनों के महत्व, माल के भार तथा गाड़ियों के आने जाने की संख्या, उस के द्वारा पर्यवेक्षित कर्मचारियों की संख्या तथा अन्य न्यायसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुये निर्धारित किया जाता है।

(ख) गोंदिया, बिलासपुर तथा रायपुर स्टेशनों के लिये केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा निम्न वेतनक्रम निर्धारित किये गये हैं :--

गोंदिया	३००--२०--४०० रु०
बिलासपुर	२६०--१५--३५० रु०
रायपुर	३६०--२०--५०० रु०

विश्व वन सम्बन्धी महासभा

१९८. श्री गिडवानी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) इस वर्ष देहरादून में होने वाली चतुर्थ विश्व वन सम्बन्धी महासभा का प्राक्कलित व्यय;

(ख) क्या यह सच है कि प्रदर्शनी लगाने के लिये एक विशेष इमारत बनवाई गई है;

(ग) यदि ऐसा है तो उस इमारत की लागत; तथा

(घ) यह निर्माण स्थायी रूप से किया गया है अथवा कुछ समय के लिये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : प्राक्कलित सकल व्यय २,५८,००० रु० है; आय का प्राक्कलन २,०३,००० रु० किया गया है। इस प्रकार शुद्ध व्यय ५५,००० रु० होने की आशा है।

(ख) एक इमारत का निर्माण करवाया जा रहा है; यह भी प्रदर्शनी की वस्तुओं में से एक होगी।

(ग) इसकी प्राक्कलित लागत ७७,८७५ रु० है।

(घ) इसका निर्माण स्थायी आधार पर किया गया है।

कांदला में हवाई अड्डा

१९९. डा० राम सुभग सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कांदला में एक हवाई अड्डा बनवाने का विचार रखती है;

(ख) यदि ऐसा है तो निर्माण कार्य कब आरम्भ किये जाने की आशा है; और

(ग) उक्त हवाई अड्डे की प्राक्कलित निर्माण लागत क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) चालू वर्ष के अन्त तक।

(ग) १२ लाख रुपया।

मालगाड़ी की दुर्घटना

२००. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में १२५७ अप मालगाड़ी उत्तर रेलवे के हरदोई-बरेली खण्ड के करना स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिस के फलस्वरूप चालक और खलासी मर गये और इंजन तथा पांच माल डिब्बे पटरी से उतर गये और पांच माल डिब्बे बिल्कुल टूट फूट गये; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ५-८-१९५४ को लगभग ४ बज कर ४८ मिनट पर १२६७ अप मालगाड़ी,—१२५७ अप नहीं जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, करना स्टेशन के बजाय मसीत स्टेशन पर बालू के ढेर में घुस गई। इंजन पटरी से उतर गया, लोको रेस्ट-वान जो इस के पीछे थी, बिल्कुल टूट फूट गई। रेस्ट वान के पीछे वाले तीन डिब्बे पटरी से उतर गये और उलट गये। ड्राइवर तथा एक फायरमैन जो रेस्ट वान में आराम कर रहे थे, मर गये। १२ अन्य रेलवे कर्मचारियों के मामूली चोटें लगीं जिन में इंजन के चालकवृन्द भी सम्मिलित हैं।

(ख) दुर्घटना का कारण स्टेशन के अन्दर प्रवेश करने में अत्यधिक तीव्र गति से गाड़ी का चलाना तथा समय के अन्दर उस पर नियंत्रण न कर पाना था।

लोक-सभा

वाद-विवाद

बुधवार,
१ सितम्बर, १९५४

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

Preservation Unit
1-4-92
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

खण्ड ६, १९५४

(२३ अगस्त से ११ सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र

१९५४

विषय-सूची

खण्ड ६—२३ अगस्त, से ११ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
[सो]मवार २३ अगस्त, १९५४	
[श्र]ी सुरेशचन्द्र मजूमदार का देहान्त	१
[सभा-प]टल पर रखे गये पत्र—	
छठे सत्र में पारित विधेयक	२—३
नारियल जटा उद्योग नियम	३
केन्द्रीय रेशम कृमिपालन गवेषणा केन्द्र, बहरमपुर, सम्बन्धी प्रतिवेदन .	४
बाईक्रोमेट उद्योग के संरक्षण सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और सरकारी संकल्प	४
केन्द्रीय रेशम बोर्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन . . .	५
उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन	५
फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल द्वारा छोटे उद्योगों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सरकारी संकल्प	६
छठे सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश . .	७
भारत तथा चीन के प्रधान मंत्रियों का संयुक्त वक्तव्य . .	८—१०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . .	१०
चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . .	१०-११
अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर .	११
प्रेस आयोग का प्रतिवेदन, भाग १, १९५४	११
दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियां—संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन का उपस्थापन .	१२
सदन का कार्य	१२-१३
अध्यादेशों का प्रख्यापन	१४
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	१४-१५
भारतीय राष्ट्रजनों के पुर्तगाल क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध . . .	१५
गोआ की विशेष सांस्कृतिक स्थिति बनाये रखने का आश्वासन . .	१५
पुर्तगाली फौजों द्वारा नृशंस हत्या	१५
बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . .	१५-१८
भारत के पुर्तगाली राज्य क्षेत्रों में सत्याग्रहियों का निरोध . .	१८-१९
गोआ में सत्याग्रहियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक . . .	१९-२०
मथुरा में दंगे	२०
गोआ मुक्ति के सत्याग्रही	२०
निज़ामाबाद में पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना . . .	२०
सभापति तालिका	२१

स्तम्भ

सदस्य द्वारा पदत्याग २१

खाद्य अपमिश्रण विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . २२—९६

मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

आसाम, उत्तर बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य। . . . . ९७—१०४

पटल पर रखे गये पत्र—

अनुदानों की मांगों, (रेलवे) १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर . . १०४

हिन्द चीन में काम स्वीकार करने के सम्बन्ध में घोषणा . . . १०४

भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाली सरकार से पत्र व्यवहार . १०४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि १०४-१०५

खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त . . . १०५—१८८

बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

संसद् के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५३ के अधीन अधिसूचना १८९

संसद् के पदाधिकारी (मोटर कारों के लिये पेशगी) नियम, १९५३ १८९-१९०

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में संशोधन . १९०

परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेश १९०-१९१

अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) (शास्त्री न्यायाधिकरण) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के बारे में आदेश १९१

अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के कारणों का विवरण १९१-१९२

भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार से अग्रेतर पत्र व्यवहार १९२

सम्पत्ति शुल्क नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचनायें . . . १९२

प्राप्त याचिकायें—निम्नलिखित विषयों के बारे में :

विस्थापित व्यक्तियों को रहने के लिये दुबारा मकानों का दिया जाना . १९२

वर्ग पहेली योजनाओं पर निर्बन्धन १९२

सरायकेला खरसवान का उड़ीसा के साथ विलयन . . . १९२

"कर अपवंचक ऋण" का जारी किया जाना १९३-१९४

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . १९३-२०७

तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . २०७-२०८

खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त . . . २०८-२६०

बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

बैंक विवादों सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में सरकार द्वारा रूपभेद . . . २६१-२६२

पटल पर रखे गये पत्र—

टेलीग्राफ तारों का अवैध कब्जा रोकने के लिये नियम २६२

टेलीग्राफ तार (क्रय विक्रय की अनुज्ञा) नियम . . . २६३

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ के अधीन अधिसूचनायें . . २६३-२६४

आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण २६३-२६४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—दशम प्रतिवेदन का उपस्थापन २६३

रबड़ उत्पादन तथा वियणन (संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन २६४

काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन २६५

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय में वृद्धि २६५

खाद्य अपमिश्रण विधेयक—संशोधित रूप में पारित . . . २६५—३२३

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा और प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा—असमाप्त ३२३—३३८

शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

राज्य सभा से संदेश . . . . ३३९—३४१

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक १९५४—उपस्थापित याचिका . . ३४१

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—नहर पानी विवाद . ३४१—३४५

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पनर्वास) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ३४५

पटल पर रखे गये पत्र—

लालटेन उद्योग को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का एक संकल्प . . ३४६-३४७

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—चर्चा असमाप्त . . . . ३४७—३६५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव—स्वीकृत ३६५

हथ-करघा उद्योग के लिये सभी साड़ियों और धोतियों के उत्पादन के रक्षण के सम्बन्ध में संकल्प—अस्वीकृत . . . . . ३६५—४०७

कपड़ा तथा पटसन उद्योगों में आयोजित वैधानिकन की योजनाओं के सम्बन्ध में संकल्प—चर्चा असमाप्त . . . . . ४०८—४२०

सोमवार, ३० अगस्त, १९५४ — स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—
त्रावनकोर कोचीन में परिवहन सेवाओं के बारे में स्थिति — ४२१
पटल पर रखा गया पत्र—
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें — ४२१-४२२
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—
कानपुर के काठी तथा साज कारखाने में हड़ताल . . . — ४२२—४
सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, १९५३—वापस लिया गया — ४२६-४२७
सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . — ४२
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . — ४
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा—असमाप्त . — ४२७—४५१
बैंक विवाद सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने वाला सरकारी आदेश . . . . . . — ४५१—५१

मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—
बीमा अधिनियम, १९३८ के अधीन अधिसूचनायें . — ५१३-५१४
राज्य-सभा के सन्देश . . . — ५१०
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपा गया . . . — ५१४—५९८

बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

स्थगन- स्ताव . . . . — ५९९-६००
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—बीमा समवायों में औद्योगिक विवादों पर न्याय निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण . — ६००-६०१
मध्य भारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . — ६०१-६०२
कराधान विधियां (जम्मू और काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पुरःस्थापित . — ६०२
विशेष विवाह विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत — ६०२-६८६

बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४

तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि — ६८७
पटल पर रखा गया पत्र —
परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या १४ . . — ६८७-६८८
राज्य-सभा से संन्देश . . . . — ६८८

	स्तम्भ
राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक—पटल पर रखे गये पत्र—	
औषधि (संशोधन) विधेयक, १९५४	६८८
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक, १९५४	६८८
दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, १९५४	६८९
विशेष विवाह विधेयक—	
खंडवार विचार—असमाप्त	६८९—७५८
सदस्य द्वारा पदत्याग	७५८

शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ के अन्तर्गत अधिसूचनायें	७५९
खान (सारांश प्रदर्शन) नियम, १९५४	७६०
भारतीय श्रम सम्मेलन के तेरहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षिप्त वृतान्त	७६०
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण	७६१
निष्क्रान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) प्रशासन नियम, १९५० में संशोधन	७६२
विशेष विवाह विधेयक-याचिका का उपस्थापन	७६२
देश में बाढ़ सम्बन्धी वक्तव्य	७६२—७६९
हिन्दी में नाम पट्ट	७६९-७७०
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक-पुर:स्थापित	७७०
दंड-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	७७०
विशेष विवाह विधेयक-खंडवार विचार—असमाप्त	७७१—७८९
भाग ग राज्य शासन (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित	७८९
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—पुर:स्थापित	७९०
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—पुर:स्थापित	७९०
विद्युत संभरण (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित	७९१
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकद्दमेबाजी विधेयक—पुर:स्थापित	७९१
अन्त्येष्ठि क्रिया सुधार विधेयक—पुर:स्थापित	७९२
सेवा निवृत्ति वेतन (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित	७९२
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५७क का रखा जाना)—पुर:स्थापित	७९३
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ६१क का रखा जाना)—पुर:स्थापित	७९३
विधुर पुनर्विवाह विधेयक—पुर:स्थापित	७९४
संविधान (षष्ठ अनुसूची का संशोधन) विधेयक-पुर:स्थापित	७९४
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—वाद-विवाद स्थगित	७९५—८५०
सभा का कार्य	८५०-८५[illegible]

अत्यावश्यक वस्तुयें (अस्थायी शक्तियां संशोधन) विधेयक— स्तम्भ
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . ८५१—८८१

सोमवार, ६ सितम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—
ब्राजील और स्पेन से गोग्रा में स्वयं सेवकों का आना .
श्रीलंका निवासी भारतीयों का परिपीडन .
पटल पर रखे गये पत्र—
चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में संशोधन . . .
भारत का रक्षित बैंक अधिनियम की धारा २१ के उपनियम (४) के अधीन निष्पादित करार . . . .
१९-४-५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . . . . . .
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . .
चावल, धान, और चावल के आटे पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प—स्वीकृत . ८५६—
मूंगफली के तेल पर निर्यात शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . . . ८९१
विशेष विवाह, विधेयक—
खंडवार विचार—असमाप्त ९२१-९३

मंगलवार, ७ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र —
परिसीमन आयोग, भारत का अन्तिम आदेश संख्या १५, दिनांक २४ अगस्त, १९५४ . ९
विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . . ९३९-१०

बुधवार, ८ सितम्बर, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . १००१
समिति के लिये निर्वाचन—
नारियल जटा बोर्ड . . . १००१-१००
सभा का कार्य—बैठकों के समय में परिवर्तन . . . १००२—१००५
विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . . . १००६—१०६८

शुक्रवार, १० सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०—५१ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ (भाग २) १०६९-१०७०
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०-५१ का वाणिज्यिक परिशिष्ट और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ . . . . . १०६९-१०७०

	स्तम्भ
ीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, १९५४	१०७०
ीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, १९५४	१०७०
ीय प्रशासन सेवा (प्रोबेशन) नियम, १९५४	१०७०
ीय पुलिस सेवा (प्रोबेशन) नियम, १९५४	१०७०
ीय प्रशासन सेवा (पदालि) नियम, १९५४	१०७०
ीय पुलिस सेवा (पदालि) नियम, १९५४	१०७१
ीय प्रशासन सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४	१०७१
ीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४	१०७१
भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, १९५४	१०७१
के राजस्व न्यायालयों में सामान्य कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियम	१०७१
नयतन सम्बन्धी प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७१—१०७८
न (तृतीय संशोधन) विधेयक से युक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त	१०७९—१११८
ारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१११८
तथा पटसन उद्योगों का वैज्ञानिकन करने की योजनाओं सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत	१११८—११६६
िकर बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता सम्बन्धी संकल्प—असमाप्त	११६६—११६८

वार ११ सितम्बर, १९५४

र पर रखे गये पत्र—	
ंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ के अधीन अधिसूचनायें	११६६
मा० सदस्य की दोष-सिद्धि	११६९—११७०
धान (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त	११७०—१२०२
रतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक के बारे में वक्तव्य	१२०२—१२०५
तीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	१२०६
त में बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा असमाप्त	१२०६—१२१२

PD—HS—363 LSD—2-2-55—000

लोक सभा

बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९-२० म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं उस स्थगन प्रस्ताव की ओर निर्देश करना चाहता हूं जिसे डा० खरे प्रस्तुत करना चाहते थे। मैं ने उन्हें सूचना दी थी कि मैं इस के लिये स्वीकृति नहीं देता और सदन में मैं इस के विषय का उल्लेख नहीं करूंगा। उन का स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं है। इस का विषय चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो इस का केन्द्र से कोई सम्बन्ध नहीं। उन्हें चाहिये कि वह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की बजाय प्रशासनीय प्राधिकारियों से मिलें और अपनी शिकायतों को दूर करवायें।

इस सम्बन्ध में उन्हों ने जो प्रश्न पूछा था और जिस में उन्हों ने विषय का उल्लेख किया था, मैं ने उसे वृत्तान्त से निकाल देने का आदेश दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस सभा का किसी की मानहानि के लिए प्रयोग किया जाये।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बीमा समवायों में औद्योगिक विवादों पर न्याय-निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण

श्री साधन गुप्त : (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : मैं श्रम मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाता हूं कि भारत सरकार ने बीमा कम्पनियों में औद्योगिक विवादों पर न्याय-निर्णय करने के लिये एक अखिल-भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना करने से इन्कार कर दिया है और उन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : श्रीमान्, सरकार को बीमा कर्मचारियों के कुछ संघों और संस्थाओं से इस अभिप्राय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। उन संस्थाओं का यह सुझाव था कि यह अखिल-भारतीय न्यायाधिकरण बीमा कर्मचारियों की वेतन, भत्ता, बोनस, उपदान, आदि सम्बन्धी सामान्य मांगों की जांच करे। भारत सरकार ने इस सुझाव पर सावधानी से विचार किया है। बैंक उद्योग में अखिल-भारतीय न्याय-निर्णय से यह अनुभव हुआ है कि इस प्रकार के न्यायाधिकरणों के लिये देश के विभिन्न भागों में स्थित बहुत सी शाखाओं और कार्यालयों

[श्री आबिद अली]

में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये वेतन तथा भत्तों को उपयुक्त श्रेणियां निर्धारित करना बहुत कठिन है। यह बताया गया है कि बीमा उद्योग की कम्पनियों में वेतन श्रेणी आदि सम्बन्धी मांगों का न्याय-निर्णय एक न्यायाधिकरण अधिक संतोषजनक रूप से कर सकेगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ में जो व्यवस्था है, वह उद्योग के किसी भाग में झगड़े निबटाने के लिये सदा उपलब्ध हो सकती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि बीमा उद्योग के लिये कोई अखिल-भारतीय न्यायाधिकरण स्थापित न किया जाये।

मध्य भारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्य भारत राज्य में वित्त अधिनियम १९५० की धारा १३ की उपधारा (१) में उल्लिखित अवधियों के सम्बन्ध में आय तथा व्यापार के लाभों पर कतिपय करों के आरोपण, निर्धारण तथा संग्रह के मान्यीकरण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"मध्य भारत राज्य में वित्त अधिनियम १९५० की धारा १३ उपधारा (१) में उल्लिखित अवधियों के सम्बन्ध में आय तथा व्यापार के लाभों पर करों के आरोपण, निर्धारण तथा संग्रह का मान्यीकरण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० सी० शाह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

कराधान विधियां (जम्मू और काश्मीर में विस्तार) विधेयक

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "कतिपय कराधान विधियों का जम्मू और काश्मीर राज्य में विस्तार तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कतिपय कराधान विधियों का जम्मू और काश्मीर में विस्तार तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० सी० शाह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

विशेष विवाह विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम विशेष विवाह विधेयक पर अग्रेतर विचार आरम्भ करेंगे।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : माननीय विधि मंत्री ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया है कि यह विधेयक एक अनुज्ञापक विधेयक है, किसी को बाध्य नहीं करता, असाम्प्रदायिक है और सब पर लागू होने वाला है। इसलिये इस पर अधिक आलोचना नहीं की जा सकती। मैं यह दिखाने का प्रयत्न करूंगा कि यद्यपि प्रत्यक्षतः

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

यह अनुज्ञापक है, तथापि इस के कुछ ऐसे पहलू हैं, जिन से शास्त्रीय विवादों, विशेष कर हिन्दू विवाहों पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ेगा ।

इस में एक ऐसा खंड है जो कि असाधारण है और क्रान्तिकारी प्रकार का है । यह मूल विशेष विवाह अधिनियम में, जो कि १८७२ में पारित किया गया था, नहीं था । १९४६ और १९४९ में जो अधिनियम बनाये गये थे उन के द्वारा दो मुख्य परिवर्तन किये गये थे । पहला यह कि ऊब जाति या उप-जाति या गोत्र या प्रवर के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । कोई भी व्यक्ति जाति से बाहर विवाह कर सकता है और वह विवाह बिल्कुल मान्य होगा । दूसरा यह है कि अन्तर्जातीय विवाहों पर सब प्रतिबन्ध हटा दिये गय हैं ।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव पीठासीन]

दक्षिण भारत में मैं ने जो भाषण किया था, उस की ओर निर्देश करते हुए मैं सदन से यह पूछता हूं कि क्या यह उचित है कि राज्य-सभा आरम्भिक अवस्था में इस विधयक का प्रभारी बने ? इतने महत्वपूर्ण और विवादास्पद विधेयक पर, जो कि लाखों लोगों के जीवन पर प्रभाव डालेगा, विचार करने के लिये उचित स्थान कौन सा है ? हम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गये हैं और हम जनता के प्रतिनिधि हैं । ऐसे प्रभावशाली विधेयक के मामले में, जिस का प्रभाव राष्ट्र के सारे ढांचे पर पड़ेगा यह आवश्यक है कि जनतन्त्र के आधार पर जनता द्वारा चुने गये सदन को ही इस पर पहले विचार करने का अधिकार हो । श्री सी० सी० शाह ने भी यही कहा है कि ऐसा करने से बहुत सा समय बच जायेगा और जटिलता भी बहुत कम हो जायेगी । आप जानते हैं कि राज्य सभा ने कुछ ऐसे संशोधन कर दिये हैं जिन से विधेयक अधिक विवादास्पद बन गया है और माननीय प्रधान मंत्री ने भी गत सत्र के अन्तिम दिन यह कहा था कि इस विधेयक में जैसा कि इसे राज्य-सभा द्वारा पारित किया गया है कुछ संशोधन करना पड़ेगा । उन्हों ने यह नहीं कहा कि क्या संशोधन करना पड़ेगा किन्तु मेरा विचार है कि उन का निर्देश राज्य-सभा द्वारा रखे गये उस क्रान्तिकारी अर्थात् परस्पर सहमति द्वारा विवाह-विच्छेद सम्बन्धी खंड की ओर था ।

सम्पत्ति द्वारा विवाह-विच्छेद हिन्दू विवाह के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध है, वह उस सम्पूर्ण प्रणाली के विरुद्ध है जिस पर हिन्दू परिवार अवलम्बित है । अंग्रेजी विधि में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है । यदि आप इंगलैंड के किसी विवाह-विच्छेद न्यायालय में जायें तो न्यायाधीश पहले इसी बात का निर्णय करेगा : क्या विच्छेद के लिये दोनों पक्षों ने स्वीकृति दे दी है ? क्या पति और पत्नी का परस्पर मैत्रीपूर्ण गठबन्धन है कि इस पवित्र संसर्ग को विच्छिन्न कर दिया जाये । इंगलैंड के न्यायालयों में विवाह-विच्छेद-न्यायाधीशों के पास प्रौक्टर भी रहता है । प्रौक्टर स्वयं स्वतन्त्र रूप में मामले की जांच करता है । कई दिनों तक अभियोग की कार्यवाही चलती है, विस्तृत साक्षी ली जाती है और तब न्यायाधीश अपना निर्णय देता है । अतः पाश्चात्य देशों में जहां कहीं भी विवाह-विच्छेद का उपबन्ध है वे इस महत्वपूर्ण पूर्वोपाय से काम लेते हैं : स्वीकृति, व्यवस्था अथवा प्रसंविदा द्वारा विवाह-विच्छेद न होने दिया जाये ।

एक माननीय सदस्य : इस से क्या हानि होगी ?

श्री एन० सी० चटर्जी : इस से लोग ऐसे विवाहों की रचना करेंगे जिस में उन्हें सुभीता हो, जो सुगम हो और जो सीमित अवधि के लिये हो कभी सात या दस दिनों के लिये . . . . . .

एक माननीय सदस्य : यह बहुपत्नी-विवाह से तो अच्छा है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं जानता हूं कुछ लोग प्रगतिशील हैं और वे परस्पर स्वीकृति द्वारा विवाह-विच्छेद के समर्थक हैं । मैं स्वयं भी अपने आप को प्रगतिशील समझता हूं और इसी लिये अस्पृश्यता विधेयक समिति का सदस्य बनने के लिये मैं ने सहमति प्रकट की थी ।

श्री एस० एस० मोरे : प्रस्तुत विधेयक हिन्दू विवाहों की ओर निर्देश नहीं करता है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : यह निर्देश करता है और मुझे खेद है कि श्री मोरे ने विधेयक नहीं पढ़ा है । यदि श्री मोरे इसे पढ़ते तो विधयक के अन्तर्गत इस का अधिनियमन हो जाने पर, श्रीमती मोरे से विवाह सूत्र में बंधने वाले श्री मोरे उन के (अपनी श्रीमती के) साथ विवाह कुल सचिव (मैरिज रजिस्ट्रार) के पास जा कर प्रस्तुत विधि के अधीन अपने विवाह को पंजीकृत करा सकते हैं । इस के बाद ही वह हिन्दू उत्तराधिकार विधि से शासित होना समाप्त हो कर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होन लगेंगे । प्रस्तुत विधेयक के अधीन बीस या तीस वर्ष पहले के पवित्र वैवाहिक गठबन्धनों पर विवाह-विच्छेद विधि भूतलक्षी रूप से लागू होगी । हिन्दू रीति से विवाह करने वाले पुरुष और स्त्री भली भांति जानते हैं कि विवाह शाशत सम्मिलिति है, विवाह स्थायी बंधन है, वह अतायानुमति और सामाजिक सम्वृद्धि के लिये मैत्रीपूर्ण समझौता है—वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिये आवश्यक है । इसे द्विपक्षीय समझौते या संविदा द्वारा अन्त नहीं किया जा सकता । उन के बच्चे पैदा होंगे । मान लीजिये एक पुरुष का विवाह तीस वर्ष पहले हुआ था और उस के २० या २५ वर्ष के लड़के हैं । आप उस के विवाह को पंजीकृत करने की अनुमति दे रहे हैं ।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : यह केवल वैकल्पिक है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : यह कितनी अर्थहीन बात है । उस विवाह के पंजीकृत होने से उत्तराधिकार अधिनियम उस पर लागू होने लगेगा । केवल इतना ही नहीं । उस का २५ वर्षीय पुत्र जिस का विवाह हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार हुआ होगा और जिस के सन्तान भी हो सकती है हिन्दू धर्मशास्त्र के अधीन न रह कर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन हो जाएगा और वही उस पर लागू होगा ।

श्री बिस्वास : यह इस विधेयक का आशय नहीं है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं यह दर्शाना चाहता हूं कि इस विधेयक का भूतलक्षी रूप से लागू होना हिन्दू विवाह के आदर्शों के लिये घातक होगा । इस विधेयक के अन्तर्गत यदि कोई पुरुष पंजीयन के आवेदन पत्र पर अपनी स्त्री के हस्ताक्षर करवा ले तो यदि वह चाहे तो उस से अगले ही दिन न्यायालय में जा कर कुछ विशेष आधारों पर विवाह-विच्छेद का आवेदन दे सकता है । इस देश में स्त्रियों की जो दशा है उसे ध्यान में रखते हुए उसे ऐसा करने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी । संस्कारबद्ध विवाहों में इस प्रकार हस्तक्षेप करना वांछनीय नहीं होगा ।

इस प्रकार के उपबन्ध की मांग किस ने की थी ?

श्री एस० एस० मोरे : हम सभी ने ।

श्री एन० सी० चटर्जी : इस प्रकार के क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिये सदन को राष्ट्र की अनुमति लेनी चाहिये थी । यह उपबन्ध तो हिन्दू कोड बिल में भी नहीं था । यह सर बी० एन० राव की रिपोर्ट में ही था ।

श्री बिस्वास : सर बी० एन० राव को विशेष विवाह विधेयक पर विचार करने के लिये नहीं कहा गया था ।

श्री एन० सी० चटर्जी : माननीय विधि मंत्री ने स्वयं हमें बताया है कि सहमति से विवाह-विच्छेद जिस का यहां उपबन्ध किया जा रहा है केवल एक अन्य देश में प्रचलित है और वह देश है रूस । किसी असाम्यवादी देश में इस प्रकार की विधि लागू नहीं है । किन्तु रूस में तो स्त्री अथवा पुरुष दोनों में से कोई एक ही पंजीयन प्राधिकारी के पास जा कर अथवा उसे एक पोस्ट कार्ड लिख कर सूचित कर सकता है कि मैं अपने पति अथवा पत्नी के साथ रहने के लिये इच्छुक नहीं हूं और इतने पर भी विवाह बन्धन से मुक्ति हो सकती है । इस प्रकार की चीज हिन्दू विवाह के आदर्श के आधार-भूत सिद्धान्तों का विनाश करती है । आज यदि हिन्दू संस्कृति जीवित है तो उस का कारण केवल यही है कि वह अपने कुछ एक मूलभूत जीवन सिद्धान्तों पर अटल रूप से डटी हुई है जिन में से एक सिद्धान्त है गृहस्थ जीवन की पवित्रता । अन्य देश भी धीरे धीरे इसी आदर्श की ओर आ रहे हैं ।

कुछ भी हो आप को यह अधिकार नहीं है कि संस्कार बद्ध विवाहों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें । उन को विवाह-विच्छेद सम्बन्धी खंड लागू करने के लिये कोई भी कारण नहीं है । या तो साहस से काम लेते हुए इसे सभी नागरिकों पर लागू करें जिस से आपकी धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त की भी पुष्टि हो सके ।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह विधेयक केवल भिन्न धर्मावलम्बियों में होने वाले विवाहों पर ही लागू होना चाहिये । पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा इस आशय का एक संशोधन भी प्रस्तुत किया गया है । इस समय हिन्दुओं में अन्तर्जातीय विवाह पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । अतः विशेष विवाह अधिनियम की आवश्यकता तभी होती है जब कोई हिन्दू अपने धर्म के बाहर विवाह सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है । यदि वह किसी हिन्दू लड़की से विवाह करना चाहता है तो उसे इस अधिनियम का आश्रय लेने की कुछ आवश्यकता नहीं है । अतः मेरा सभा से अनुरोध है कि पंडित भार्गव द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर विचार किया जाये । इस विधि को अत्यधिक व्यापक बनाना अवांछनीय होगा ।

अब खंड १५ को लीजिये । इस के अनुसार विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत किये गये विवाह के अतिरिक्त सभी प्रकार के विवाह चाहे वह इस अधिनियम के प्रवर्तन से पहले के हों या बाद के विवाह प्राधिकारी द्वारा पंजीबद्ध करवाये जा सकते हैं ।

इस से पहले दस बीस तथा तीस वर्ष पहले हुए विवाह भी पंजीबद्ध करान पड़ेंगे और विवाह-विच्छद खंड प्रवर्तन में आ जायगा । खंड (२७) के अनुसार विवाह-विच्छेद का प्रार्थना-पत्र पति अथवा पत्नी की ओर से जिला न्यायालय को दिया जा सकता है ।

[श्री एन० सी० चटर्जी]

आप यहां पर हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम को भूतलक्षी बना रहे हैं तथा पहले सम्पन्न हुए विवाहों पर विवाह-विच्छेद का खंड भी पूर्णतया लागू करना चाहते हैं।

यदि आप हिन्दू विवाह विधेयक से इस विवाह-विच्छेद से सम्बन्ध रखने वाले खंड की तुलना करें तो आप को पता लगेगा कि दोनों में कितना अन्तर है : एक में तो पर स्त्री गमन का एक अवसर ही पर्याप्त है परन्तु दूसरे में स्त्री का वास्तव में रखेल होना अथवा पुरुष का कोई रखेल स्त्री रखना आवश्यक है। यह बहुत विचित्र बात है कि तीस वर्ष पूर्व हुआ विवाह एक अधिनियम में दिये गये कारणों से भंग हो जाये तथा विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम के अधीन दूसरे कारणों से भी विवाह भंग हो जाये मेरे विचार से यह सब उचित नहीं है।

श्रीमान् यह कहना कि हिन्दू विधि गतिहीन है हिन्दू विधि का अपमान करना है। हिन्दू विधि देश के विकास के साथ साथ विकसित हुई है। ब्रिटिश शासन हो जाने पर यह अवश्य ही गतिहीन हो गई थी। इस से पूर्व मिताक्षरा और दायभाग का विकास हुआ। वेद ही केवल विधि का स्रोत नहीं हैं। कोई मनु को कितना ही हीन क्यों न कहे परन्तु वह भारत और एशिया के सब से बड़े विधि-नेत्ता थे। उन्हों ने विधि के चार स्रोत कहे हैं श्रुति, स्मृति, सदाचार, न्याय और शुद्धः अन्तःकरण। उस समय रिवाज तथा प्रथा का भी पूर्ण सम्मान किया गया था।

मैं अस्पृश्यता विधेयक पर वाद-विवाद सुन रहा था और उस में प्रवर समिति का सदस्य होने के नाते भाग नहीं ले सका था। आप ने कहा था कि इन विषयों पर विधि बनाना तो व्यर्थ सा ही है और वास्तव में सामाजिक और नैतिक स्तर को ठीक प्रकार से ऊपर उठाया जाना चाहिये। इसी प्रकार यही बात इस विधेयक के बारे में भी है।

श्रीमान् मैं अब आप को केवल यह बताना चाहता हूं, कि संयुक्त समिति के एक मुसलमान सदस्य ने, मुस्लिम विवाहों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में लाये जाने का बड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों पर इस विधेयक को बलपूर्वक लादना अन्यायपूर्ण होगा। उन्होंने आगे चल कर कहा है कि जो लोग इस अधिनियम के अधीन अपने विवाह पंजीबद्ध करायेंगे और उत्तराधिकार विधि के अधीन हैं उन्हें उत्तराधिकार से वंचित होना पड़ेगा, परन्तु साथ ही जो लोग अधिनियम के अधीन विवाह पंजीबद्ध करायेंगे, और उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन नहीं हैं, अपने रिवाजों के अधीन उत्तराधिकार से वंचित नहीं किये जायेंगे। अतः तृतीय पक्ष को इस से बड़ी हानि रहेगी और उत्तराधिकार के विषय में परस्पर सम्बन्धों की हत्या हो जायेगी। अतः एक परन्तुक जोड़ दिया जाये कि यह अधिनियम मुसलमानों पर लागू नहीं होगा।

एक बात मैं और यह कहना चाहता हूं कि यदि आप खंड १९ को इसी प्रकार पारित कर देंगे, तो बहुत से मिताक्षरा पद्धति के सम्मिलित परिवार जिन्होंने मिल कर बड़ेबड़े व्यापार चला रखे हैं, समाप्त हो जायेंगे। यदि कोई व्यक्ति जो मिताक्षरा परिवार से सम्बन्ध रखता है इस अधिनियम के अधीन किसी से विवाह कर लेगा, तो उसे न केवल संयुक्त परिवार से पृथक हो जाना पड़ेगा बल्कि व्यापार भी पृथक कर दिया जायेगा। इस से मिताक्षरा परिवार ही भंग हो जायेगा। यदि हिन्दू युवक एक हिन्दू युवती से तथा एक मुस्लिम युवक एक मुस्लिम युवती से

विवाह कर लेता है और परिवार के अन्य जन उन्हें परिवार के सम्मानित सदस्य समझते हैं, तो परिवार के स्तर पर प्रभाव क्यों पड़े ? मेरे विचार में इस विषय पर पूरा ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

मैं ने श्रीमती सुषमा सेन की विमति टिप्पणी को भी पढ़ा है । खंड २१ में लिखा है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ में कोई प्रतिषेध होते हुए भी कुछ जातियों अथवा ऐसे व्यक्तियों की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में, जिस ने इस अधिनियम के अधीन विवाह कर लिया हो, उक्त अधिनियम के उपबन्ध ही लागू होंगे तथा उन की विवादास्पद सम्पत्ति का विनियमन उक्त अधिनियम के द्वारा ही होगा ।

श्रीमान्, मैं नहीं कह सकता कि उत्तराधिकार अधिनियम को ऐसे मामलों में लागू करना कहां तक उचित होगा । इस सम्बन्ध में संयुक्त समिति ने यह कहा है कि इस अधिनियम के अधीन विवाह करने का एक बड़ा कारण यह है कि बिना मृत्यु लेखन के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा और विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों पर उत्तराधिकार की विभिन्न विधियों को लागू करना कठिन होगा ।

परन्तु श्रीमती सेन ने कहा है कि यह गलत है । उन्होंने कहा है कि ब्रह्मो नेता श्री केशो चन्द्र सेन द्वारा सूत्रित १८७२ के आरम्भिक अधिनियम में यह बात नहीं थी । मैं ने ब्रह्मो समाज के अन्य बड़े नेताओं की सलाह ली है । वह स्पष्टतय: इस खंड का विरोध करते हैं ।

आप को देखना चाहिये कि क्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को आवश्यक रूप से लागू किया जाना न्याय्य है अथवा नहीं और यह भी देखना चाहिये कि क्या हिन्दू उत्तराधिकार विधि को इस प्रकार प्रवर्तन शून्य बनाना उचित है ?

मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि क्योंकि हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद से सम्बन्ध रखने वाला एक नया विधेयक प्रस्तुत किया गया है अत: क्या इस में परिवर्तन करने तथा इसे हिन्दू धार्मिक विवाहों पर लागू करना ठीक होगा ?

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : सभापति महोदय, इस विधेयक का नाम बड़ा अर्थ पूर्ण है। इसका नाम है विशेष विवाह विधेयक, और मैं समझता था कि इस को विशेष विवाह विधेयक इस लिये कहा गया है कि यदि कोई सर्व सामान्य जो विवाह ह उसके सिवा किसी विशेष परिस्थिति में विवाह करना चाता है तो उसके लिये यह विधेयक लाया गया है । अर्थात् धर्म शास्त्र के अनुसार अग्नि और ब्राह्मण के समक्ष या अन्य पद्धति से जो विवाह करते हैं उनको छोड़ कर जो स्वेच्छाचार से विवाह करना चाहते हैं उनके लिये यह विधेयक लाया गया है । शास्त्र में तो तरह तरह के विवाहों का वर्णन है ।

यत्र यत्र हरिणी दृशांक्रमः
तत्र तत्र मदनस्य विक्रमः

अर्थात् जहां हरिणी के सदृश्य सुन्दर आंख हों वहां मदन का प्रभाव पड़ता है ।

तो पृथ्वी पर बहुत प्रकार के विवाह हो सकते हैं और उनसे होने वाली सन्तान नाजायज़ न हो इसलिये इस स्पेशल मैरिज की आवश्यकता हो सकती है । मैं तो इसको फिज़ियालॉजीकल मैरिज कहूंगा । उन सारे विवाहों को मान्यता देने वाला क़ानून पहले भी बनाया जा चुका है । मैं समझता था कि जो सामान्य से अलग दूसरी पद्धति से विवाह होते हैं उनको मान्यता देने के लिये हमारे विधि मंत्री यह क़ानून लाये हैं । लेकिन

[श्री वी० जी० देशपांडे]

अब मालूम होता है कि हमें इस धर्म निरक्षेप राज्य में एक आदर्श विवाह पद्धति दी जा रही है। यह तो हम समझ सकते थे कि अगर कोई अत्यन्त अपवादात्मक परिस्थितियों में विवाह हो उसको वैधानिक स्वरूप देने के लिये और उसके फलस्वरूप जो सन्तति हो वह अवैध न हो इसके लिये कोई कानून बनाया जाये। लेकिन जब यह कहा जाता है कि हम हिन्दू विवाह पद्धति से या दूसरी परसनल लॉ वाली विवाह पद्धतियों से अच्छी पद्धति ला रहे हैं और उसको एक मॉडल लॉ के रूप में ला रहे हैं, तो हमको यह देखने का अधिकार है कि यह आदर्श विवाह पद्धति हमारे सामने हमारे आदर्श से कोई ऊंचा आदर्श रखती है या नहीं।

मैं दो दृष्टियों से इस विधेयक को देखना चाहता हूं। यह विशेष विवाह विधेयक दो बातों पर निर्भर है, एक तो मौनोगैमी और दूसरी डाइवोर्स। मौनोगैमी हम समझते थे। उसका अर्थ हम सीता जैसी पतिव्रता स्त्री और रामचन्द्र जैसा एक पत्नी व्रत पुरुष से समझते थे। लेकिन मैं अब चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि यह मौनोगैमी नहीं है, यह तो पौलीगैमी और पौली एण्ड्री दोनों हैं। मेरी समझ में यह मौनोगैमी नहीं आती है। रामचन्द्र जी के एक पत्नी व्रत को हम समझ सकते थे तो सीता के हरे जाने पर वन में 'हा सीते', 'हा सीते' कहते हुये घूमते थे। हमारे यहां तो यह एक पत्नी व्रत था। लेकिन आज तलाक़ का अधिकार दिया जाता है। तलाक़ देने के बाद पति दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता है और स्त्री दूसरे पति से विवाह कर लेती है। जैसे कि मिसज़ सिम्पसन ने अपने चार पहले पति जीवित रहते हुय भी इस मौनोगैमी के क़ानून के अन्दर एडवर्ड से विवाह कर लिया था। इस विधेयक के अन्दर स्त्री पुरुष पच्चीस पच्चीस पति और पत्नियों के जीवित रहते हुये भी आगे विवाह कर सकेंग और उसको मोनोगैमी कहा जायेगा। यह तो ऐसी बात है जैसे कोई आदमी जो कि एक थाली भर लड्ड खा रहा है यह कहे कि मैं तो एक लड्डू खा रहा हूं क्योंकि मैं एक बार में एक ही खाता हूं। इसी तरह से इस विधेयक के अनुसार एक पुरुष पत्निव्रत और एक स्त्री पतिव्रता कही जायेगी चाहे वे कितने ही विवाह क्यों न कर लें। यदि वे एक समय में एक विवाह करें।

श्री बिस्वास: मेरे विचार से अभी हम उस स्थिति पर आये नहीं हैं।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) यह तो उसका उलट है।

श्री वी० जी० देशपांडे: प्रश्न यह है कि अब जो आप समाज के सामने आदश रखना चाहते हैं उसके अनुसार पच्चीस स्त्रियों के जीवित रहते हुये २६वीं स्त्री से शादी करने वाला पुरुष पत्निव्रत कहा जायेगा और अपने पच्चीस पतियों के जीवित रहते २६वें पति से शादी करने वाली स्त्री पतिव्रता कही जायेगी। परन्तु हमारा आदर्श इस प्रकार का नहीं है।

यहां बहुपत्नीत्व के विरुद्ध बहुत सी बातें कही जाती हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या बहुपत्नीत्व से ये बातें अच्छी हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि आप देखें कि हमारे बहुपत्नीत्व के आदर्श में मानवता और सहानुभूति और औदार्य ज्यादा है या आपके इस आदर्श में। यह डाइवोर्स का कानून मैं उठ कर देखना चाहता हूं। इस की धारा २७ में दिया है कि किन किन अवस्थाओं में पति पत्नी को डाइवोर्स दे सकता है। इस में पहला कारण तो यह दिया हुआ है कि उसने व्यभिचार किया हो। हमारे यहां व्यभिचार के कारण

कोई पत्नी को छोड़ नहीं सकता है । हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि रजसा शध्यते नारी मासिक धर्म होने के पश्चात हम स्त्री को स्वीकार कर ल । यदि वह स्त्री गर्भवती हो गयी हो तो सन्तान होने के पश्चात् उसको स्वीकार कर लेना चाहिये यह शास्त्रों की आज्ञा है । आगे चल कर इसमें दिया है कि यदि पत्नी को कोढ़ हो जाये तो उस को छोड़ा जा सकता है । हमारे पुराने आदर्श के अनुसार यदि पत्नी को कोई ऐसी बीमारी हो जाये तो हम उस अवस्था में दूसरा विवाह कर सकते हैं । शास्त्रों में आज्ञा है कि ऐसी अपवादात्मक स्थिति में कि सन्तान न हो या कोढ़ आदि ऐसा रोग हो जाये तो दूसरा विवाह किया जा सकता है और उस स्त्री की जो कि रोगिणी है हम अपने घर में रख कर सेवा सुश्रूषा करते हैं । आप उसको निकाल कर डाइवोर्स कर देते हैं । मैं आप से पूछना चाहता हूं कि कौन सा आदर्श ज्यादा मानवतापूर्ण है, कौन सा ज्यादा सहानुभूति पूर्ण है और कौन सा ज्यादा औदार्यपूर्ण है ?

इस के आगे यह है कि अगर किसी को सात साल की सज़ा हो गई हो तो एसी अवस्था में डाइवोर्स हो सकता है । जिन लोगों ने भारत की स्वतन्त्रता की लड़ाई में भाग लिया उनमें से बहुतों को आठ आठ दस दस साल की क़ैद की सज़ा हो गयी थी । इस कानून के अनुसार ऐसी अवस्था में पत्नी उस पति को छोड़ कर दूसरे से विवाह कर लेगी । एसा क़ानून आप बना रहे हैं । मैं समझता हूं कि हमारे यहां का जो बहु विवाह तत्व है वह आपकी इस मौनोगैमी और डाइवोर्स से बहुत ज्यादा उदारतापूर्ण है । मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि आज आप इस क़ानून के द्वारा ज्यादा उदारता दिखला रहे हैं । हमारा यहां दूसरा विवाह करने की अनमति केवल अपवादात्मक स्थिति में है स्वेच्छाचार से दूसरी पत्नी करने की आज्ञा नहीं है ।

हमारे यहां विधान है कि यदि कोई बिना कारण अपनी पत्नी को छोड़ता है तो उसे सज़ा देनी चाहिये । हमारे विधि मंत्री एसा बिल लाते तो हम उन को धन्यवाद देते ।

इसके अतिरिक्त जो आप इस क़ानून में धारा १५ लाये हैं जिस के अनुसार हिन्दू पद्धति के अनुसार किये हुये किसी भी विवाह को तोड़ा जा सकता है । क्योंकि आपने इस धारा में रिट्रीस्पक्टिव इंफक्ट से रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया हुआ है । आप कहते हैं कि यह अधिकार परिमिसिव है । इसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन में पत्नी की अनुमति होनी चाहिये । अगर कोई पति अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहता है तो इस धारा के आधीन उसको अपनी पत्नी के हस्ताक्षर लेने में और मैरिज को रजिस्टर करवाने में बड़ी आसानी हो जायेगी । और उसके पश्चात् यह म्युचअल कंसेंट की बात आ गयी है । म्युचअल कंसेंट से डाइवोर्स देने की बात मेरी समझ में बुरी है और जब हमने पहले यहां पर यह विधेयक पेश किया था तब भी काफी बरा था लेकिन कौंसिल आफ स्टेट से आने के बाद तो मैं देख रहा हूं कि यह और भी बरा और आपत्तिजनक हो गया है और आज जो विधेयक अपने वर्त्तमान रूप में हमारे विचारार्थ है वह ठीक उसी प्रकार का है जैसे संस्कृत में एक कहावत है कि :

विनायक प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम् ।

मूर्त्ति तो गणेश जी की बनाने गये, लेकिन मूर्त्ति बन गयी हनुमान जी की । उसी तरह से यह बिल भी एक बिल्कुल दूसरी चीज़ बन कर हमारे सामन आया ह और मार्डर्न नोशन के मताबिक़ उसको और भी ज्यादा प्रगतिशील बनाया गया है और इस विधेयक को अधिक से अधिक प्रगतिशील और मार्डर्न बनाने के लिये जो एक रेस सी चल रही है उसको देख कर मुझे रामायण

[श्री वी० जी० देशपांडे]

की वह कहानी याद आती है जब श्री रामचन्द्र लंका से वापिस आये तो एक बड़ा भोज हुआ था। बन्दर लोग जब भोज में बैठे तब किसी ने नींबू का एक बीज ऊपर उड़ाया जिसे देख कर एक बन्दर ने कहा कि यह बीज इतना ऊंचा उड़ता है, में इससे ज्यादा ऊंचा उड़ सकता हूं और उसने कुदाल मारी। उसकी देखादेखी और बन्दरं भी कुदाल लगाने लगे, सब बन्दरों ने कूदना शुरू कर दिया और जिसका नतीजा यह हुआ कि भोज अलग रक्खा रह गया। ठीक उसी प्रकार इस विधेयक के सम्बन्ध में हमारा तथाकथित प्रगतिशील लोगों का दृष्टिकोण और आचरण रहा है। पहले कहा गया कि डाइवोर्स ऐडल्ट्री के बिना पर होगा, दूसरे उनसे और आगे बढ़ गये और कहने लगे कि हम इसके और आगे जाना चाहते हैं कि अगर सात वर्ष से पति की कोई खबर न मिले, तो भी डाइवोर्स हो सकता है। फिर एक ने कहा परस्पर सहमति से मिलना चाहिये और अब तो संशोधन आया है कि बिना सहमति से वैसे ही तलाक़ मिलना चाहिये। इस तरह हम देखते हैं कि डाइवोर्स के बारे में एक रेस शुरू हुई है कि देखें कौन कितना आगे जा सकता है और क्या कर सकता है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि आपकी इस तथाकथित प्रगतिशीलता के कारण अगर किसी पर अन्याय होने वाला है तो वह स्त्रियों पर होने वाला है क्योंकि यह आप क्यों भूल जाते हैं कि "दे आर मैन मेड लाज़"। पुरुषों ने यह सब क़ानून बनाये हैं और स्त्रियों को बतलाते हैं कि हमने यह क़ानून आपके फायदे के लिये बनाये हैं लेकिन असल में अगर किसी के साथ अन्याय होने वाला है तो वह स्त्री मात्र के साथ होने वाला है क्योंकि स्त्री कभी अपना घर और पति नहीं छोड़ना चाहती है। उसका बच्चा होता है उसका घर होता है, डाइवोर्स कोई देना चाहता है तो पुरुष देना चाहता है। डाइवोर्स देने के लिये पुरुष उत्सुक रहता है और यह क़ानून पास करके हम स्त्रियों को बतलाना चाहते हैं कि हम इसके द्वारा आपको एक बड़ा महान अधिकार देने वाले हैं और इन महान् अधिकारों के लिये आप आन्दोलन शुरू कीजिये। मैं तो देहातों में जाता हूं, नीची कौम में डाइवोर्स है, यह डाइवोर्स का फैशन हो चला है लेकिन दरअस्ल देखा जाये तो बड़ी बड़ी एडवांस्ड फमिलीज में भी स्त्रियां डाइवोर्स नहीं देना चाहती हैं, वह भी पतिव्रता हैं। डाइवोर्स शब्द लिखने में अच्छा लगता है और लेक्चर में इसका पक्ष लेना अच्छा मालूम होता है और इस तरह का क़ानून ला कर पुरुषों ने स्त्रियों को बताया है कि हम आपके लिये डाइवोर्स का अधिकार म्यूचअल कंसेंट पर दिलवाने जा रहे हैं लेकिन मैं चैतावनी देना चाहता हूं कि पुरुष जो अपने घर में एक मुगल और डिक्टेटर के समान होता है, इसलिये म्युचअल कंसेंट यह स्त्रियों की सहमति होने वाली नहीं है और दरअस्ल इससे पुरुष को सहमति का अधिकार मिलने वाला है। मैं कहता हूं कि इसका परिणाम एक ही होने वाला है कि कोई पुरुष अगर अपनी स्त्री से नारज़ है और उसको छोड़ देना चाहता है तो उसको इसका अधिकार मिल जायेगा। होगा यह कि पहले दोनों अपना विवाह रजिस्टर करा लेंगे और विवाह को रजिस्टर कराने के पश्चात् दोनों जाकर परस्पर सहमति से तलाक़ देकर मर्द उस बेचारी वृद्ध औरत को छोड़ देगा। यह हक़ आप इस विवाह विधेयक से देने जा रहे हैं। मैं अपनी बहिनों को बता देना चाहता हूं कि उन्हें इस धोखे में नहीं आना चाहिये और समझना चाहिये कि ये पुरुष जो अपने को बहुत उदार और प्रगतिवादी कहते हैं, "दे वांट टु हैव दी वेस्ट आफ

वोथ वर्ल्डस"। यह परम्परा और धर्मशास्त्र दोनों के विरुद्ध है । मैं आपको बतलाऊं कि हमारे दक्षिणी हिन्दुस्तान में मामा का विवाह अपनी भांजी के साथ हो सकता है लेकिन आप तो यरोप के कानूनों में से प्राहिब्टेड डिग्रीज़ देख कर बड़े प्रगतिशील बन गये हैं और इतना महान् कानून आप यहाँ पर लाये हैं और कहते हैं कि यह कानून ठीक है, तो मैं पूछता हूं कि यह प्रोहिब्टेड डिग्रीज़ रख कर आप कौन आदर्श उपस्थित कर रहे हैं ? और जब मामा की भांजी के साथ शादी करने का सवाल आता है तो उसके लिये आपको परम्परा की क्यों याद आती है ? मैं कहता हूं कि जब आप इस तरह से शादी करने जा रहे हैं तो बिल्कुल साहब बन जाइये, यह प्रोहिब्टिड डिग्रीज़ के चक्कर में क्यों पड़ते हैं । क़ानून में एक लिस्ट काफी बड़ी सी प्रोहिब्टिड रिलेशनशिप्स की दी हुई है कि उनके बीच में शादी नहीं हो सकती है और इसको आप समझते हैं कि हमने बड़ी प्रगति की है । उसमें लिखा है कि पुरुष किस किस से शादी नहीं कर सकता है । वह अपनी मां से, बाप की विधवा से, मां के बाप की विधवा से और मां की मां से शादी नहीं कर सकता है और इनको रखते हुये आपने इसको बड़ा आदर्श विधेयक बताया है और कहा गया है कि यह प्रोहिब्टेड डिग्रीज़ बड़ी सिम्पलीफाइड हैं लेकिन वाक़या यह नहीं है । "बिकौज़ मैटर्स आर मैड टू सिम्पल । इट इज़ नौट सो सिम्पल एथिंग"। यह दावा इनकी ओर से यहां पर किया जाता है कि मनु और याज्ञवलक्य बहुत एटीक्वेटेड और कम्पलीकेटड चीज़ देते हैं । हमारे आधुनिक युग के मनु और याज्ञवलक्य बड़ी सिम्पल चीज़ देते हैं कि दादी के साथ शादी न करो, दादी की मां के साथ शादी न करो या बाप की मां के साथ शादी मत करो, इस तरह की प्रोहिब्टेड डिग्रीज़ यहां पर दी गयी हैं विवाह के बारे में, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि डाइवोर्स के क्षेत्र में इतनी लम्बी छूट क्यों दी है ? यदि विवाह के समय इसको कोढ़ हो या तो इम्पोटेंट हो या और कोई दूसरी विनरल डिज़ीज़ हो इसका सर्टिफिकेट ले न आये तो वह विवाह नहीं होने देना चाहिये क्योंकि हमारी राय में तो "प्रीवेंशन इज़ बैटर देन क्योर"। आपको शादी से पहले ही हर तरह से पार्टी के फिट होने का सर्टिफिकेट लेना चाहिये ताकि डाइवोर्स की नौबत ही न आये . . . . .

एक माननीय सदस्य: इम्पोटेंसी का टैस्ट कैसे हो ?

श्री वी० जी० देशपांडे : यह डाक्टर लोगों का काम है । अब बाहर के लोग आयें और सब जांच करें, इसलिये मैं तो यही कहूंगा कि आप पुराने सीधे सादे विवाह चलाइये । वैसे मैं ने इस सम्बन्ध में एक अमेंडमेंट भी दिया है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिये और इन हालतों में भी विवाह नहीं होना चाहिये ।

आगे चल कर मैं आप से कहना चाहता हूं कि मैं छोटे छोटे बच्चों का विवाह करने के विरुद्ध हूं । आप कहते हैं कि सोलह साल और अट्ठारह साल की लड़की का स्पेशल मैरिज बिल के अन्तर्गत विवाह होना चाहिये । मैं कहता हूं कि छोटे बच्चों को इतने बड़े प्रयोग में नहीं भेजना चाहिये । मैं कहता हूं कि २१ साल नहीं २५ साल का पुरुष और २५ साल की पत्नी हो, तब विवाह होना चाहिये । एक आदर्श विवाह में पति पत्नी की उम्र में कितना अन्तर होना चाहिये, यह कुछ नहीं दिया है । इसमें तो इस तरह की बातें लिखी गयी हैं जैसे कि दादी के साथ शादी नहीं कर सकता है । ७० साल की औरत हो और २१ साल का लड़का

[श्री वी० जी० देशपांडे]

हो तो इसके अधीन शादी कर सकते हैं, यह आपका आदर्श विवाह का नमूना है जो आप दुनिया के सामने रख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि २५ साल की उम्र जब तक नहीं होती है तब तक उनको अधिकार नहीं देना चाहिये कि वह विवाह करें।

आगे चल कर मैं थोड़ा ज्वाइन्ट फैमिली प्रापरटी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आप इस एकल कुटुम्ब पद्धति के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, तो इस सम्बन्ध में मैं यह जरूर चाहूंगा कि जो लोग स्पेशल मैरिज के अन्दर विवाह करना चाहते हैं उनको ज्वाइन्ट फैमिली में नहीं रहना चाहिये और न ही उनको ज्वाइन्ट फैमिली की प्रापर्टी में हिस्सा मिलना चाहिये। हमारी पुरानी परम्परा में इस प्रकार की जो जायदाद होती है और सम्पत्ति होती है वह धर्म कार्यों के लिये पिता से पुत्र को दी जाती है ताकि वह धर्मवत कार्य और आचरण करे, धर्म का संचालन करे, इसके लिये उसको यह सम्पत्ति दी जाती है और मैं समझता हूं कि आप जो प्रौग्रेसिव आइडियाज़ वाले हैं उनको प्राइवेट प्रापरटी से कोई लगाव भी नहीं होना चाहिये और आशा करनी चाहिय कि आप उसके लिये झगड़ेंगे भी नहीं। आप तो निजी और वैयक्तिक सम्पत्ति को ज़रूरी चीज़ मानते नहीं है और आपकी नज़र में यह बड़ी एन्टीक्वटड और रीएक्शनरी चीज़ें हैं इसलिये उसकी आपको परवाह नहीं करनी चाहिये। लेकिन जो आदमी धर्म के अनुसार चलेगा और धार्मिक पद्धति के अनुसार विवाह करेगा उसको उस सम्पत्ति से वंचित न रक्खा जाये क्योंकि आखिर विवाह भी तो एक धार्मिक कृत्य है और पत्नी धर्म का मुख्य सिद्धान्त है इस विवाह से पत्नी का कोई धर्म हो नहीं सकता और आप यदि अपने मन की इच्छा के अनुकूल विवाह करना चाहते हैं तो पहले की जो इनहरिटड प्रापर्टी है जितनी ज्वाइन्ट फमिली प्रापर्टी है उस में आप को कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिये। उसे उत्तराधिकार से वंचित किया जाना चाहिये।

अन्त में जब यह क्लाज़ आयेगा तब मैं इस पर बोलने वाला हूं।

मैं आप से एक ही प्रार्थना करूंगा और वह प्रार्थना यह है कि आप के हाथ में क़ानून बनाने का अधिकार आ गया है। जार्ज वाशिंगटन को उस के पिता ने एक परसा बख्शीश में दिया था। उस ने बाग़ीचे में जा कर जो सब से अच्छा पेड़ था उसी पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया। इसी तरह से आप ने भी यह सोचा कि क़ानून बनाने का अधिकार हमारे हाथ में आ गया है इसलिये पहले कुल्हाड़ी किस पर चलाई जाये? आप ने सब से पहले हमारी प्राचीन, पवित्र और गम्भीर विवाह संस्था के ऊपर ही कुल्हाड़ी चला दी।

मुझे और भी दुःख होता है कि जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने वैदेशिक कार्य विभाग पर हुई चर्चा के समय कहा था कि गोआ का विषय तब तक नहीं आयेगा जब तक विशेष विवाह विधेयक स्वीकार नहीं हो जाता है। मुझे पता नहीं चला कि इस से गोआ का सम्बन्ध क्या है। एक बात तो ठीक है कि गोआ का विवाह से इस तरह से सम्बन्ध है कि गोआ दहेज में मिला था। शायद इसी कारण आज प्रधान मंत्री विशेष विवाह विधेयक को स्वीकार करना चाहते हैं कि हो सकता है कि किसी पोर्चगीज़ लड़की का हिन्दुस्तान के किसी आदमी से विवाह हो जाये और गोआ दहेज़ में आ जाये। इसी आशा से कि गोआ दहेज़ में मिल जाये शायद हमारे प्रधान मंत्री इस बिल को पहले पास

करना चाहते हैं । मैं आप से कहना चाहता हूं कि मैं इस तरह से इतने महत्वपूर्ण विषय के साथ मखौल करने के विरुद्ध हूं । हिन्दू धर्म, हिन्दू परम्परा और हिन्दू संस्कृति में हिन्दुओं के बारे में ही नहीं कहता, पृथ्वी की जो संस्कृति है, मानवता की जो संस्कृति है उस की बुनियाद अगर कोई है तो वह पवित्र विवाह संस्कार है और हम लोग विवाह को पवित्र संस्कार मानते हैं और जब हम इस को पवित्र संस्कार मानते हैं तो आप इस तरह से इस का मखौल न उड़ाइये । आप बड़े प्रौग्रेसिव बन गये हैं, लेकिन आप इस विवाह पद्धति पर आक्रमण न कीजिये । यहां पर जिस तरह से हिन्दू विवाह विधेयक की चर्चा चल रही है और जो क़ानून बनने जा रहा है उस में तो हिन्दू विवाह को माचिस सुलगा कर आग लगाने का काम हो रहा है । यह बातें नहीं होनी चाहियें । मैं किसी पार्टी की चर्चा नहीं करता हूं लेकिन इस सम्पूर्ण सदन से कह रहा हूं कि यह जो विशेष विवाह विधेयक आया है उसे हम को नहीं स्वीकार करना चाहिये ।

इतनी ही मेरी प्रार्थना है ।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : श्रीमान् सभापति जी, यह प्रसन्नता की बात है कि श्री एन० सी० चटर्जी और श्री वी० जी० देशपांडे के बाद मुझे बोलने का अवसर मिला । इसलिये कि यह लोग अपने को धर्म का महान् प्रवर्तक समझते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : ठेकेदार कहिये ।

श्री भागवत झा आजाद : ठेकेदार शब्द का प्रयोग तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि वे महान् हैं । लेकिन वे अपने को धर्म प्रवर्तक समझते हैं । मैं समझता हूं कि इस हाउस में और भी लोग जो हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं वह यह समझते हैं कि अगर वह प्रवर्तक नहीं हैं तो कम से कम इस विद्या के ज्ञानी अवश्य हैं । इन माननीय सदस्यों ने इस प्रकार आरम्भ किया कि इस विवाह विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिये कि यह विधेयक हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता पर कुठाराघात है । उन्होंने हिन्दू संस्कृति की महानता और उस की विशालता का जो विवरण हमारे सामने रखा है, उस से कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू धर्म को मानने वाला इस हाउस में है सहमत होगा । हम यह मानते हैं कि हमारी संस्कृति महान और विशाल है । हिमालय पहाड़ की चोटी से कन्याकुमारी अंतरीप तक और पंजाब से बंगाल तक गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में यह सभ्यता रही है, इस का कारण यह है कि हमारी संस्कृति ने अपने अन्दर सब धर्मों का समावेश करने की काफी कोशिश की है । श्री एन० सी० चटर्जी हमारे सामने यह पेश करते हैं कि हमारी संस्कृति महान इसलिये है कि इस के फंडामेंटल प्रिंसिपल, मौलिक सिद्धान्त बहुत गहरे हैं । मैं भी मानता हूं कि उस के सिद्धान्त बहुत बड़े हैं, लेकिन साथ साथ जब वह इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते हैं तो भूल जाते हैं कि इस धर्म की संस्कृति की विशेषता यह है कि उस ने समय समय पर अपने में परिवर्तन किया, समाज के अनुसार, देश के अनुसार, वातावरण के अनुसार । हम यह जानते हैं कि खैबर के रास्ते से, हमारे पश्चिमी मार्ग से बहुत सी जातियां हमारे देश में आईं । हमारे यहां हूण आये, शक आये, बहुत सी जातियां आईं । हमारे धर्म की विशेषता यह है कि उस ने यही नहीं कि उन सब धर्मों को अपनाया बल्कि उन तमाम जातियों और उन के धर्मों को अपने अन्दर स्थान दिया । परिणाम यह हुआ कि हमारा धर्म आज भी

[श्री भागवत झा आजाद]

समय को चुनौती दे कर, अपनी तमाम कठिनाइयों को चुनौती दे कर हमारे सामने खड़ा है। इस लिये आज प्रश्न यह नहीं है कि जहां ` इस बात पर ज़ोर देते हैं कि हमारी संस्कृति महान है और हमारे फण्डामेन्टल प्रिंसिपल्स महान हैं, उसे हमें छोड़ देना चाहिये। आज हमारे धर्म की महानता इसलिये है कि इस धर्म के अन्दर समय के अनुसार, समय की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन हुआ। इसलिये आज आवश्यकता है कि हम मनु के सिद्धान्तों को ही पकड़े न बैठे रहें, उसी वक्त के फण्डामेन्टल प्रिंसिपल्स को हम न लिये रहें। हमारी आवश्यकतायें बदलती रहती हैं और आज इस देश की परिस्थिति की आवश्यकतानुसार हम अपने में परिवर्तन लायें।

हमारे सामने राम और सीता का आदर्श पेश किया जाता है। ठीक है, राम और सीता हमारे लिये आदर्श नर नारी हैं। पंडितों के लिये तो नारायण हैं, लेकिन हम मानते हैं कि जिस समय हिन्दू संस्कृति कगार पर खड़ी थी और एक धक्के की राह देख रही थी इस मुल्क में उस समय हमारे सामने राम ने और सीता ने अपना आदर्श रखा। उस समय जो परिस्थिति थी उस में तुलसीदास ने हमारे सामने राम और सीता का आदर्श रखा और इस लिये हम अपनी रक्षा कर सके। लेकिन मैं जानना चाहता हूं अपने पंडितों से कि जिन्होंने राम और सीता का नाम लिया है कि आज की परिस्थिति क्या है? जिस समय लक्ष्मण से पूछा गया कि तुम इन आभूषणों को पहिचानते हो, तो लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि मैं पैर की ैजनियों को पहिचानता हूं। मैं पूछता हूं कि क्या आज के लक्ष्मण पैर की पैंजनियों को पहिचानेंगे या सर का मनटिक्का? प्रश्न यह है कि उस समय म और आज की परिस्थिति में यह फ़र्क है। क्या कभी आपने इसके बारे म सोचा है? उस समय म और आज के समय म बहुत फर्क है। उस समय एक विवाह था। हम मानते हैं कि यह उस समय का आदर्श था। लेकिन आज हम इस में तलाक़.....

एक माननीय सदस्य: दशरथ ने कितनी शादियां की थीं?

श्री भागवत झा आजाद: हमारे बन्धु पूछते हैं कि दशरथ ने कितनी शादियां की थीं। यह बात आप देशपांडे जी से पूछिये।

मेरे कहने का मतलब यह है कि आज यह विशेष विवाह विधेयक इसलिये लाया जा रहा है कि आज की परिस्थिति आज के देश की आवश्यकता इस बात को मांगती है। इसीलिये हम इस को लाते हैं और पास करते हैं।

श्री चटर्जी ने पूछा कि क्या आप ने एलेक्टोरेट से इस के लिये राय ली है। मैं उनके सामने एक मिसाल रखता हूं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद गये थे, उन का कंटेस्ट था, प्रभु दत्त ब्रह्मचारी से। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी ने कहा था कि मैं अपना कंटेस्ट वापस ले लूंगा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू यह एश्योरेंस दें कि वह हिन्दू कोड बिल वापस ले लेंगे। तो हमारे प्रधान मंत्री ने क्या कहा था?

> "मैं केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि मैं इस बिल को पास करूंगा।"

क्या यह जनता की आवाज़ नहीं है कि श्री जवाहरलाल नेहरू इस सभा के लिये निर्वाचित हुये?

आप देख लें कि यह बात सत्य है या नहीं। इसलिये जहां तक यह प्रश्न उठता है कि इस के पीछे एलेक्टोरेट की राय है या नहीं

मैं आप को जो मिसाल दे रहा हूं वह इस हाउस के नेता की है । उन्होंने इलाहाबाद म प्रभु दत्त ब्रह्मचारी को इस का जवाब दे दिया था ।

हमारे सामने तुलना की हमारे मित्र न बन्दरों की । हमारे सदन के इस ओर के सब सदस्य इस बात में होड़ लगाये हुये हैं कि कौन बन्दर को कितना जानता है । मैं आपको एक क़िस्सा सुनाना चाहता हूं । एक सेठ था, उस के पास एक घोड़ा था । उस सेठ के एक मित्र ने उस से घोड़ा मांगा । सेठ ने कहा, "मित्र घोड़ा नहीं है" । मित्र को थोड़ा शक़ हुआ । वहां मित्र कुछ देर रुक गया । इतने में घोड़ा हिनहिनाया, उस की आवाज़ मित्र के कान में पड़ी । उस ने कहा, "सेठ, तुम तो कहते थे कि घोड़ा नहीं है, लेकिन वह हिनहिना रहा है" । सेठ ने कहा कि "मित्र, तुम ने घोड़े की आवाज़ तो पहिचानी, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं पहिचानी ।" मैं तुलसीदास को पहिचानता हूं, उन की आवाज़ को पहिचानता हूं, उन के घोड़े की आवाज़ को नहीं पहिचानता ।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि उन सदस्यों में और मुझ में यह फ़र्क़ है कि वह विवाह को सिर्फ आध्यात्म या धर्म का आधार मानते हैं । मैं मानता हूं और हमारे अधिकांश सदस्य मानते हैं कि विवाह का आधार सिर्फ धार्मिक ही नहीं हैं, आध्यात्मिक ही नहीं है, उस का आधार पारिवारिक भी है । एक परिवार में दूसरे परिवार की नारी विवाह कर आती हैं तो उस के कन्धों पर बहुत से बोझ पड़ते हैं । उस परिवार के अन्दर उस की जो पदवी है उस के अनुसार वह विस्तृत मैदान में आती है । वह अपने अन्दर पति और बच्चों की आर्थिक समस्याओं को स्थान देती है । इसलिये यह विवाह आध्यात्मिक है, यह विवाह आर्थिक है, और आध्यात्मिक तथा आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनैतिक भी है । पति और पत्नी के जोड़ से बहुत सी राजनैतिक समस्यायें उत्पन्न होती हैं और उस का हम समाधान करते हैं ।

हमारे विवाह का आधार व्यक्तिगत भी है, सिर्फ धार्मिक नहीं है । हमारे विवाह का आधार बौद्धिक भी है । हम यह नहीं चाहते कि हम एक स्त्री पर इस तरह विवाह का बन्धन लगा दें कि वह दाई की तरह काम करती रहे । अगर हमारे घर में आदमी चाहिये तो हम यह नहीं चाहते कि अपनी सहगामिनी को जो एक तरह से हमसे कमजोर है घर में रख कर उससे सिर्फ काम लें । हम उम्मीद करते हैं कि जो स्त्री हमारी पत्नी या अनुगामिनी बनना चाहती है वह बौद्धिक स्तर पर हमारा साथ दे सके । हमारे विवाह का आधार शारीरिक भी है, बायोलॉजीकल भी है । मैं समझता हूं कि हमारे विवाह का आधार उतना आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं है जितना कि आर्थिक है, राजनैतिक है, व्यक्तिगत है या शारीरिक और बायोलॉजिकल है । इसलिये सब से बड़ा डिफरेंस उनमें और हममें यही है और इसीलिये वे इस विवाह विधेयक को नहीं समझ सकते हैं और इसीलिये हमारा और उनका विरोध है ।

इसके बाद मैं इस विधेयक की तीन चार धाराओं पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । इस विधेयक में विवाह के लिये उम्र २१ वर्ष दी हुई है । मैं मानता हूं कि जो २५ वर्ष में या इससे ज्यादा अवस्था में शादी करना चाहते हैं उनके लिये कोई रुकावट नहीं है । लेकिन इस देश की जो परिस्थिति है उसको देखते हुये और कन्याओं की जो रजस्वला होने की उम्र है उसको देखते हुये यह उम्र १८ वर्ष रखी जानी चाहिये । लेकिन हम ज़ोर नहीं देते कि वह २१ वर्ष न हो । अगर स्त्री और पुरुष १८ वर्ष के हैं तो उनका

[श्री भागवत झा अजाद]

विवाह यहां हो सकता है। यह विशेष विवाह विधेयक इस बात की इजाज़त दे मैं यह चाहता हूं। लेकिन अगर कोई २१ वर्ष से ऊपर हों तो उस विवाह में कोई रुकावट नहीं है।

मैं इस विधेयक में एक और बात का विशेष रूप से विरोध करता हूं। वह यह है कि आप इस विधेयक के अनुसार विवाह करने वाले को अपने परिवार से सम्बन्ध विच्छेद करने के लिये मजबूर करते हैं। यानी आप यह चाहते हैं कि अगर किसी लड़के या लड़की को विशेष विवाह करने का अधिकार मिल जाये तो वह अपने परिवार से अलग हो जायें। क्या आप यह चाहते हैं कि अगर कोई स्त्री ऐसा विवाह करे तो वह अपने घर को छोड़ कर सड़क पर आ जाये। इस तरह से आप इस विधेयक में जो अधिकार एक हाथ से देते हैं उसको दूसरे हाथ से ले लेते हैं। आप उसे विवाह का अधिकार देते हैं लेकिन उसे अपने परिवार से सम्बन्ध विच्छेद करने के लिये मजबूर करते हैं। अगर आप इस चीज़ को क़ानून में रखना ही चाहते हैं तो आप गार्जियन या पिता को यह अधिकार दें कि वह चाहे तो उसे परिवार में रखे या अलग कर दे। अगर मेरा पुत्र उम्र आने पर विशेष विवाह विधेयक के अनसार विवाह करता है तो यह अधिकार आप मुझे दें कि मैं उसे अपने परिवार में रखूं या न रखूं। लेकिन इस क़ानून से तो आप उसे मजबूर करते हैं कि वह विवाह करने के बाद अपने परिवार से अलग रहे। इस प्रकार मैं देखता हूं कि अगर आप इस विधेयक द्वारा दो क़दम आगे जाते हैं तो चार क़दम पीछे जाते हैं। मैं चाहता हूं कि उसको आप इस धारा १९ में अपने परिवार से अलग रहने पर मजबूर न करें। यह अधिकार आप उसके पिता को दें कि अगर वह उसको अपने परिवार में न रखना चाहे तो न रखे। मैं समझता हूं कि इस तरह से किसी को अपने परिवार से अलग रहने के लिये मजबूर करना अन्यायपूर्ण है।

उसके बाद मैं तलाक़ के प्रश्न पर आता हूं। मैं इस में एक बात का विरोध करता हूं। वह यह है कि आप ने जो प्रोवीज़न दिया है कि सहमति से विवाह-विच्छेद हो सकता है यह अन्याय पूर्ण है, वह इसलिये कि आज की देश की अवस्था में, और स्त्रियों की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुये, किसी भी पति के लिये अपनी पत्नी से ज़ोर डाल कर कंसेंट ले लेना आसान है। इसका मतलब यह हुआ कि इस विधेयक में आपने जो प्रगतिशीलता की बात की है उसको साफ साफ इस धारा से कम कर दिया है क्योंकि आप कहते हैं कि पत्नी की सहमति से सम्बन्ध विच्छेद हो सकता है। आज समाज में जो स्त्री की स्थिति है उसको देखते हुये यह सहमति किसी भी तरह से ज़ोर डाल कर या इकोनामिक सेंक्शन लगा कर ली जा सकती है। इसलिये डाइवोर्स बाई कंसेंट का अधिकार दे कर आप इस प्रगतिशीलता पर सब से बड़ा कुठाराघात करते हैं। इसलिये इस विशेष विवाह विधेयक में जो यह प्रोविज़न दिया गया है वह ग़लत है और उसको निकाल देना चाहिये।

इसके अलावा इस विधेयक में और भी धारायें हैं जिन पर मुझे विरोध है लेकिन मैं समझता हूं कि इस अवसर पर मैं अपना विरोध इन्हीं दो धाराओं तक सीमित रखूंगा और जब विभिन्न धाराओं पर बहस होगी तो उन पर मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इसलिये इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि यह आज समय की परिस्थितियों के अनुसार है यद्यपि हम इस विधेयक के द्वारा उतने आगे नहीं जा रहे हैं जितनी कि आवश्यकता है। अगर हम इसके द्वारा कुछ आगे भी जाते हैं तो इन दो क्लाजेज़ के द्वारा उस प्रगतिशीलता

को पीछे ले जाते हैं। परन्तु जब इस सदन में इस विधेयक का विरोध हमारे चटर्जी साहब या देशपांडे साहब करते हैं तो उनका दृष्टिकोण सोलहवीं शताब्दी का होता है। आज संसार बहुत आगे बढ़ गया है। आज इस बीसवीं सदी में सिर्फ शास्त्रों का हवाला देना तो अन्यायपूर्ण है। अस्तु यद्यपि यह विधेयक उतना प्रगतिशील नहीं है जितना कि होना चाहिये फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री भंडारी (जयपुर) : विशेष विवाह विधेयक में मुख्यत: दो उपबन्ध हैं, एक विवाह के सम्पन्न होने से सम्बन्ध रखता ह, दूसरा इसे पंजीबद्ध कराने में।

मैं केवल पंजीयन के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। इस विधेयक का तृतीय अध्याय विवाह के पंजीबद्ध कराने से सम्बन्ध रखता है। इस अध्याय के खंड १५ के अनुसार कोई भी विवाह १८७२ के विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध हुये विवाह के अतिरिक्त इस अध्याय के अधीन पंजीबद्ध हो सकेगा। इससे वैध अथवा अवैध विवाहों का भी पंजीयन हो सकेगा। परिणाम यह होगा कि दो स्त्री तथा पुरुष, जो किसी विधि के अनुसार विवाहित तो नहीं हैं, परन्तु पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, कई वर्ष के पश्चात् अपने विवाह को पंजीबद्ध करा सकेंगे। इस समय में उनके सन्तान भी हो सकती है। इस का परिणाम यह होगा कि विवाह की संस्था ही लुप्त हो जायगी। समाज में विवाह इसीलिये होते हैं कि उसके परिणामस्वरूप सन्तान उत्पन्न हो। अत: आप ऐसे लोगों को जो बिना विवाह किये सन्तान उत्पन्न करते हैं एक अवसर दे रहे हैं जिससे कि वह दस-बीस वर्ष के बाद भी अपना विवाह पंजीबद्ध करा लें और उनके बच्चे भी वैध घोषित कर दिये जायें।

जहां तक वैध विवाहों के पंजीयन का सम्बन्ध है मैं यह कहूंगा, कि एक विवाह हिन्दू अथवा मुस्लिम विधि के अधीन किया गया विवाह भी वैध ही होता है, तो ऐसे धार्मिक मान्यता प्राप्त विवाहों के पंजीयन का क्या प्रयोजन है ? मैं तो यही कहूंगा कि प्रयोजन केवल एक ही है अर्थात् उन विवाहों को इस अधिनियम के अधीन सम्पन्न हुये विवाहों के स्तर पर लाना है और इससे इस विधेयक के खंड १९, २० तथा २१ के परिणामों का अनुसरण होगा, अर्थात् संयक्त परिवार भग हो जायगा और सम्पत्ति भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन आ जायगी, अथवा इस अधिनियम के अधीन न्यायिक पृथक्करण भी हो जायगा। सम्भवत: जैसा कि खंड २७ में दिया गया है, विवाह-विच्छेद भी होगा। यह है परिणाम वैध विवाहों के पंजीबद्ध करान का। जहां तक मेरा विचार है, केवल संयुक्त परिवार से पृथक् होने अथवा न्यायिक प्रथक्करण प्राप्त करने के लिये कोई भी व्यक्ति वैध विवाहों को पंजीबद्ध नहीं करायेगा। पंजीबद्ध कराने का केवल एक ही लाभ है अर्थात् वह व्यक्ति अपने धार्मिक ान्यता प्राप्त विवाह को केवल खंड २७ ा लाभ उठाने के लिये ही पंजीबद्ध करायेगा, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

अब जो विवादास्पद खंड है वह केवल सहमति से विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में है। मैं यहां पर इस के गुण अथवा दोष का वर्णन नहीं करूंगा, परन्तु मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि यह विवाह-विच्छेद लाभदायक है तो उसे हिन्दू विधि में सम्मिलित कर दिया जाय, और इसी प्रकार मुस्लिम विधि में भी नियोजित कर दिया जाय। केवल सहमति से विवाह-विच्छेद के लिये ही इस अधिनियम के अधीन विवाह को पंजीबद्ध कराने की क्या आवश्यकता है ?

[श्री भंडारी]

मैं विनीत प्रार्थना करता हूं कि वैध विवाहों के पंजीयन का कोई लाभ नहीं है। जैसा कि मैं ने पहले कहा है, संयुक्त परिवार से पृथक होना भी कोई विशेष लाभ नहीं है। जहां तक उत्तराधिकार का सम्बन्ध है, उसके लिये भी हिन्दू अथवा मुस्लिम विधियों में उपबन्ध हैं, न्यायिक पृथक्करण के बारे में हम विधि बना ही रहे हैं, अतः यदि आप विवाह-विच्छेद भी रखना चाहते हैं तो रखिये, परन्तु वैध विवाहों को पंजीबद्ध कराने का क्या अर्थ है? जहां तक अवैध विवाहों का सम्बन्ध है मैं उनके सम्बन्ध में पहले ही कह चुका हूं। मुझे खंड १५ के सम्बन्ध में भी बहुत आश्चर्य हुआ है। उस में लिखा है कि "इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अथवा पश्चात् सम्पन्न हुआ कोई भी विवाह........"। परन्तु सम्पन्न हुआ कोई भी 'विवाह' का क्या अर्थ है? इसकी एक स्थान पर यह परिभाषा दी गई है: "कि दोनों पक्षों में विवाह का एक संस्कार सम्पन्न हुआ है।" परन्तु हमें यह पता नहीं कि कौन सा संस्कार सम्पन्न हुआ है? जो विवाह हिन्दू या मुस्लिम विधि अथवा रिवाज के अनुसार हुआ है, वह तो वैध है ही—तो फिर इस खंड का क्या प्रयोजन है? इसमें किसी भी संस्कार का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है।

इसका परिणाम यह होगा कि कोई व्यक्ति जो दस वर्ष से एक स्त्री के साथ बिना किसी भी प्रकार के विवाह के सहवास करता रहा है वह भी इस के अधीन अपने विवाह को पंजीबद्ध करा लेगा और हम उसे भी विवाह ही कहेंगे। इसका तो पता ही नहीं लगेगा कि कब और किस समय किसी प्रकार का कोई संस्कार हुआ था अथवा नहीं। कम से कम हमें संस्कार के सम्बन्ध में कोई न कोई स्पष्टीकरण अवश्य कर देना चाहिये।

जहां तक वैध विवाहों के पंजीबद्ध कराये जाने का सम्बन्ध है, मेरे विचार में इस अधिनियम के अधीन वह अनावश्यक है। यदि पंजीबद्ध कराने का अर्थ विवाह-विच्छेद की सुविधा देने से है तो इस सम्बन्ध में हिन्दू विधि में भी ऐसा उपबन्ध किया जा सकता है। अवैध विवाहों के सम्बन्ध में इस प्रकार की सुविधा का दिया जाना ठीक नहीं है क्योंकि विवाह एक पवित्रता रखता है और समस्त राष्ट्र का यह विचार है कि विवाह के बिना सन्तान नहीं होनी चाहिये। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि इस अधिनियम के अधीन अवैध विवाहों को पंजीबद्ध न किया जाय अन्यथा अनाचार बढ़ जायगा। मेरे विचार में इस विधेयक में पंजीयन से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्धों के लिये कोई स्थान नहीं होना चाहिय। जो कुछ पुरानी विधि में थोड़ा सा संशोधन करके सिद्ध किया जा सकता था, इस महान तथा संदिग्ध विधेयक के द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मेरे विचार में देश इसके लिये तैयार नहीं है। अतः मैं इस पंजीयन सम्बन्धी उपबन्धों का विरोध करते हुये शेष विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री डी० डी० पन्त (ज़िला अलमोड़ा उत्तर-पूर्व) : जनाब सदर, मैं इस वक्त अंग्रेज़ी में न बोल कर हिन्दी में बोल रहा हूं क्योंकि विरोधी लोग यह न कह बैठें कि मेरे ऊपर पश्चिम ने बड़ा भारी असर डाला है, इसलिये मैं अपनी पूर्वीय सभ्यता और मानव सभ्यता को सामने रखता हुआ इस विषय पर हिन्दी में बोलूंगा।

मैं ने देखा कि यहां पर जो इतने लोग बोले शायद बहुत कम लोगों ने इस बात

के ऊपर सोचा कि आखिर विवाह है क्या चीज़। मैं ने श्री एन० सी० चटर्जी को कहते सुना कि मैरिज एक बड़ी सैक्रड चीज़ है। बहुत लोग यह विश्वास करते हैं कि इसको ईश्वर ने बनाया था और भगवान कृष्ण और रामचन्द्र की बहुत सी बातें करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आप ठंडे दिमाग़ से सोचें और अपने शास्त्रों के अनुसार यदि सोचें तो आप को इस बात का पता चल जायगा। यदि भागवत को पढ़ें और कृष्ण के बारे में पढ़ें जिनके लिये वह कहते हैं कि हर एक उनका नाम लेता है, उनके बारे में सोचें तो वह समझ जायेंगे कि विवाह की प्रथा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई बहुत सैक्रड हो। यह तो मनुष्य की एक ज़रूरत है और इस कारण यह प्रथा आ गयी। इसे न भगवान ने बनाया था और न यह कहीं स्वर्ग से उतर कर आयी है। हमारे सब से बड़े ला गिवर जिन्होंने हिन्दुओं के लिये क़ानून बनाया है, जिनका नाम वेदव्यास है उनके बारे में मैं आपको बतलाऊं कि उनके पिता ने भी कोई विवाह नहीं किया था। मैं नहीं समझता हूं कि मैरिज एक सैक्रामेंटल चीज़ है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होना चाहिये। यह आप लोगों की बिल्कुल ग़लत धारणा है और इसमें आवश्यक बदलाव और परिवर्तन करना जो हमारी सभ्यता हैं और जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, उनके प्रतिकूल नहीं हैं। विवाह की यही स्थिति क्रिश्चियन मत में है। जो क्रिश्चियन मज़हब के कट्टर-पंथी हैं जो कि क्रिश्चियन मज़हब को समझते हैं वह कहते हैं कि विवाह कोई खास आवश्यकता के तौर पर नहीं है। टाल्सटाय ने कहा है: "किसी व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार नहीं है"। मनुष्य को यह हक़ ही नहीं होना चाहिये कि वह विवाह करे। यह शादी की जो बात चली है यह बहुत बाद में चली है। हमारे कात्यायन ऋषि के समय तक कोई विवाह नहीं होता था। मर्द और औरतें आज़ाद रहती थीं।

श्रीमती विजय लक्ष्मी (ज़िला लखनऊ—मध्य) : कात्यायन को मरे हुये कितने वर्ष हो गये ?

श्री डी० डी० पन्त : मैं समझता हूं कि उन को मरे हुये ७,००० वर्ष हो गये।

श्रीमती विजय लक्ष्मी : उस के बाद तो ऐटम बम बन गया।

श्री डी० डी० पन्त : मैं कहता हूं कि यह बात ऐसे हो गई कि एक बार कात्यायन ऋषि जब बच्चे थे अपनी मां के साथ राजा के यहां गये थे। वहां एक दूसरे ऋषि ने उन की मां को देखा और उस को फुसला लिया। कात्यायन बग़ैर मां के रह गये। जब वह बड़े हो गये तो राजा से जा कर कहा कि यह होना चाहिये कि जब एक स्त्री किसी मर्द से विवाह कर लेगी तो वह दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकती। और उसी के बाद से यह प्रथा आ गई। अगर कात्यायन ऋषि इस प्रथा को न ले आते तो शायद यह प्रथा ही नहीं आती। मैं चाहता हूं कि हमारे मित्र ठंडे दिमाग़ से इस बात को सोचें। इस पर वैज्ञानिक दृष्टि डालें। आज कल जो जीवन विज्ञान है उस के अनुसार भी यदि सोचा जाय, उस के जो उसूल हैं उन के मुताबिक़ अगर हम चलें तो मैं नहीं समझता कि कोई विवाह की प्रथा को स्वीकार करेगा। जीवन विज्ञान के अनुसार यह जो स्त्री पुरुष का सम्बन्ध है उस से बच्चे पैदा होते हैं। जीवन विज्ञान कहता है:

> "स्त्री पुरुष के सम्बन्ध का उद्देश्य बच्चे पैदा करना है।"

मुझ में कोई खास गुण हैं, मेरी स्त्री में कोई खास गुण हैं, मेरी जो औलाद होगी वह

[श्री डी० डी० पन्त]

बिल्कुल नई तरह की चीज़ होगी । मैं समझता हूं कि जिस समय आदमी दिमाग़ लगायेगा, रीज़न के मुताबिक़ चलेगा तो वह विवाह प्रथा को ही छोड़ देगा । एक पुरुष एक स्त्री से ज्यादा औलाद पैदा ही नहीं करेगा । इसके बाद अगर स्त्री कोई दूसरा बच्चा चाहती है तो वह दूसरे पुरुष के पास जा सकती है और इसी तरह से पुरुष दूसरी स्त्री के पास जा सकता है । इसमें सब से अधिक वेरियेशन होंगे ।

दूसरी बात यह मैं कहता हूं कि विवाह की जो प्रथा है वह एक हद तक हमारी आज़ादी को मारती है । शादी हमारी आज़ादी को कर्टेल करती है । यदि एक स्त्री बच्चा चाहती है तो वह मजबूर है कि एक आदमी की आजन्म गुलाम बनी रहे । अगर वह एक ही बच्चा चाहती है और आदमी के पास नहीं रहना चाहती है तो क्या आवश्यकता है कि उस को उस बन्धन में बांध रक्खा जाय ?

यह बात भी है कि समाज में एक विवाह की प्रथा आ गई है और इस के रहते हुए हम जितनी सहायता स्त्री पुरुषों की करना चाहते हैं नहीं कर सकते । मैं समझता हूं कि जितने भी इस बिल में क्लाजज़ हैं कोई भी उन में से ऐसा नहीं कि उस पर किसी प्रकार का उज्र हो । लेकिन जैसा मैं ने कहा है कि ज मनुष्य का एक पर्फेक्ट समाज होगा तो उस में विवाह जैसी संस्था ही नहीं रहेगी क्योंकि यह हमारी कमज़ोरियों की वजह से है अगर हम विवाह नहीं करते हैं तो अपूर्ण समाज में आपस में लड़ाई हो जायगी । अगर विवाह की प्रथा आज नहीं रहती है तो जैसे ज़मीन के पीछे झगड़े हुआ करते हैं उसी तरह से औरतों के पीछे भी झगड़े हुआ करेंगे । इसीलिये जिस प्रकार धरती अलग अलग बंटी है औरतों को भी अलग अलग रखना अच्छा है । वरना—

"सकल भूमि गोपाल की, या में अटक कहा,
जाके मन में अटक है सोई अटक रहा ।"

अगर हम लोगों को आज़ादी की आवश्यकता है तो जितनी आज़ादी हम दे सकते हों उतनी हम को देनी चाहिये । कहा गया है 'डाइवोर्स बाई कंसन्ट' यानी राज़ीनामे से डाइवोर्स नहीं होना चाहिये । मैं कहता हूं कि अगर एक आदमी ग़लती कर बैठता है और उस को सुधारना चाहता है तो उस को इस का हक़ होना चाहिये । मान लीजिये कि किसी औरत और मर्द ने शादी करने में ग़लती कर दी तो आप कहते हैं कि कन्सन्ट से डाइवोर्स हो ही नहीं सकता, उस को इस का हक़ ही नहीं है कि अपनी ग़लती सुधारे । यह इसलिये है कि हम पुराने शास्त्रों के दास बन गये हैं । वह शास्त्र भी तो मनुष्यों के ही लिखे हुये हैं, जिस वक्त देश की जैसी परिस्थिति थी उस समय वैसा ही शास्त्र लिख दिया गया । अष्ट वर्षत् भवेत गौरी भी शास्त्र में लिखा है । अगर शास्त्रों के अनुसार आठ आठ वर्ष की लड़कियों की शादी कर दी जाय तो इस से एक बहुत बड़ा अन्धेर हो जायगा । अगर आप शास्त्र की बात मानते हैं तो दस वर्ष के लड़के की शादी कर दीजिये । आखिर आप ने शारदा ऐक्ट क्यों पास कर दिया ? यह क्यों क़ानून बना दिया कि १६ वर्ष से पहले लड़की की शादी नहीं होगी । शास्त्रों को समय समय पर बदलना चाहिये । यह भी एक शास्त्र है जिसे हम आज कल देश में चला रहे हैं और जिस के अनुसार हम काम कर रहे हैं । तो इन सब बातों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि कोई भी क्लाज़ इस बिल के अन्दर ऐसी नहीं है जोकि हानिकारक हो

बल्कि मैं समझता हूं कि ऐसा बिल वास्तव में आना चाहिये कि विवाह की कोई आवश्यकता ही न रहे।

मेरे मित्र ने मुता के बारे में कहा कि मुसलमानों में मुता विवाह होता है। मैं मुहम्मद को मनुष्य समाज का बड़ा भारी जीनियस समझता हूं। उस ने निकाह की जो पद्धति रखी वह इसलिये रखी कि जिस में पुरानी विवाह की प्रथा एक दम हटने से लोग चौंक न जायें। मुता जीवन विज्ञान के अनुसार ठीक विवाह है। आजकल के पति पत्नी एक ही तरह के बच्चे पैदा करते हैं, यह सौन्दर्य शास्त्र के विरुद्ध बात है। एक बार बच्चा हो जाय तो फिर उसी तरह का बच्चा दुबारा क्यों हो ? फिर नये तरह का बच्चा हो, इसीलिये यह मुता की प्रथा को रक्खा गया था। आप इस बात को देखिये कि मुता जो था वह हर मर्द और औरत को ज्यादा आज़ादी देता था। एक मर्द एक घंटे के लिये, दो घंटे के लिये, एक साल के लिये, या पांच साल के लिये शादी कर सकता है उस के बाद अपना बन्धन काट सकता है। अगर विवाह की पुरानी प्रथा न चली होती तो हम देखते कि दुनिया में मुता ही रहता। वैज्ञानिक ढंग से मुता ही सब से अच्छी विवाह की प्रथा है। इसलिये मेरी अर्ज़ है कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिये कि विवाह क्या चीज़ है, वह किस प्रकार से होता है और उस का हमारी आज़ादी पर क्या असर होता है। यदि हम इस को समझ जायेंगे तो हम इस प्रकार के बिल का विरोध नहीं करेंगे।

कुछ लोगों न कहा कि औरतों को ज़बरदस्ती पीट कर आदमी कन्सेन्ट ले लेंगे। मैं कहता हूं कि यह ग़लत बात है। वह लोग यह नहीं जानते हैं कि औरत आदमी पर कितना असर रखती है। मैं तो समझता हूं कि शायद स्त्री ही ज़बरदस्ती कर के कन्सेन्ट ले ले, लेकिन मर्द उस पर हाथ नहीं उठायेगा। यह कह देना कि डंडों से आदमी मार कर कन्सेन्ट ले लेगा बिल्कुल ग़लत बात है। मैं खुद विवाहित हूं, मेरे चार बच्चे हैं, मैं जानता हूं कि क्या असली हालत घरों की होती है, और औरत कितना असर रखती है। मैं बिलकुल आज़ाद आदमी हूं। एक और से तो आप कहते हैं कि मर्द और औरतें बिल्कुल बराबर रहें जो कि हमारे कान्स्टि-ट्यूशन ने किया है, दूसरी ओर आप कहते हैं कि स्त्री आज कमज़ोर है इसलिये उसे आज हक़ नहीं दिया जाना चाहिये। जब वह ताक़तवर हो जायगी तब हक़ दे दिया जायेगा। आज जब वह इतनी बराबर बनती है तो यह क्यों समझती है कि अगर कोई मर्द कुर्सी पर बैठा हो और कोई स्त्री आ जाय तो उसे कुर्सी को छोड़ देना चाहिये। एक और से बराबर के हक़ चाहती हैं तो फिर यह प्रिविलिजेज़ क्यों चाहती हैं ? बहरहाल किसी भी पहलू से देखने से मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों इस बिल का विरोध हो रहा है। यह कम से कम चीज़ है जो कि हम आज़ादी के लिये करवा सकते हैं।

इसलिये मैं इस का पूरा समर्थन करता हूं और हाउस से अपील करता हूं कि वह जल्दी से इस को पास कर दे।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं अपने विद्वान मित्र श्री एन० सी० चटर्जी के द्वारा दिये गये भाषण का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

मुझे अपने विधि सम्बन्धी ज्ञान का गर्व नहीं है किन्तु मेरे मित्र श्री चटर्जी ने जिन आधारों पर इस विधेयक पर आक्रमण किया ह वे सूक्ष्म परीक्षण के समक्ष ठहर नहीं सकते हैं। हिन्दू सभ्यता की प्रशंसा करने में मैं किसी से पीछे नहीं रह सकता हूं किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि किसी भी

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

समय में जो कुछ भी कहा गया हो वह आज भी ठीक उसी प्रकार माना जाना चाहिये ।

हमें अपनी संस्कृति की संचित धरोहर का ही बखान करना उचित नहीं है । ऐसा करना मानों अपनी ग्लानि तथा अपमान पर अहमन्यता का आवरण चढ़ाना है । हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि हमारी सभ्यता का शताब्दियों से अविच्छिन्न रहना उसके समन्वयता के विशेष गुण के कारण था क्योंकि उसने समयानुसार स्वयं अपने आप को परिवर्तित कर लिया ।

श्री चटर्जी ने विधेयक में राज्य सभा द्वारा निगमित किये गये परिवर्तनों जैसे सह-सम्मति से तलाक़ पर घोर आपत्ति की है। वह कहते हैं कि हिन्दू विवाह एक सांस्कारकि विवाह है तथा विधान मण्डल को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । मेरे पास इसके दो उत्तर हैं । प्रथम तो विशेष विवाह विधेयक स्पष्ट ही एक अनुमत विधान है तथा यह किसी भी हिन्दु को उसके सांस्कारिक पक्ष को लगने को विवश नहीं करता है ।

तत्पश्चात् मैं कहता हूं कि सहसम्मति से विवाह-विच्छेद अत्यावश्यक है । श्री चटर्जी ने संकेत किया है कि अंग्रेज़ी विधि में इसका उपबन्ध नहीं है । अंग्रेज़ी विधि कई अंशों में बहुत कठोर है । उसमें जब तक मध्यकालीन छाप मौजूद है, इसलिये हमें उसका अथवा किसी दूसरे विदेशी विधान का उद्धरण नहीं देना चाहिये ।

हमारा मुख्य सिद्धान्त है कटुता तथा अप्रसन्नता को न्यूनतम करना, जिसके लिये हमें अत्यन्त सावधानी से कार्य करना चाहिये । मुझे ज्ञात है कि इस आशय के कुछ संशोधन प्राप्त हुये हैं जिसमें छः महीने अथवा एक वर्ष की एसी अवधि उल्लिखित है जिसमें न्यायालय को दोनों पक्षों से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहना होगा । हमें न्यायालयों को ऐसे अधिकार प्रदान करने चाहियें जिनसे कि वह इस सहसम्मति के मामले पर पूर्णतया तथा स्वतन्त्रता से विचार कर सकें । मैं ने आज सभा में यह भी सुना है कि हमारी स्त्रियां नित्तान्त असहाय हैं । इसके लिये न्यायालयों को ऐसे अधिकार दिये जायें जिन से कि वे इसका पता लगायें कि सम्मति प्राप्त करने के लिये कहीं अयुक्त प्रभाव तो नहीं डाला गया है । ऐसा होने पर मैं श्री चटर्जी द्वारा सम्मति से विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति का कोई कारण नहीं देखता हूं ।

श्री चटर्जी ने प्रधान मंत्री के उस भाषण का भी निर्देश किया है जो उन्होंने पिछले सत्र में दिया था और जिसका आशय यह था कि राज्य सभा द्वारा किये गये कतिपय निर्णयों पर पुनर्विचार किया जाय । मुझे विश्वास है कि उससे प्रधान मंत्री का आशय सम्मति से विवाह-विच्छेद नहीं था क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं वह इस प्रकार के प्रगतिशील विधान के पक्ष में हैं ।

जहां तक सम्मति से विवाह-विच्छेद का प्रश्न है मेरे मित्र श्री देशपांडे ने अपने विचारों के अनुसार कुछ संकेत किये हैं जिनका मैं समर्थन नहीं करता हूं और जिन से यह प्रगट होता है कि वह चर्चा पर गम्भीरता-पूर्वक विचार किये बिना ही बोलते हैं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मुझ पर आक्षेप किया गया है मैं चाहता हूं कि इसका स्पष्टीकरण किया जाय ।

सभापति महोदय : सभा में इस प्रकार की व्यक्तिगत चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं आस्तिक नहीं हूं न अन्तिम दिन के ईश्वरीय न्याय की धारणा पर ही विश्वास करता हूं । किन्तु मैं अब दुर्भाग्य की भी हंसी नहीं उड़ाना चाहता हूं जो सामाजिक अथवा व्यक्तिगत कुसमायोजन से पीड़ित हैं ।

श्रीमान्, इसलिये मैं निवेदन करता हूं हमें इस प्रकार के विधान के उद्देश्यों पर विचार करना चाहिये । हमें अपने समाज के कष्ट को न्यूनतम करने का प्रयत्न करना चाहिये तथा मेरा विचार है कि यदि हम गम्भीरता-पूर्वक इस पर विचार करेंगे तो इससे मानवता के कष्टों का बहुत अंशों तक नाश हो सकेगा ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिये उपस्थित हुआ हूं । इस विधेयक के सम्बन्ध में जो बहस हुई है उसके सिलसिले में हिन्दू धर्म और हिन्दू धर्मशास्त्र का काफी प्रयोग किया गया है । मैं समझता हूं कि अगर इस देश को जो कुछ नुक़सान हुआ है और उसको क्षति पहुंची है तो वह इस तरह की संकुचित और संकीर्ण विचारधारा ने पहुंचायी है । देश में जो भी धर्मशास्त्र बने थे या जो नियम, उपनियम बने थे वह किसी एक जाति विशेष के लिये वर्ग विशेष के लिये नहीं बल्कि सारे मानव समाज के लिये बने थे । मनु और याज्ञवल्क्य आदि ने जो स्मृतियां बनाई वह केवल हिन्दुस्तान और यहां के देशवासियों के लिये ही नहीं बनाई थीं, बल्कि वह तो ऐसी बनायी गयीं कि उनका हर एक मनुष्य को अनुकरण करना चाहिये । जिस ज़माने में वह बनायी गयी थीं उस ज़माने के इतिहास और काल को देखते हुये वह सर्वथा उपयुक्त थीं । यह "हिन्दू" शब्द का प्रयोग विदेशियों ने पहली दफा हिन्दुस्तान में किया है और जैसा कि हमारे मित्र श्री आज़ाद ने कहा कि "हिन्दू धर्म के प्रवर्त्तक", तो गलत शब्द होगा, कहना चाहिये कथित समर्थक या रक्षक वह ज़िस तरह से उस का प्रयोग करते हैं, एक संकुचित और सकीर्ण विचारधारा के अनुसार करते हैं । यह जो धर्मशास्त्र बने थे, जैसे मैं ने बतलाया वह हमारे कान्स्टीट्यूशन में जो सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि यूनीफार्म कोड हो, वह एक यूनीफार्म कोड के रूप में क़ानून बने हुये थे, आज यह ज़रूरी है कि एक यूनीफार्म कोड बनाया जाय लेकिन उसके लिये अभी समाज में इतना लोक शिक्षण नहीं हुआ है कि उसको लागू किया जा सके । हिन्दुस्तान में इस जनतन्त्र के ज़माने में लोक शिक्षण के बग़ैर और मरज़ी के खिलाफ एक यूनीफार्म कोड बनाया जाय, यह कुछ उचित नहीं था और इस चीज़ को दृष्टि में रख कर शासन ने विवाह जैसे कार्य के लिये भी एक यूनीफार्म कोड न पास करते हुये एक स्पेशल मैरिज लॉ रूपी विधेयक को पेश किया है जिससे जो लोग इसको स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहें और इसका लाभ उठाना चाहें वे इससे लाभ उठायें । मैं समझता हूं कि विधान में जो एक यूनीफार्म कोड के लिये आदेश दिया गया है उस दिशा में एक क़दम है और यह एक ऐसा क़ानून है जो सारे देश के लोगों को चाहे वह किसी भी जाति के हों उनसे यह सम्बन्धित हो जाता है और आगे चल करके इसमें संशोधन आदि हो कर और इसका रूप बदल कर यही एक यूनीफार्म कोड का रूप धारण कर सकता है ।

विवाह के उद्देश्य के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं । किसी ने कहा कि इसका आधार सांस्कृतिक है, किसी ने कहा कि आध्यात्मिक है और किसी ने कहा कि इसका आधार भौतिक है लेकिन अगर हम इस पर बारीक़ी से विचार करें तो कुछ इनके अलावा और भी हैं और

[श्री राधेलाल व्यास]

वह यह है कि मनुष्य एक समाज में पैदा हुआ है, वह बगैर सोसायटी के नहीं रह सकता है और उसको अपने इस जीवन में एक सहयोगी की, साथी की, एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है जिससे कि वह अपने कार्यों में ठीक सलाह प्राप्त करता रहे और सुख दुःख में उसे सहायता मिलती रहे और उसको संतोष रहे । इसी कारण एक सच्चे मित्र के नाते यह विवाह पद्धति डाली गयी है । मनुष्य का काफी लम्बा जीवन होता है और उससे एक सच्चे मित्र की बहुत ज़रूरत रहती है जो कि उसको ठीक सलाह दे सके और ठीक रास्ते पर ले जा सके, उसको ग़लत रास्ते पर न ले जाय और दुःख सुख में उसका साथी बनें, इसलिये एक सच्चे मित्र के नाते ही विवाह पद्धति एक आवश्यक अंग माना गया है और उसी रूप में वह हिन्दुस्तान में हमेशा से लागू रही और आज भी उसी रूप में उसको समझा जाता है, भले ही व्यवहार रूप में कहीं कहीं उसके अपवाद आज हो जायं । अन्यथा इसका मुख्य उद्देश्य यही है और यही कारण है कि विवाह के सम्बन्ध में जो प्रतिज्ञायें की जाती हैं । यह ज़रूर है कि वह प्रतिज्ञायें आदि आज कल संस्कृत में होती हैं और आजकल संस्कृत पढ़ने वाले बहुत कम रह गये हैं, वह कहते हैं कि धार्मिक पद्धति के अनुसार विवाह सम्पन्न हुआ । संस्कार के समय दुल्हा दुलहिन पंडित जो वेद मंत्र उच्चारण करता है वह उसको दुहराते हैं हालांकि वह उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो भी वह उनको दुहराते जाते हैं अथवा सुनते जाते हैं । विवाह के अवसर पर पति और पत्नी को प्रतिज्ञायें भी लेनी पड़ती हैं कि हम हमेशा जीवन भर साथ रहेंगे । पति प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा और सदा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा आदि । इस तरह की प्रतिज्ञायें उस अवसर पर होती हैं लेकिन विवाह के बाद कोई उन प्रतिज्ञाओं को याद नहीं रखता है और आये दिन हम देखते हैं कि उनका उल्लंघन होता रहता है । उसको याद नहीं रहता है कि उसने विवाह करते समय कौन कौन सी प्रतिज्ञायें की हैं । यह पद्धति विवाह की हमारे यहां चली आ रही है । संस्कार के रूप में विवाह होते रहते हैं तो यह उसकी बैक ग्राउण्ड है । हिन्दू धर्म शास्त्र और पुराने जो क़ानून चले आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर यह पद्धतियां डाली गयी थीं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज उनको बने बहुत समय बीत गया है और समय का तक़ाज़ा है कि एक यूनीफार्म कोड बनाया जाय और जनतंत्री सरकार होने के नाते यह उसका फर्ज़ हो जाता है कि वह इस ज़रूरत को पूरा करे । श्रीमान् जी, आज जब कि एक यूनिफार्म कोड बन रहा है, हमारे कुछ भाई जो अपने आप को हिन्दू धर्म का समर्थक कहते हैं उसका विरोध करते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है । हम देखते हैं कि हमारे इस देश में कई लोग आये और लुप्त हो गये । ग्रीक आये, हूण आये, सीथियन आये यहां पर रहे, लेकिन आज उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है क्योंकि सौभाग्य से हिन्दू धर्म उस वक्त बहुत व्यापक और उदार था, संकीर्ण नहीं था और उसने सबको हज्म किया लेकिन आज हम देखते हैं कि एक ज़माना आया जब हमारे हिन्दू समाज में संकीर्णता घुसी और हमारे इन कथित हिन्दू धर्म के रक्षकों और धर्म के ठेकेदारों ने संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया और देश में कितनी ही जातियां पैदा कर दीं और धर्म पैदा कर दिये जिससे हमारे बीच भेदभाव बढ़ते गये । यह कहा जाता है कि मस्लिम पीरियड में ज़बरदस्ती लोग मुसलमान बनाये गये, इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं । कुछ ज़रूर ज़बरदस्ती बनाये

गये लेकिन लाखों करोड़ों लोग इस वजह से मुसलमान बन गये कि उन्होंने एक दफा किसी मुसलमान के हाथ का पानी छू लिया और उनके लिये यह समझा गया कि वह लोग जाति से खारिज हो गये और धर्मच्युत हो गये, और खेद का विषय है कि हमारे हिन्दू समाज ने उनको अपने में से निकाल दिया। इस तरह से लाखों आदमी धर्म का ग़लत अर्थ समझने के कारण हिन्दू धर्म से अलग हो गये और अपने रिश्तेदारों से अलग हो गये। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया था वह पुनः हिन्दू धर्म में आना चाहते थे लेकिन यही धर्म के रक्षक और ठेकेदारों ने इस पर आपत्ति की कि एक दफा जो अपना धर्म छोड़ कर दूसरे धर्म में चला गया उसको फिर अपने धर्म में लौट आने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से उन्होंने लाखों व्यक्तियों को पुनः हिन्दू धर्म में प्रविष्ट होने से वंचित किया। और यही कारण है कि देश में बड़ी दरारें पड़ीं और अगर आप दखेंगे जो चीज़ एक छोटी सी चीज़ के रूप में पच्चासों साल पहले शुरू हुई थी उस का यह भयंकर प्ररिणाम हुआ कि देश के टुकड़े हुये और देश आज मज़हबों के आधार पर बंटा हुआ है। अगर किसी कारण से देश की सब से बड़ी क्षति हुई है और किस ने उसको पहुंचाया है तो यह आप देखेंगे कि यह धर्म को अपना कहने वाले लोगों और उन के समर्थकों की वजह से हुई है। इन चीज़ों ने देश को काफी नुक़सान पहुंचाया है इसे हम को भूलना नहीं चाहिये। आज देश के बट जाने के बाद तो इस कानून का स्वागत होना चाहिये अगर हम चाहते हैं कि मानव समाज हमारे देश में सुखी रहे।

इतना कहने के बाद में कुछ और बातों का जवाब देना चाहता हूं। हमारे मित्र श्री देशपांडे जी ने प्रोहिब्टेड डिग्रीज़ का मज़ाक उड़ाया। उस में उन्होंने जो नाम गिनाये वह सभी फर्स्ट शेडयूल में दिये हुये हैं कि 'माता, पिता की विधवा, माता की माता', यह तीन शब्द उन्होंने पढ़ कर सुनाये। लेकिन हमारे क़ानून की क्या मंशा है? अगर प्रोहिब्टेड डिग्रीज़ में इन तीन को न बतलायें और दूसरों को बतलायें कि मामा की लड़की, बहन की लड़की और बहन की लड़की की लड़की, इन से शादी नहीं हो सकती तो कैसे काम चल सकता है? प्रोहिब्टेड डिग्रीज़ में तो आप को सभी को बतलाना होगा। आप कहते हैं कि ऐसा कौन है जो माता के साथ शादी करेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। इस समाज में पागल की तरह से काम करने वाले, या अपनी मर्ज़ी के खिलाफ परिस्थितियों से मजबूर हो कर ऐसा काम करने वाले का अगर एक भी उदाहरण आ जाय या ऐसा उदाहरण आ जाय कि जो माता के साथ बुरा काम करने के लिये तैयार हो जाय, तो उस के लिये इस में गुंजाइश होनी चाहिये या नहीं? प्राहिब्टेड डिग्रीज़ में माता का नाम न लिखा जाय तो क्या उस को कोई जायज़ नहीं कह सकता? इसलिये अगर यह क़ानून है तो उन सब को भी उस में होना चाहिये। लेकिन जहां प्राहिब्टेड डिग्रीज़ में ३७ स्त्रियों और ३७ मर्दों के नाम लिखे हैं वहां उन्होंने केवल ३ को पढ़ कर बतला दिया और बाक़ी को नहीं बतलाया, मैं समझता हूं कि इस तरह से असलियत को छिपा कर हाउस को मुग़ालते में नहीं डाला जा सकता।

एक बात इस बिल में ज़रूर हुई है कि पहले जो बिल पेश हुआ था उस में यह चीज़ थी कि जो स्पेशल मैरेज करेंगे उन को ऐडाप्शन का अधिकार नहीं रहेगा। अब जो यह बिल हमारे सामने राज्य सभा से पास हो कर आया है उसमें से यह चीज़ निकाल दी गई है।

[श्री राधेलाल व्यास]

यह एक चीज़ हुई है। लेकिन साथ ही बिल्कुल निकाल देने के बजाय इस में यह हो जाता कि 'जो भी इस प्रथा से शादी करेगा उस को एडाप्शन का भी अधिकार रहेगा' तो ज्यादा अच्छा होता। इसलिये कि यह एडाप्शन की प्रथा हमारे यहां रही है और इस का स्वागत हुआ है। मैं आप को यह मिसाल दूं कि हमारे ग्वालियर राज्य में जागीरदारी कानून है और वहां मुसलमान जागीरदारों को भी यह अधिकार देता था कि अगर वह किसी को गोद लेना चाहें तो सरकार की इजाज़त से ले सकते हैं, और कई मुसलमान जागीरदारों ने इस कानून का फायदा उठाया और गोद ले कर अपना वारिस मुकर्रर किया। इसी तरह से गोद लेने का अधिकार भी अगर हमारे पर्मिसिव लॉ में हो तो बड़ा अच्छा हो। यद्यपि उस में किसी के लिये मुमानियत नहीं है और मैं समझता हूं कि हिन्दू समाज ही के लोग इस का फायदा ले सकेंगे, लेकिन साथ में जो स्पेशल मैरेज एक्ट बन रहा है वह सब पर लागू होगा और अगर कोई इससे फायदा उठाना चाहे तो उठा सकता है।

दूसरे धारा ४ में जहां २१ वर्ष की उम्र रखी गई है, मैं समझता हूं कि लड़की की कम से कम १८ वर्ष की उम्र होनी चाहिये और लड़के की कम से कम २१ वर्ष होनी चाहिये और अगर १८ वर्ष की उम्र हो तो माता या पिता जो उस का संरक्षक हो उस की सम्मति से विवाह हो, यह उस में संशोधन होना चाहिये। इस की बहुत ज्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ यह संशोधन नहीं होना चाहिये कि लड़की और लड़का दोनों १८ वर्ष के हों तो वह माता पिता की सलाह से हो जाना चाहिये। लड़की की उम्र हमेशा लड़के की उम्र से कम से कम चार साल कम होनी चाहिये। इसलिये जो भी संशोधन सुझाया गया है उस में यह हो कि दोनों की उम्र में फर्क हो लेकिन कम से कम उम्र १८ साल लड़की की होनी चाहिये।

इसी तरह से धारा ४ में जहां लिखा है: "पक्षों में वर्जित पीढ़ियों की नातेदारी न हो।"

मैं समझता हूं कि धारा १५ में जो प्राविजन है उस के अनुसार ही प्राविजन होना चाहिये और वह यह है: "पक्षों में वर्जित पीढ़ियों की नातेदारी न हो, जब तक कि कानून या कानून जैसा महत्व रखने वाली प्रथा जो उन दोनों पर लागू होती हो, दोनों के परस्पर विवाद की अनुमति न दे।"

हमारे यहां कई जगह जैसा कि देशपांडे जी ने बतलाया प्राहिब्टेड डिग्रीज में विवाह होता है। महाराष्ट्र में जो चीज आज तक प्रचलित है और अच्छी चीज है, उसे भविष्य के लिये हमें बन्द नहीं करना चाहिये। हिन्दू धर्मशास्त्र में हमेशा यह रहा है कि कानून कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर कोई कस्टम बन गया है, रिवाज हो गया है, और समाज ने उसे मान लिया है तो जो रूढ़ि है उस को शास्त्र में ज्यादा वजन दिया गया है। हमेशा हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार रूढ़ियां पैदा होती रही हैं और कानून बदलते रहे हैं और जिस को सोसायटी ने स्वीकार कर लिया उस को मानने की इजाजत देते रहे। हमारे यहां डाइनेमिक कन्डीशन्स थीं। उसे रोकना और यह कहना कि भविष्य में जहां काफी स्वतन्त्रता रिवाजों को मानने में रही हैं वह न होगी यह उचित नहीं है। इसलिये १५-ए के अनुसार धारा ४ में संशोधन होना बहुत जरूरी है।

धारा ११ डिक्लेरेशन के बारे में है। उस में मुझे एक सुझाव रखना है और वह

यह है कि हम ने अपने कान्स्टीट्यूशन में खास कर के ओथ रखी है। हम यहां संसद् में आते हैं, इस पवित्र कार्य को शरू करने के पहले या इसकी कार्यवाही में भाग लेने से पहले हम को एक प्रतिज्ञा लेनी होती है। धारा सभाओं में जाने से पहले एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। मिनिस्टर अपने पद पर आकर के वहां का कार्य प्रारम्भ करने से पहले एक प्रतिज्ञा लेता है। तो जहां हमें सारे जीवन भर के लिये अपने एक साथी को चुनना है और सोच समझ कर चुनना है, १८ साल की उम्र के बाद ही चुनना है तो उस में किसी प्रकार की प्रतिज्ञा न ली जाय यह उचित नहीं है। इसलिये इस डिक्लेरेशन में एक अच्छी प्रतिज्ञा, जिस को सभी जाति वाले स्वीकार कर सकें और शुरू रोज से जो सब पर लागू हो सके, मजहब वगैरह की बात न आये, लेकिन जो स्वतन्त्रता के साथ शपथ के रूप में ली जा सके, सहयोग के साथ बने रहने की प्रतिज्ञा, एक दूसरे के साथ वफादार रहने की प्रतिज्ञा, या जो भी उचित समझी जाय वैसी प्रतिज्ञा, उस में होनी चाहिये। और यही कारण है कि जो संस्कार पहले होते थे उन में, चाहे अग्नि के सामने सप्तपदी के रूप में या और किसी प्रकार से, कोई न कोई प्रतिज्ञा होती थी। मैं नहीं जानता कि मुसलमानों में ऐसा होता है या नहीं।

पं० के० सी० शर्मा : वहां भी होता है।

श्री राधेलाल व्यास : मेरे मित्र कहते हैं कि वहां भी होता है। हम ने अपने विधान तक में प्रतिज्ञा लिखी है, लेकिन जहां हम इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, जीवन में एक साथी को अपनाने जा रहे हैं और उस को निभाने का उद्देश्य है, वहां कोई प्रतिज्ञा न हो, यह उचित नहीं है। भले ही वह अंगरेजी कानून में न हो, या किसी और विदेशी कानून में न हो, लेकिन हमारे यहां जो परम्परायें रही हैं और जो विचार रहे हैं उन के रहते हुए इस कानून में कोई न कोई शपथ होना आवश्यक है।

इसके पश्चात् दफा १९ में जहां शब्दावली, "ज्वाइंट फैमिली" रखी गई है वह भी उचित नहीं है। ज्वाइंट फैमिली में अगर एक भाई महज अपना इरादा जाहिर कर दे कि वह संयुक्त परिवार के कुटम्ब में नहीं रहना चाहता है और वह आज से अलग होता है, तो वह अपने आप अलहदा हो जाता है। लेकिन जिस कुटम्ब में सारे कुटम्बी स्पेशल मैरिज ला के तहत में विवाह करना चाहते हैं अपनी पुत्री का या अपने किसी कोपार्टनर का और वह चाहते हैं कि वह हमारे साथ रहे, तो कानून यह कर देगा कि वह अलग समझा जायेगा। यह उचित नहीं है। जब हम यूनिफार्म बोड बनाना चाहते हैं और साथ में चाहते हैं कि समाज के सब लोग उसे स्वीकार करें, स्वेच्छा से उस के नीचे आ जायें तो यह जरूरी है कि जो कुटम्ब उस को अलहदा नहीं करना चाहता है उस के लिये यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि वह यह समझे कि वह संयुक्त परिवार से जुदा हो गया है। इसलिये इस में इतना संशोधन होना चाहिये कि :

"परन्तु यदि कोई परिवार उस की स्वेच्छा से शादी करे और उस को अपने संयुक्त परिवार का ही सदस्य मानना चाहे तो वहां पर यह लागू नहीं होगा।"

इस के बाद डाइवोर्स बाई म्यूचुअल कंसेन्ट पर मैं आता हूं। मेरे मित्र श्री भागवत झा ने भी बतलाया कि डाइवोर्स बाई कंसेन्ट नहीं होना चाहिये नहीं तो बहुत सी गलत कार्यवाहियां होने लगेंगी हिन्दुस्तान में अभी इतना शिक्षण नहीं है, हमारा महिला वर्ग अभी इतना स्वतन्त्र नहीं है और न इतना शिक्षित है कि हमारी स्त्रियां स्वतन्त्रतापूर्वक विचार कर सकें। यह स्थिति अभी पैदा

[श्री राधेलाल व्यास]

नहीं हुई है। उन को जबरदस्ती से दबाया जा सकता है और उन से कंसेन्ट प्राप्त की जा सकती है। इसलिये जरूरी है कि कुछ वर्षों के लिये डाइवोर्स बाई कंसेन्ट नहीं होना चाहिये।

एक बात यह है कि जब हम उम्र का प्रतिबन्ध रखते हैं कि नाबालिग की शादी न हो और मनुष्य बहुत सोच समझ कर विवाह करे तो फिर उसे यह अधिकार हो कि वह जब चाहे तब शादी को भंग कर दे यह उपयुक्त नहीं मालूम देता है। इस से एक स्थिर समाज बनाने की जो एक कल्पना है उस में भी विघ्न पड़ सकता है। यह सही है कि कुछ ऐसे अपवाद मिलेंगे कि जिन में अन्याय होता है लेकिन ऐसे अपवादों के लिये नियम भंग करना उचित नहीं। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिये यह उचित है कि लोग खूब सोच समझ कर विवाह करें, यह देख कर करें कि लड़के या लड़की का चरित्र कैसा है, स्वभाव कैसा है, खानदान कैसा है। यह सब चीजें देखने के बाद फैसला करना चाहिये और फिर शादी करनी चाहिये और इस के बाद जो प्रतिज्ञा विवाह के समय की जाय उस को जीवन भर निभाना चाहिये। साथ ही डाइवोर्स के और कारण हैं जैसे नपुंसक होना आदि, वह ठीक है। उस आधार पर तो डाइवोर्स हो सकता है लेकिन यह म्यूचुअल कंसेन्ट से तो डाइवोर्स करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है।

दूसरे जो इस में नोटिस का नियम रखा है उस से मुझे विरोध है। कोई आदमी जो दिल्ली में रहता है वह आसाम में जा कर १४ दिन बस जाय और वहां शादी करने की इच्छा करे तो एक नोटिस जारी होगा और उस की एक प्रतिलिपि यहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी जायगी और यहां के जिले में भी शाया की जायेगी। लेकिन उस की मियाद उस दिन से ली जायेगी जिस दिन कि नोटिस वहां चिपकाया गया है। तो ऐसी हालत में यह नोटिस निकालना बेकार है। अगर यहां नोटिस लगाना है तो उस की मियाद उस दिन से गिनी जानी चाहिये जिस दिन कि नोटिस यहां चिपकाया गया है। मैं समझता हूं कि इस पर भी विचार किया जायगा और इस बिल को संशोधनों के साथ स्वीकार किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री एस० एस० मोरे : हम जिस युग में रह रहे हैं, हमें उन्हीं परिस्थितियों में रहना आवश्यक है; पुरानी स्थितियों को इस युग में लाना कदापि हितकर नहीं हो सकता है। यदि सरकार कुछ बुराइयों और बीमारियों को प्रयत्न कर के रोक सकती है और यदि कुछ उपायों के द्वारा भुखमरी के कारण होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है, तो सरकार को उन को रोकने का अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिये। यदि किसी पुरुष या स्त्री का एक ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह हो गया है, जिस के साथ रहने से उन दोनों का जीवन आनन्दपूर्वक व्यतीत नहीं हो सकता है, तो हमें ऐसे मामले में उन को क्लेशपूर्ण विवाह का विच्छेद कर देने की अनुमति दे देनी चाहिये, क्योंकि इस प्रकार का विवाह एक मानसिक कारावास से भी बुरा है और जिसे हमें यथाशीघ्र समाप्त कर देना चाहिये।

श्री चटर्जी और देशपाण्डे ने अतीत की प्रथाओं पर बहुत जोर दिया है। श्री चटर्जी ने अपने शब्दकोश में से शब्द "क्रान्ति" को काट रखा है परन्तु क्रान्ति श्रुतियों या स्मृतियों या शब्द कोषों का विषय नहीं है, यह तो मन में होती है। इतिहास यह पाठ

देता है कि यदि प्रगति के मार्ग में कोई बाधक सिद्ध होगा, तो उसे उठा कर फेंक दिया जायेगा मुझे यह देख कर बड़ा दुःख हुआ कि मेरे मित्र प्रतिक्रियावादी हैं ।

मनु, नारद, यज्ञनेश्वर, जीमूतवाहन आदि महापुरुषों ने अपने समय के अनुसार विधियां बनाईं, परन्तु क्या वे अब वर्तमान जीवन को नियंत्रण कर सकती हैं। क्या हम वर्तमान युग और स्थितियों में उन के अनुसार चल सकते हैं ? मैं श्री बिस्वास को वर्तमान युग का ऋषि मानता हूं । मनु जी ने तो हरिजनों को अस्पृश्य समझ कर सर्वथा हेय बताया था, किन्तु श्री चटर्जी अस्पृश्यता के समाप्त किये जाने के पक्ष में हैं। यदि आप इन महानुभावों के परिवारों को देखें तो आप पायेंगे कि वे बहुत प्रगतिशील हैं, किन्तु ये शेष जगत पर उन्हीं पुरानी विधियों को लागू करना चाहते हैं । इस प्रकार की बनावटी प्रगतिशीलता को हम सहन नहीं कर सकते।

कई बार मैं भी प्रतिक्रियावादी हो जाता हूं, परन्तु मेरे बच्चे मुझे रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमें आगे बढ़ने दो। यह बढ़ती हुई देश की जागृति का द्योतक है ।

मनु जी के विषय में ब्राह्मण जो चाहें कहें, क्योंकि मनु ने उन को शूद्रों को लूटने के लिये धार्मिक अधिकार दिया है। मनु ने ब्राह्मणों को शूद्रों का माल जप्त करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि शूद्रों की कोई सम्पत्ति नहीं होती है । और मनु के इस सिद्धान्त की श्री चटर्जी और देशपांडे पूजा करेंगे ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं ने यह नहीं कहा कि मनु का अन्धाधुन्ध अनुकरण किया जाये । हिन्दू समाज सदा से ही प्रगतिशील रहा है, जिस का परिचय हाल के टिप्पणीकार और निबन्धकार कराते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : यदि हमारे समाज में श्री चटर्जी और देशपांडे अधिक होते तो हिन्दू समाज भी स्थिर रहता, परन्तु यज्ञनेश्वर और जीमूतवाहन क्रान्तिकारी थे । श्री चटर्जी आदि अपने लिये उनके श्रेय का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो सर्वथा गलत हैं। यह ब्राह्मण विवाह के पवित्र संस्कार की तरह इन अधिकारों को भी पवित्र मानते हैं। महाराष्ट्र में एक प्रथा है कि विवाहित स्त्रियों को पीपल के पेड़ की पूजा कर के यह प्रार्थना करनी पड़ती है कि "मेरा यह पति सात जन्म तक मेरा पति रहे" । वह व्यक्ति चाहे कैसा ही भद्दा या बुरा क्यों न हो, किन्तु बेचारी स्त्री को सात जन्म तक उस की भार्या बनने की प्रार्थना करनी पड़ती है ।

हम ने राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त की है और अभी आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है। इन स्वतन्त्रताओं का उपभोग करने के लिये सब व्यक्तियों, स्त्रियों तथा हरिजनों को मानसिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये, जिस के बिना हमारा भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता है। हमें प्रतिक्रियावादियों की परवाह नहीं करनी चाहिये और अतीत का गान गाने वालों के विचारों को पुरातत्व विभाग के अभिलेखों में रख देना चाहिये ।

सहमति से विवाह-विच्छेद के विषय में बड़ी चर्चा हुई है । श्री चटर्जी आदि का इस पर बड़ा विश्वास है । परन्तु विवाह-विच्छेद के मामले में सुसम्मति विवाह-विच्छेद को ही अच्छा क्यों समझा जाये ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : आप स्त्री को बेची जाने वाली वस्तु समझते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : श्री चटर्जी अंग्रेजी विधि के पंडित हैं परन्तु जब दूसरे मामलों में आप उन की नकल नहीं करते हैं तो प्रतिक्रिया-वश इस मामले में ही उस का अनुसरण

[श्री एस० एस० मोरे] .

क्यों करते हैं। इंगलिस्तान में स्थिति और है वहां जासूस होते हैं ? जब कोई पति या पत्नी विवाह-विच्छेद चाहते हैं, तो वह जासूसों को अपनी पत्नि या पति के आचरण की जांच करने के लिये नियुक्त कर लेते हैं। क्या हम भारत में भी वही स्थिति लाना चाहते हैं ? कम से कम अब तो हमें स्वतन्त्र रूप से विचार करना चाहिये ताकि अन्य देश हमारा अनुकरण कर सकें। हमें सर्वोच्च न्यायालय की भांति साहस के साथ मौलिक निर्णय देने चाहियें और प्रगति की ओर बढ़ना चाहिये। इसी प्रकार हम प्रगति कर सकते हैं।

अब विधेयक के मुख्य मुख्य उपबन्धों पर विचार करेंगे। "व्यभिचार" शब्द की यहां व्याख्या नहीं की गई। व्यभिचार का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की स्त्री के साथ संभोग करना। परन्तु यदि वह स्त्री विधवा या कुंवारी है, तो उस के साथ किया गया संभोग व्यभिचार नहीं होगा।

कुछ माननीय सदस्य : यह व्याख्या सर्वथा गलत है।

श्री एस० एस० मोरे : मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैं खण्ड २५ की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिस के अनुसार विवाह को कुछ शर्तों की पूर्ति पर ही शून्य माना जायेगा। "(ग) कि प्रार्थी द्वारा प्रणिश्चय के कारणों के ज्ञात होने के बाद प्रार्थी की सम्मति से वैवाहिक संभोग नहीं किया गया है"। आरोप लगाना सरल है, किन्तु इन बातों को सिद्ध करना कठिन है। भला इस प्रकार की बातें कभी सिद्ध की जा सकती हैं। इसलिये हमें ऐसी विधि नहीं बनाना चाहिये जो जनता में मजाक का विषय बने। पहली अनुसूची अच्छी चीज नहीं है इस के बारे में मैं श्री देशपांडे से सहमत हूं हमें सम्बन्ध की इन वर्जित पीढ़ियों पर विचार करना चाहिये। पृष्ठ १६ पर कहा गया है कि कोई पुरुष अपने पुत्र के पुत्र के पुत्र की विधवा स्त्री से विवाह नहीं कर सकता है। भला सोचिये कि उस समय वह ८० वर्ष के लगभग होकर अपनी प्रपौत्र बधु से विवाह करने का कैसे विचार करेगा ? हमें वर्जित पीढ़ियों का उल्लेख करना चाहिये तथा इन सब बातों को छोड़ देना चाहिये, क्योंकि ये न्यायिक निर्णयों के मामले हैं। ऐसी बातें कर के भारतीय संसद् को जगहंसाई का विषय नहीं बनाना चाहिये, ताकि लोग समझें कि भारत में इस प्रकार के विवाह होते थे, इसलिये वहां की संसद् को विधि के द्वारा उन्हें रोकना पड़ा।

श्री बिस्वास : इंगलिस्तान के विवाह अधिनियम में तथा अन्य देशों में भी इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं।

श्री एस० एस० मोरे : यदि इंगलिस्तान ने ऐसा किया है, तो केवल इसी कारण ही हमें इस का अनुकरण नहीं कर लेना चाहिये। (**अन्तर्बाधायें**)

पण्डित के० सी० शर्मा : सभी विधियां इसी प्रकार बनाई जाती हैं।

श्री एस० एस० मोरे : कुछ माननीय सदस्यों के अतिरिक्त हम सभी इस विधेयक के समर्थक हैं, परन्तु हमें इतनी शिकायत है कि सरकार को प्रतिक्रिया की ध्वनि मात्र से ही विचलित नहीं हो जाना चाहिये। हम सरकार के दूसरे कार्यक्रमों से मतभेद रख सकते हैं, किन्तु सामाजिक कार्यक्रमों में हम उस के साथ हैं।

श्री देशपांडे ने कहा है कि पत्नियों का शोषण किया जायेगा। इस से प्रतीत होता है कि उन्हों ने बहुत समय पूर्व विवाह किया था। वास्तव में स्त्रियों को जोखिम नहीं

उठाना पड़ता है अपितु हम जोखिम उठाते हैं । ऐसा समय आयेगा जबकि पतियों के संरक्षण के लिये विधान बनाने की आवश्यकता होगी । वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कई अवांछनीय बातें हैं । इसलिये उत्तम यही है कि हमारे बच्चों को सब बातों में आधुनिक हो कर अनुभव से सब बातें सीखने दी जायें । क्योंकि अनभव से सीखी बातें कभी नहीं भूलती हैं । मैं पुनः पूरे दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि श्री बिस्वास को अधिक साहसी और प्रगतिशील पग उठाने चाहियें, ताकि लोग मनु आदि पुराने ऋषियों को भूल जायें । (अन्तर्बाधायें)

श्रीमती विजय लक्ष्मी : यह विधेयक हमारे संविधान को कार्यरूप में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पग है, इसलिये मैं पूरे दिल से इस का समर्थन करती हूं । मैं अनुभव करती हूं कि यह उन लोगों की सहायता करेगा जो शीघ्रपरिवर्तनशील संसार में अपने आप को ठीक रूप से नहीं ढाल सकते हैं । यह देश में जीवन का सामान्य आदर्श स्थापित करने में सहायक होगा ।

जब कभी मानव सम्बन्धों से सम्बन्धित कोई विधान इस सभा में प्रस्तुत हो, तब व्यर्थ की बातें बीच में ला कर उस विषय को मजाकिया बनाने की प्रवृत्ति का मैं जोरदार विरोध करती हूं । श्री मुकर्जी ने ठीक कहा है कि जब तक हम मानवीय कष्टों को दूर नहीं कर सकते हैं, तब तक हम बड़ी योजनाओं में प्रगति कैसे कर सकते हैं । हमें सब से पहले घर से शुरू करना चाहिये, और घर को प्रसन्नता और आनन्द का केन्द्र बनाया जाये । अन्यथा हम अपने स्वप्नों की पूर्ति नहीं देख सकते हैं ।

मैं सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि हमें यथासम्भव शीघ्रता से इस हानिरहित विधेयक को पारित कर देना चाहिये जो भारत के लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होने के मार्ग के प्रति संसार में अच्छी भावना पैदा करेगा । राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रताओं की प्राप्ति शब्दों से नहीं, बल्कि कार्य करने से होगी । हम प्रति वर्ष अपनी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति को स्थगित करते जा रहे हैं । हमें जनता का आदर प्राप्त करने के लिये ऐसे विधान बनाने चाहियें, और केवल तभी हम वांछित स्वतन्त्रताओं को प्राप्त कर के उन का उपयोग कर सकते हैं ।

विवाह-विच्छेद के विषय में बहुत अधिक विवाद हुआ है । पिछली घटनाओं से मेरा विश्वास दृढ़ हो गया है कि यदि पुरुष या स्त्रियां चाहें तो उनके पृथक् होने का उपबन्ध करने के लिये बहुत शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये, क्योंकि स्त्रियों को न वैधानिक सहायता प्राप्त होती है और न समाज की सहायता, इसलिये उन की सहायता की जानी चाहिये ।

वैवाहिक जीवन चाहे कितना भी, कठिन क्यों न हो, कोई भी साधारण स्त्री उसे तोड़ना नहीं चाहती है । हौलीवुड की सभ्यता को जीवन का आधार बना लेना ग़लती है । अमरीका में जहां विवाह-विच्छेद ज़ोरों पर है, वहां भी यह भावना फैल रही है कि यथासम्भव विवाह रक्षण के लिये उपबन्ध बनाये जाने चाहियें । विशेषतया भारत में जहां यह विवाह-विच्छेद हमारे लिये अनजान वस्तु है यह सोचना असम्भव है कि इस विधेयक के पारित होते ही प्रत्येक हिन्दू महिला यह कहने लगेगी कि मैं अपने पति को छोड़ती हूं क्योंकि वह प्रातः कहवा पीता है या उस की नाक मुझे पसन्द नहीं है । ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम विवाह-विच्छेद की कल्पना को भी नहीं समझते हैं ।

जहां तक हस्ताक्षर करा कर अभ्यावेदन भेजने का प्रश्न है मैं इसे कोई महत्व

[श्रीमती विजय लक्ष्मी]

नहीं देती हूं। यदि समाज अपने मनोभावों को बदलना चाहता है तो हस्ताक्षरों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह दूसरा पक्ष भी तो दुगने हस्ताक्षर प्राप्त कर सकता है। अतः इस का कोई महत्व नहीं है। मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहती हूं तथा उन माननीय सदस्यों का ध्यान जो विवाह-विच्छेद से डरते हैं ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि हमें सर्वप्रथम यह करना है कि अपने महिला वर्ग को इस की आधारभूत विचारधारा को समझायें। यह उनके लिये एक अन-देखी चीज़ है। वह इसका अर्थ नहीं समझती हैं। वह अपने पतियों को जल्दी में छोड़ेंगी नहीं। वह अकथनीय कष्ट सहन करेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिये। यह प्रगति धीरे धीरे होनी चाहिये। इसका तात्पर्य उन स्त्री तथा पुरुषों को, जो विवाहित हैं किन्तु साथ साथ नहीं रह सकते हैं, अपने इच्छानुसार सह-चर को चुनने का तथा एक सुखी तथा सम्पन्न समाज में रहने की सम्भावनायें प्रदान करना है। हम स्वतन्त्रता के यग में हमें उन को कुछ न कुछ स्वतन्त्रता देनी है। यदि हम स्वतन्त्रता नहीं देंगे तो वह बलात् ले ली जायेगी और यह बुरा होगा। अब मैं उदाहरणस्वरूप भारत में स्त्री पुरुषों के परस्पर सम्बन्ध को लूंगी। हमारे देश में स्त्री और पुरुष दोनों ही गांधी जी के नेतृत्व में एक साथ चले तथा उनके उपदेशों तथा शिक्षाओं से हमें अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त हुई, तथा हमें ऐसा संविधान मिला जो पूर्ण समानता का अधि-कार देता है। किन्तु संविधान में की हुई प्रतिज्ञाओं का अभी पूरी तरह से पालन नहीं हुआ है। इस विधेयक के उपबन्धों से स्त्री तथा पुरुष दोनों पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने इस का उदा-हरण दिया है। मैं अपना चीन का अनुभव सुनाऊंगी जो बहुत मनोरंजक है। मैं ने वहां के न्यायालयों में विवाह-विच्छेद के मामले देखे। वहां के प्रत्येक न्यायालय में स्त्रियों के हितों की रक्षा करने के लिये नारी प्रजा-तन्त्रीय दल की कम से कम एक सदस्या रहती है। एक विवाह-विच्छेद के मामले में इससे दोनों पक्षों को एक साथ रहने के लिये प्रभाव डालने को कहा गया। उसको इसके लिये कुछ समय दिया गया। मैं ने स्त्री की ओर से दिये गये तर्कों को सुना। मैं ने यह भी ज्ञात किया कि यह महिला दोनों को एक साथ रहने पर राज़ी करने के लिये क्या तर्क दे रही थी। और मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि वह तर्क हिन्दू शास्त्रों के धार्मिक सिद्धान्तों में भी उससे अच्छी तरह नहीं रखे जा सकते हैं। जो व्यक्ति समाज को एक निश्चित सिद्धान्त के अनुसार बदलना चाहते हैं उनको यह प्रयत्न करना चाहिये कि स्त्री और पुरुष को पूर्ण रूप से सहयोग करना आव-श्यक है। उन को कुछ नैतिक आधारों पर समाज का संगठन करना होगा; और उस महिला ने भी नैतिक आधार का ही आश्रय लिया था। मैं नहीं समझती कि हमारी स्त्रियां जिन्हें अपने पतियों का एक विशेष दृष्टिकोण से आदर करना सिखाया गया है, इस विधेयक की अनुज्ञा प्राप्त होने पर अपना विवाह-विच्छेद कर लेंगी। हम इस प्रगति तथा परिवर्तन के युग में वाह्य प्रभावों से बच कर नहीं रह सकते हैं तथा विकास तथा क्रांति की जो लहरें सारे विश्व को आप्लावित किये हुये हैं यदि हम ने उनका ठीक प्रकार से संचालन नहीं किया तो वह लहरें अपनी रवानी में हम को बहा ले जायेंगी।

इसलिये मैं इस विधेयक का सम्पूर्ण रूप से समर्थन करती हुई यह आशा करती हू कि माननीय सदस्यों द्वारा यह विधेयक सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया जायेगा और जिससे हमारी हज़ारों लाखों स्त्रियों को सुरक्षा प्राप्त होगी।

मैं स्वयं इस बात की शिकार रही हूं कि क़ानून की दृष्टि में हिन्दू स्त्री का कोई भी वैधानिक स्तर नहीं होता है और सार्वजनिक जीवन में कोई करने वाली मुझ जैसी स्त्री को इस असमर्थता का शिकार होना पड़ा तो देश की उन निरीह स्त्रियों की अवस्था का, जिसका कोई सहारा नहीं है अनुमान भर लगाया जा सकता है। मैं उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कह रही हूं क्योंकि ये दोनों अविच्छेद रूप से जुड़े हुये हैं। यह विधेयक उस समय तक व्यर्थ हो रहेगा जब तक कि हम इस में दायभाग का प्रश्न न जोड़ दें क्योंकि आखिर स्त्रियां जायेंगी कहां ? वह अपने माता पिता के पास वापस जा नहीं सकतीं क्योंकि अधिकांश की अवस्था हम योग्य नहीं होती है। और पुरुष सारे बन्धनों को ठुकरा कर दूसरा विवाह कर लेते हैं। अतः हमारे पास एसे रक्षात्मक उपाय होने चाहियें। मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक को स्वीकार करने की ज़ोरदार सिफारिश करूंगी।

श्रीमती मायदेव (पूना दक्षिण) मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं क्योंकि यह सामान्य व्यवहार विधि की ओर ले जाने वाला एक पग है। हमारी बहनें सदैव यही कहती हैं कि एक सामान्य व्यवहार विधि बनाई जाये, अकेला हिन्दू कोड न बनाया जाये । अब उन्हें इस बारे में भी विश्वास दिलाया जा सकता है। इस विशेष विवाह अधिनियम के अधीन सभी सम्प्रदायों के लोग विवाह कर सकेंगे। प्रवर समिति के एक मुस्लिम सदस्य ने तो यहां तक कहा है कि मैं अपनी लड़की का विवाह मुस्लिम विधि के बजाये इस विधि के अधीन करूंगा ताकि उसे इस अधिनियम द्वारा दी गई सभी सुविधायें प्राप्त रहें। इस के पारित हो जाने पर मुस्लिम बहनें स्वयं यह कहेंगी कि हमारी विधि में परिवर्तन कीजिये और तब हम बड़ी आसानी से ऐसा कर सकेंगे।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि राज्य सभा से यह विधेयक बहुत परिवर्तित हो कर आया है जिस से समाज को थोड़ी हानि भी हो सकती है।

पहला उपबन्ध जिस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं, पृष्ठ ३ पर दिये गये खंड ४ (ग) के सम्बन्ध में है। हिन्दू कोड में आरम्भ में लड़की की विवाह की आयु १५ वर्ष रखी गई थी और लड़के की १८ वर्ष प्रवर समिति ने दोनों के लिये १८ वर्ष रख दी, परन्तु राज्य सभा ने इसे २१ वर्ष कर दिया है। कई संशोधनों द्वारा इसे २५ वर्ष तक किया जाने की मांग भी हो रही है। इस से पता चलता है कि वास्तव में कुछ लोग स्त्री कल्पना का बहाना मात्र करते हैं। कल्पना कीजिये कि कोई १८ वर्षीय युवती अपनी माता से कहती है कि वह इस विशेष विवाह अधिनियम के अधीन विवाह करना चाहती है तो क्या उसे तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी ? प्रतीक्षा करने की बजाये हिन्दू विधि के अधीन भी विवाह कर लिया जायेगा। तो इस अधिनियम का लाभ कैसे प्राप्त किया जायेगा ? अतः मेरे विचार में लड़की की आयु की सीमा १८ वर्ष तक निर्धारित की जानी चाहिये और उपखंड (ग) और (घ) उसी प्रकार रखे जायें, जैसे कि वह राज्य सभा में पुरःस्थापित किये जाने से पूर्व थे।

मैं जो दूसरी बात कहना चाहती हूं वह विधेयक के पृष्ठ ७ पर खण्ड १९ के सम्बन्ध में है, जिस में कहा गया है :

> "इस अधिनियम के अधीन सम्पन्न हुआ किसी अविभक्त परिवार के सदस्य का विवाह उसको उस परिवार से अलग करने वाला समझा जायेगा।"

मैं नहीं समझती कि विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह के इच्छुक

[श्रीमती मायदेव]

किसी भी लड़के या लड़की को अपने परिवार से पृथक होने के लिये विवश क्यों किया जाना चाहिये। यदि कोई लड़का विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह कर लेता है तो पुत्र की दशा में उस का पिता से नाता समाप्त नहीं हो जाता है। वह अपने पूर्वजों को पिण्ड दान कर सकता है।

में दूसरे खण्ड का उल्लेख करना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध परस्पर स्वीकृति द्वारा विवाह भंग करने वाले खण्ड २७(ट) से है। सामान्यतया कोई पुरुष अथवा स्त्री विवाह-विच्छेद करना पसन्द नहीं करेगा। आखिर विवाह क्या है? यह पारस्परिक व्यवस्था और एक प्रकार का आदान प्रदान है। अतः यदि हम परस्पर स्वीकृति के लिये स प्रकार का खण्ड रखें तो वह समाज के लिये स्वस्थ नहीं होगा। दुर्लभ अवस्थाओं के लिये ही हमें विधि निर्माण करनी चाहिये। विवाह-विच्छेद के लिये उपबन्ध होना चाहिये और वह इतना सरल होना चाहिये कि सुगमतापूर्वक उस का लाभ उठाया जा सके। मुझे लगता है कि खण्ड २७ के उपखण्ड (ट) को अलग कर दिया जाना चाहिये।

और भी बहुत से संशोधन हैं, लेकिन यह सब से महत्वपूर्ण है।

श्रीमती सुभ । जोशी (करनाल): सभापति महोदय, आज जितनी बात इस बिल के बारे में हो चुकी हैं उस के बाद कुछ कहने की आवश्यकता तो मैं नहीं समझती, फिर भी जैसे मिसेज़ पंडित ने अभी कहा यह मेजर बहुत दूर तो नहीं जाता है तो भी चूंकि एक स्टेप है जो आगे चलने के लिये है, इस लिये हम लोग वैलकम करते हैं और इस को सपोर्ट करते हैं। मेरे कुछ साथियों ने, चटर्जी साहब ने और देशपांडे जी ने इस की मुखालफत की है। मुझे इस बात से खुशी हुई कि मिस्टर चटर्जी कोई बहुत ज्यादा इस बिल के खिलाफ नहीं हैं और उन्हों ने कोई खास आरगमेंट्स नहीं दिये, उन के बोलने से तो ऐसा मालूम हो रहा था कि अगर हम लोग उन से रिक्वैस्ट करते तो इस के हक में वह इस से ज्यादा अच्छे एफैक्ट के साथ बोल सकते थे। एक दो चीजों के बारे में देशपांडे जी ज्यादा साफ थे और उन के कहने से साफ बात मालूम हो सकी कि वह क्या चाहते हैं। दोनों स्पीकर्स ने सेक्रामेंटल मैरिजेज़ के बारे में कहा और बतलाया कि हमारे यहां शादी का जो रिवाज है वह इतना सेक्रेड है कि हम जो यह मैरिज रजिस्टर करने की इजाज़त देने जा रहे हैं यह हिन्दू धर्म पर और हिन्दू समाज पर हम बहुत बड़ा आघात करने जा रहे हैं, और इस बात का उन्हें बड़ा रंज है। देशपांडे जी ने यह भी कहा कि इस मोनोगामी से जो बहुपत्नी का रिवाज है वह बहुत ज्यादा मुनासिब है और उस में ज्यादा रहम और ज्यादा मनुष्यता पाई जाती है। इस बात की मुझ को सचमुच खुशी है कि इतनी सफाई से उन्होंने अपनी बात कह दी क्योंकि जब सफाई से बात कही जाती है तो वह लोगों की ज्यादा समझ में आती है। आप दुबारा मुझ को यह सारी बातें कहना पसन्द नहीं। क्योंकि अगर हम अपनी आंखें बन्द कर लें, जो कुछ इस वक्त हमारे यहां होता रहे, जब आंखें बन्द करना चाहें, बन्द करलें तो कान बन्द करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती।

आज हम लोग पुरानी बातें कह कर या नई बातें कह कर शास्त्रों का नाम ले कर, या धार्मिक पुस्तकों का नाम ले कर, बड़ी बड़ी बातें बनायें और जो ऐक्चुअल फैक्ट्स हैं हमारे सामने, हमारे समाज में, उन की तरफ न देखें, खास कर हमारे पालिया-मेंट के मैम्बर ऐसे हो जायें, तो देश के

लिये इस से ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। देशपांडे जी ने कहा कि सब को पुराने जमाने में एक ही पत्नी पसन्द थी, जैसा कि श्री रामचन्द्र जी ने किया या सीता जी ने किया। सभापति महोदय, पिछले जमाने में अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। इसी तरह धार्मिक पुस्तकों की बातें हैं। उन को मुझे बहुत ज्यादा पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला है, पर कुछ न कुछ पढ़ा है, कभी कभी पढ़ लेती हूं। तमाम चीजों से ऐसा मालूम हुआ कि उन में ऐसी बातें भी हैं जिन के लिये मैं कह सकती हूं कि हमें बहुत अभिमान है और बहुत सी ऐसी बातें भी हुई जिन के लिये हमारा सिर नीचा है। जहां श्री राम और सीता के चरित्र से हमारा सिर ऊंचा है दुनिया के सामने, वहां द्रौपदी के चीर हरण से हमारा सिर नीचा है, अपने लोगों के सामने भी और दुनिया के सामने भी। यह उस वक्त की बात थी जिस वक्त कि श्री कृष्ण महाराज का जमाना था जिन को कि हम भगवान समझते हैं, उन की आराधना करते हैं। तो इस तरह की पुरानी बातों का जिक्र करना और ऐसा समझना कि हम आज की ओर से अपनी आंखें बन्द कर लें या समाज की आंखों में धूल झोंक दें, यह नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं बार बार इस सभा का ध्यान इस तरफ खींचना चाहती हूं कि आज पहला फाइव इयर प्लैन आप ने बनाया और दूसरा बनाने जा रहे हैं, उस में आप ने हजारों स्कूलों का प्रावीजन किया कि आप लड़कों को पढ़ायेंगे। स्कूल खोलेंगे, लड़कियों के भी खोलेंगे और लड़कों के भी खोलेंगे। पर आप भी जाते होंगे, मैं भी कभी कभी चली जाती हूं लड़कियों के स्कूलों और कालेजों में, जहां कि लड़कियां काफी संख्या में शिक्षा प्राप्त करती हैं। हम उन को शिक्षा देते हैं और फिर यह चाहते हैं कि जो हमारी लड़कियां पढ़ती हैं, जिनमें हम एक स्वाभिमान की झलक पैदा करते हैं वह अच्छा जीवन व्यतीत करें। जब वह लड़की नौजवान होती है तो उस हमारी लड़की का फ्यूचर हमारे समाज में और हिन्दुस्तान में क्या है? सभापति महोदय, जिस वक्त मैं फ्यूचर की बात करती हूं उस समय मेरे सामने मिसेज पंडित नहीं हैं जो कि यू० एन० ओ० की मैम्बर हैं, वहां की प्रैजीडेंट हैं। या जो हजारों लाखों में से दो, चार, दस, बीस स्त्रियां पार्लियामेंट की मैम्बर हो जाती हैं उन का भविष्य मेरे सामने नहीं है। वह यहां पर पहुंच गई हैं न मालूम कैसे पहुंच गई। श्रीमती पंडित हमारे बल पर नहीं किन्तु हमारी बाधाओं के होते हुए अपनी प्रतिभा के कारण वहां पहुंची हैं। एक इत्तिफाक की बात हो गई है। मैं हिन्दुस्तान में रहने वाली उन स्त्रियों और अपनी कन्याओं के वर्तमान और भविष्य की बात कहती हूं, उन बहिनों की बात करती हूं जो हमारे घरों में हैं क्योंकि स्त्री का जो कार्य क्षेत्र है, चाहे आप उसे लड़ाई का मैदान ही समझिये, वह हमारे घरों में ही हैं। जो पहले सैक्रेड मैरेज हुआ करती थीं उन की बात नहीं करती हूं जो आज की सैक्रेड मैरेज होती हैं उन की बात कहती हूं, मैं ने पहले भी इस सभा के सामने जिक्र किया कि जो शादियां आप के चारों तरफ हुईं, चाहे सप्तपदी से हुई या किसी भी तरह से हुईं, उन बहिनों में से मेरे पास अनगिनत बहिनें आती हैं। इस का आज भी जिक्र करना चाहती हूं। अभी हाल में, आज कल में, पांच, छै केसेज मेरे पास ऐसे आये हैं। एक भाई ने अग्नि के चारों तरफ शादी कर के, जिस आदमी को स्त्री देवता समझती थी उस ने उस स्त्री को छत पर से फेंक दिया जिस का मुकद्दमा दिल्ली कोर्ट्स में चल रहा है। एक दूसरे भाई ने शादी की, अग्निदेव के चारों तरफ घूम कर शादी की। अब मैं एक उस घर का जिक्र कर रही हूं जिस का रिवाज

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

है कि उस घर की हर जेठानी देवरानी जो आती हैं वह कुंएं में गिर कर मर जाती हैं। तो उस भाई की स्त्री कुएं में गिर कर मरी है। एक तीसरे घर का मैं जिक्र करती हूं। करौलबाग में आज एक औरत पिछले दो महीने से दर्वाजे पर बैठी है और कहती है कि मैं अपना घर छोड़ कर नहीं जाऊंगी, यहां ही मरूंगी। मोहल्ले वाले बार बार उठा कर उस को दरवाजे के भीतर बिठा देते हैं और वह बार बार निकाल दी जाती है। अभी हाल में उसे जहर दे दिया गया, वह अस्पताल पहुंचाई गई, और फिर अच्छी हो कर घर पहुंच गई, वह अब भी इन्कार कर रही है कि मैं घर छोड़ कर नहीं जाऊंगी, आखिर मैं कहां जाऊं। आज कल भी इस तरह की चीजें की जाती हैं। यह दो चार मिसालें वह हैं जो इतनी ग्लेअरिंग हैं जो कि मुहल्ले में फैल गईं, घर घर में फैल गईं और अखबारों में फैल गईं। लेकिन ऐसे ही अनगिनत केसेज रोज होते रहते हैं। तो जिन लड़कियों को आज आप पढ़ाते हैं, मैं उन के फ्यूचर की बात आप से कहती हूं। आप फाइव इयर प्लैन में अनगिनत स्कूल खोल दें लेकिन मैं कहती हूं कि अगर आप इस सोशल मेजर से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो स्कूल खोलने के बजाये आप यहां एक गिलोटिन बना दीजिये जहां पर कि लड़कियां रोज रोज आ कर मरा करें जब लड़कियों की स्वतन्त्रता की बात आती है तो मैं आप से पूछती हूं कि आज सैक्रेमेन्टल मैरेज में क्या बात होती है? इस में लड़कियों के गुण की बात नहीं, लड़कियों की पढ़ाई की बात नहीं, या इस तरह की और कोई बात नहीं। सब से पहले उस को देखने चले आ रहे हैं। आज जो तरीका शादी का है उस में सब से पहले देखा जाता है कि उस की नाक कैसी है, उस का मुंह कैसा है, उस का यह कैसा है, वह कैसा है। उस के मुंह को ही देखने का सवाल नहीं है। यह सब देखने के बाद देखा जाता है कि कपड़ा क्या मिलेगा, बाप के पास पैसा कितना है, और कितना पैसा दहेज में दिया जायेगा, जब यह सब बातें तय हो जाती हैं तब सैक्रेड मैरेज होती है। और कितने दिन तक यह सैक्रेड मैरेज रहती है यह भी मैं आप को बताती हूं मैं उन बहनों की बात कर रही हूं जो कहती हैं कि इस शादी के बाद मैं पति के साथ रही, लेकिन वह मेरे साथ बात नहीं करता। वह स्त्रियां मेरे पास आती हैं। कोई बहन आ कर कहती है कि मेरे पति ने मुझ को छोड़ दिया। मैं बहिनों को भेजती हूं जो जा कर पूछती हैं कि भाई क्यों छोड़ दिया तो कोई कहता है कि मैं ने इस को इस लिये छोड़ दिया कि यह काली है, कोई कहता है कि इस लिये छोड़ दिया कि दहेज काफी नहीं दिया गया था। कोई कहता है कि इस लिये छोड़ दिया कि बच्चा नहीं होता था, कोई कहता है कि इस लिये छोड़ दिया कि लड़कियां ही लड़कियां होती थीं। कोई कहता है कि कारण कुछ भी नहीं है, कोई बुराई इस में नहीं है, पर बहन जी, जिस दिन से शादी हुई है उसी दिन से यह मेरे मन से उतर गई। यह फैक्ट्स हैं। नहीं मालूम शास्त्रों में क्या लिखा था। मैं आप से कहती हूं कि इन किताबों को कोट कर के अगर आज आप समाज की तरफ से मेरी आंखें बन्द करना चाहें मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहें, तो मैं इस के लिये तैयार नहीं हूं। इस के बावजूद मुझ को नजर आता है और मैं चाहती हूं कि इन बहनों के लिये कोई रास्ता अख्तयार किया जाये।

जो बातें चटर्जी साहब ने इस बिल के खिलाफ कहीं, वही बातें इस के हक में जाती हैं। उन्हों ने कहा कि सैक्रेड शादी का रजिस्टर करने की बात को वह नामुनासिब समझते हैं क्योंकि सैक्रेड मैरेज में स्त्रियां जानती हैं कि सब कुछ यों ही रहना है, कहीं जा नहीं

सकते हैं, जो कुछ भी हो जाये यह परमानेन्ट है। मैं पूछती हूं कि एक आदमी को दूसरे आदमी पर एक इन्सान को दूसरे इन्सान की जिन्दगी पर ऐसी पावर्स दे देना, ऐबसोल्यूट पावर दे देना, कहां तक मानवता के साथ जाता है? आज जब लेबर और कैपिटल की बात होती है वैसे तो यह पुरानी बात है, और कोई इस का साथ आज कल नहीं देता, पर मैं एक बात जानती हूं कि एक गरीब मजदूर को मालिक के हाथ में दे दिया जाये, और अगर उस के पीछे हुकूमत का पक्ष न हो, कानून उस के लिये न हो, फैक्ट्री इन्स्पेक्टर्स और लेबर संगठन या लेबर मिनिस्टरस न हों तो उस गरीब आदमी को कितना एक्स्प्लायट किया जा सकता है यह आप जानते हैं। उसी तरह से जब एक इन्सान का दूसरे इन्सान पर जो कि एक औरत है, पूरा अख्तयार दे दिया जाये तो वह ता नहीं कितनी बातों में एक्स्प्लायट कर सकता है। अगर उस की तरफ हम हर तरह से तवज्जह न दें तो मैं कहती हूं कि यह इस देश के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। अगर आज के जमाने में समाज के साथ आज कल के लोगों के साथ और इन्सानियत के साथ ज्यादती होती है, एक आदमी को दूसरे आदमी के ऊपर इस तरह से ऐब्सोल्यूट पावर दे दी जाये तो यह कहां तक इन्सानियत की बात हो सकती है यह हम को समझना है।

एक और बात आज बार बार कही गई। चटर्जी साहब ने कहा कि मुसलमान भी इस बिल के विरोध में हैं। इस से मुझे कुछ ताज्जुब नहीं हुआ। पर मुझ को यह भी मालूम है कि सेलेक्ट कमेटी में कुछ हमारे मुसलमान भाइयों ने कहा था कि हम भी इस से फायदा नहीं उठा सकेंग क्योंकि इस में मोनोगेमी क्लाज़ एक है जो चीज कि हमारे यहां नहीं है। उन्हों ने कहा कि यह जो सोशल कस्टम और पर्सनल ला की बात है उस को पहले क्लाज में भी लिख दिया जाय ताकि इस से हम भी फायदा उठा सकें।

फिर भी ऐसे भी मुसलमान हैं जो इस के खिलाफ हैं। वह चटर्जी साहब के साथ हैं। वे एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि वह एक विचारधारा है जो कि सिर्फ एक मजहब के लोगों में ही नहीं है। वह हिन्दुओं में भी है, मुसलमानों में भी है और ईसाइयों में भी है, और उस विचारधारा के जो लोग हैं वे हर मामले में एक ही रहते हैं। चाहे वह हिन्दुस्तान के टुकड़े करने की बात हो, चाहे दोनों मुल्कों में फिसाद खड़ा करने की बात हो, चाहे मुल्क को पीछे ले जाने की बात हो, वह विचारधारा हर मजहब के लोगों में मौजूद है। इसी तरह से हमारे इस कानून के बहुत से लोग खिलाफ हैं। इस तरह के आदमी मुसलमानों में भी मौजूद हैं मुझे इस से इन्कार नहीं है।

अब आखिर में मैं एक चीच कहना चाहती हूं। वह यह है कि हम चाहे कितने ही कानून बना दें आज हम उन का पूरा फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि जैसा कि चटर्जी साहब ने कहा कि इस वक्त स्त्रियों को कोई इकानोमिक फ्रीडम नहीं है। जायदाद में उन का कोई अधिकार नहीं है। हमारे चटर्जी साहब कहते हैं कि ऐसी हालत में उन को डाईवोर्स का अधिकार दे देना उन पर ज्यादती की बात होगी। लेकिन मैं इस को ज्यादती नहीं समझती। पहले तो इन्सान को इन्सान होना जरूरी है। प्रापर्टी बाद में आती है। मैं प्रापर्टी पर अधिकार ले कर क्या करूंगी जब कि मुझे अपने आप पर अधिकार नहीं है। इस वक्त तो मुझे इन्सानों में ही नहीं समझा जाता। तो मुझे कितनी भी प्रापर्टी दे दो, दहेज़ दे दो, कपड़ा दे दो, जब तक कि इन्सान को इन्सान नहीं समझा जायेगा तब तक किसी को आप

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

जेवरों से या जायदाद से लाद दें तो वह उस के किस काम के हैं। फिर भी मैं एक चीज के लिये आप से कहूंगी कि एक स्त्री जिस के पास आज कोई आमदनी नहीं है, जो कमाती नहीं है, जिस का जायदाद में कोई अधिकार नहीं है, अगर आप उस के लिये कानून पास करना चाहते हैं तो जरूर करें लेकिन उस को लगवाने के लिये सरकार को वकील का और को ं के खर्चे का सारा इन्तजाम मुफ्त में करना चाहिये। हमारे इस बिल में एक प्रावीजन है कि, अगर कोर्ट चाहे और यह समझे कि स्त्री की अपनी कोई आमदनी नहीं है या उस के लिये कोई मदद नहीं है तो वह चाहे तो उस के पति की आमदनी में से खर्चा देने का आर्डर कर सकती है। मैं समझती हूं कि पति की आमदनी में से देने के बजाये अगर हुकूमत खुद इस का प्रबन्ध करे तो वह स्त्रियों के लिये ज्यादा मुनासिब साबित हो सकता है। क्योंकि इस में यह देखना होगा कि पति की आमदनी कितनी है उस में से कितना खर्चा दिया जा सकता है क्या उतने पये से मुकदमा चल सकेगा या नहीं। उस के बाद अगर डाइवोर्स न हुआ और अदालत ने स्त्री के खिलाफ फैसला दे दिया तो उस हालत में बाद में यह चीज़ उस की जान को बवाल बनी रहेगी कि उस न पति की आमदनी में से खर्चा लिया अगर कोई दूसरा आदमी उस की मदद करता है तो यह कहा जायेगा कि पैसा देकर डाइवोर्स करवाना चाहते हैं। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि इस मामले में सरकार स्त्रियों के लिये कोई ऐसा इन्तजाम करे कि जिस से उन की तरफ से यह कानून लागू किया जा सके। इस वक्त और भी कितने ही कानून हैं जिन से स्त्रियों की मदद हो सकती है लेकिन वकील के लिये और अदालत में पैसा खर्च करने के लिये न होने की वजह से वह उस का फायदा नहीं उठा सकती। इसलिये मैं चाहती हूं कि ये चन्द चीजें जोड़ कर इस कानून को जल्द से जल्द पास कर दिया जाये। और जैसा कि श्रीमती डित ने कहा कि यद्यपि यह कानून हम को उतना आगे नहीं ले जाता जितना कि से हमें ले जाना चाहिये लेकिन चूंकि यह एक सही कदम है म स को वलकम करती हूं और इस को स ोर्ट करती हूं।

सभापति महोदय : केवल ैतीस मिनट शेष हैं और माननीय विधि मंत्री को उत्तर में आधा घंटा लग जाने की संभावना है। मैं समझता हूं कि अन्य किसी का नाम पुकारना उचित नहीं है। अतः मैं माननीय विधि मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह वाद-विवाद का उत्तर दें।

श्री बिस्वास खड़े हुए—

सभापति महोदय : हमें इस विधेयक पर वाद-विवाद आज ही समाप्त कर देना चाहिये। यदि माननीय मंत्री २५ मिनट ही बोलना चाहें तो मैं दूसरे सदस्य का नाम पुकारूं।

श्री बिस्वास : मैं सहमत हूं।

सभापति महोदय : हां, श्री यू० एम० त्रिवेदी। आप दस मिनट तक बोल सकते हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा और मेरा विश्वास है कि मुझे दस मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। वैसे मेरी इच्छा वाद विवाद में इस समय भाग लेने की नहीं थी लेकिन कुछ लोगों के दकियानूसी विचारों को सुन कर ही मैं ऐसा कर रहा हूं। लोग अनेकानेक पुस्तकें पढ़ कर एक दायरा बना लेते हैं और फिर उस दायरे से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। जो कुछ वे समझते हैं वही प्रगतिशील है। और अन्य सब प्रतिक्रियावादी है।

इस सम्बन्ध में सब से अधिक विचारपूर्ण भाषण श्री चटर्जी का हुआ है लेकिन हम ने उस की ओर गम्भीरता पूर्वक ध्यान नहीं दिया । दूसरा भाषण श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का हुआ है। हम उन के भाषण की सराहना करते हैं लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं कि हिन्दू विवाह केवल आर्थिक विचार के स्तर पर स्थापित कर दिया जाये। उन्हें वस्तुयें तथा पदार्थ नहीं समझना चाहिये। हिन्दुओं के लिये नारी कभी वस्तु नहीं थी, न वह आज है और न भविष्य में रहेगी। माननीय मंत्री ने कहा कि उन्हों ने यह अनुसूची ब्रिटेन की अनुसूची से ली है मैं कहता हूं कि उन्हों ने सारी विधि ही वहां से नकल कर ली है। अन्यथा विशेष विवाह विधेयक को हिन्दुओं पर लागू करने की क्या आवश्यकता थी। इस के बाद ही दूसरा विधेयक हिन्दू विवाह और विवाह-विच्छेद विधेयक प्रस्तुत किया जाने वाला है। उस विधेयक के शब्द इस विधेयक में समाविष्ट करने की क्या आवश्यकता थी। हम यह नहीं समझ पाते हैं। एक बात यह भी कही गई कि दूसरे प्रगतिशील राष्ट्र हमें निम्न दृष्टि से देखते हैं और अपने आप को प्रगतिशील कहलाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये हम अपनी प्रिय संस्कृति को तिलान्जलि दे रहे हैं। इंगलैंड में समाज का नैतिक स्तर खूब बढ़ा चढ़ा है। वहां लोग सत्य-भाषण करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वर्षों तक अंग्रेजी और मुसलमानी शासन के दासत्व में रहने से हम उन कार्यों को करने में गर्व अनुभव करते हैं जिन्हें उच्च नैतिक सिद्धान्तों वाला कोई व्यक्ति नहीं करेगा। हमारे समाज के निम्न वर्ग में विवाह-विच्छेद और पुनर्विवाह का बोलबाला था, किसी को इस में आपत्ति नहीं थी लेकिन समाज की उच्चवर्गीय महिलाओं ने विवाह-विच्छेद एवं पुनर्विवाह से इन्कार कर दिया क्योंकि वे समाज के आगे उच्च आदर्श स्थापित करना चाहती थीं। हम इन विचारों को विस्मरण कर रहे हैं। हम पतन की ओर उन्मुख हो रहे हैं।

आप जिस विधि को संविधि पुस्तक में रखना चाहते हैं मैं उसे दुष्प्रवत्तिजनक और परांगमुखी समझता हूं ।

एक माननीय महिला सदस्य श्रीमती सुभद्रा जोशी ने अपने भाषण में कुछ उदाहरण उपस्थित किये। उन्हें सुन कर मुझे श्रद्धेय स्वर्गीय डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी की एक उक्ति याद आ गई : "इंडिया का अर्थ भारत है, और भारत का अर्थ यू० पी० है।" महिला सदस्य के अनुसार भारत का अर्थ दिल्ली है। उन्हों ने दिल्ली के कुछ उदाहरण दिये और यह विचार व्यक्त किया कि वे सारे भारत पर लागू होते हैं। मिस कैथराइन ने भी इस देश में बुराइयों की ओर ही नजर दौड़ाई थी। श्रीमती जोशी ने स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहारों के दृष्टान्तों की ही चर्चा की है। हमारे यहां ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां स्त्रियां सुखपूर्वक अपने पतियों के साथ जीवन व्यतीत करती हैं। कस्तूरबा शिक्षित नहीं थीं तब भी उन्हों ने देश के महानपुरुष की अर्द्धांगिनी के रूप में सुखी जीवन व्यतीत किया ।

श्री बिस्वास : माननीय सदस्य का समय पूरा हो गया है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं थोड़ा समय और चाहता था लेकिन खण्डों पर विचार करते समय मुझे एक बार और समय मिलेगा, अतः मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं ।

श्री बिस्वास : सभापति महोदय, इस विधेयक पर लम्बे अर्से से चर्चा हो रही है। पिछले सत्र में हमें तीन दिन मिले थे और आज भी हमें पूरा एक दिन मिला है। मुझे

[श्री बिस्वास]

प्रसन्नता है कि श्री चटर्जी, श्री देशपांडे और एक दो अन्य मित्रों के अतिरिक्त सामान्यतया सदस्यों ने विधेयक का समर्थन ही किया है। मुझे खेद है कि विधेयक की आलोचना करते समय माननीय मित्र उस के क्षेत्राधिकार और उद्देश्य को भूल गये और उन्हों ने इस के यथार्थवादी पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया ।

सब से पहले १८७२ में मूल विशेष विवाह अधिनियम प्रस्तुत किया गया था जो उसी वर्ष अधिनियमित कर दिया गया। इस के बाद १९२३ में सर हरि सिंह गौड़ का संशोधन रखा गया और वर्तमान में अब यह विधेयक रखा गया है जो १९२३ में संशोधित पिछले विधेयक से सर्वथा पृथक है ।

१८७२ में जैसा अधिनियम था उस के अधीन विवाह की अनुमति उन्हीं लोगों के बीच थी जिन में से कोई भी "न तो ईसाई, न यहूदी, न हिन्दू, न मुसलमान, न पारसी, न बौद्ध, न सिक्ख, न जैन धर्मावलम्बी हो, अथवा उन व्यक्तियों में विवाह की अनुमति थी जिन में से एक का धर्म . . . . ." इस के बाद १९२३ में संशोधन रखा गया जिस में यह जोड़ा गया कि, "अथवा उन व्यक्तियों के बीच जिन में से किसी एक का धर्म उपरोक्त धर्मों में से कोई एक हो ।"

दूसरे शब्दों में स्थिति इस प्रकार थी। १८७२ के अधिनियम के अधीन जो व्यक्ति इस के अन्तर्गत विवाह करते थे उन्हें कहना पड़ता था कि वे—उन में से कोई भी-किसी एक धर्म से सम्बन्धित नहीं है जिस के अपने वैयक्तिक नियम हैं। यदि आप के अपने वैयक्तिक नियम हैं जिन से आप शासित होते हैं तो आप को १८७२ के अधिनियम के अधीन विवाह की अनुमति नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि उन व्यक्तियों में विवाह हुए जो निषेध होते हुए भी इन्हीं धर्मों से सम्बन्धित थे लेकिन उन्हों ने मिथ्या घोषणायें कीं कि वे निर्दिष्ट धर्मों से सम्बद्ध नहीं हैं ।

इन मिथ्या घोषणाओं को अन्त करने के लिये सर हरी सिंह गौड़ ने कहा कि निषिद्ध धर्मों से सम्बन्धित व्यक्तियों में परस्पर विवाह की अनुमति होनी चाहिये। लेकिन यह शर्त रखी गई कि विवाह के इच्छुक दोनों व्यक्ति एक ही धर्म से सम्बन्धित होने चाहियें। अब हमारे वर्तमान विधेयक में यह विशेषता है कि हम विवाह हेतु धर्म का भेद भाव समाप्त कर रहे हैं। विभिन्न धर्मावलम्बी भी विवाह कर सकते हैं। हिन्दू मुसलमान से विवाह कर सकता है, मुसलमान हिन्दू से, हिन्दू ईसाई से विवाह कर सकता है। यह इस का मुख्य लक्षण है।

इस विधेयक पर विचार करते समय आप इसे उस कसौटी पर न परखिये जिससे आप केवल हिन्दुओं या केवल मसलमानों अथवा ईसाइयों के विवाह विधेयक पर विचार करते समय लागू करेंगे। यह सामान्य विधेयक है। यह सम्पूर्ण भारत के लिये विवाह विधि के समान संहिता की ओर दृष्टिपात करता है जो संविधान के अनुच्छेद ४४ में लिखे गये निर्देशात्मक सिद्धान्तों के अनुरूप है। अतः हमें क्षेत्राधिकार और उद्देश्य की ओर निर्देश करते हुए ही विधेयक पर विचार करना चाहिये ।

कहा जाता है कि जब हिन्दू विवाह और विवाह-विच्छेद विधेयक है, तब यह विधेयक क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है। यह केवल हिन्दुओं के लिये ही नहीं है . . . मैं सदन के समक्ष यह बात जोर दे

कर कहना चाहता हूं कि इस विधान को समझने के लिये आप दूसरी कसौटी से काम न लीजिये। जहां तक भारत का सम्बन्ध है यह अनुपम विधान है। हमें इस मूलभूत सत्य को नहीं भूल जाना चाहिये कि इस प्रकार का विधान पहली बार इस वर्ष प्रस्तुत किया गया है।

यद्यपि पिछले सत्र में इस की आलोचना की गई थी, फिर भी उस में एक ऐसी भावना थी कि देश को इस प्रकार के विधान की आवश्यकता है। हम १८७२ या १९२३ में नहीं रहते हैं। समाज अग्रसर हो रहा है, हमारे विचारों में परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक विधान समय के अनुसार होना चाहिये। विधि का कर्तव्य है कि वह समय के साथ चले। यदि सामाजिक रीति-रिवाजों में अन्तर हो गया है तो विधि में उनके अनुसार परिवर्तन होना चाहिये। हिन्दू विधि की यह विशेषता रही है। हिन्दू धर्म की स्फूर्ति का मुख्य कारण उस की ग्रहणीयता है। जमाने के असंख्य थपेड़ों को पार करने पर भी हिन्दू धर्म जीवित है और जीवित रहेगा। कुछ मित्रों का विचार है कि विशेष विवाह विधेयक हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति के लिये आघात स्वरूप है। मेरा विश्वास है कि हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू सभ्यता इस आघात को सहन कर सकेगी।

श्री नंद लाल शर्मा (सीकर) : मैं समझता हूं कि यह अन्तिम आघात नहीं है।

श्री बिस्वास : यदि मेरे मित्र अंग्रेजी में बोले होते तो अच्छा होता। क्योंकि मैं अधिक समझ पाता। उन्होंने मुझे इस प्रकार की व्यथा दी है जिसे मैं हृदयंगम नहीं कर सका।

मैं केवल महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालूंगा। सब बातों पर कहना संभव नहीं है। पहले अवस्था का प्रश्न लीजिये। विवाह के हेतु विविध दलों ने विविध मत प्रगट किये हैं। आचार्य कृपलानी द्वारा किये गये हास्यप्रद सुझावों को एक ओर रख कर मेरे सामने दो ही विचारणीय प्रस्ताव रह जाते हैं। एक तो राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित २१ वर्ष की अवस्था रखने का सुझाव और दूसरा संयुक्त समिति द्वारा पुनः १८ वर्ष की अवस्था रखने का सुझाव। लगभग सभी उद्देश्यों के लिये १८ वर्ष की अवस्था वयस्क अवस्था है। विविध दलों की विधियों के अनुसार विवाह अठारह वर्ष से भी पहले हो जाता है। यदि साधारण विधि के अनुसार अठारह वर्षीय व्यक्ति कोई करार कर सकता है तो विवाह के विषय में २१ वर्ष तक की अवधि क्यों रखी जाये? यह अवधि रखने से वह उस अधिकार से वंचित हो जाता है जो उसे अपने संरक्षकों के कथनानुसार काम करने पर १९ वर्ष की अवस्था में प्राप्त हो सकता है। अतः यह अवधि वांछित नहीं है।

मैं यह चाहता हूं कि अवधि १६ वर्ष की अवस्था रखी जाय किन्तु उस में यह शर्त रखी जाय कि यदि सम्बन्धित व्यक्ति १९ और २१ वर्ष के बीच की अवस्था में हैं तो उन के संरक्षकों की अनुमति ली जानी चाहिये। इस प्रश्न का निर्णय सभा को करना है।

जब हम ने अवधि २१ वर्ष तक बढ़ा दी थी तो संरक्षकों का सब उल्लेख हटा दिया था किन्तु उक्त दशा में हमें यह फिर रखना होगा फिर यदि संरक्षक का रखना आवश्यक है तो उस की परिभाषा उचित रूप से ी जानी चाहिये जैसे वह माता पिता या अदालत की ओर से कोई संरक्षक हो। इस से यह होगा कि अन्य लोग विवाह में ोड़े नहीं अटका सकेंगे

[श्री बिस्वास]

अब मैं दूसरे प्रश्न को लेता हूं । खण्ड ४(घ) और खण्ड १५(ङ) असंगत कहे जाते हैं, जहां तक कि निषिद्ध विषयों में भिन्न भिन्न प्रथाओं का सम्बन्ध है । पिछली बार भी और आज भी वक्ताओं ने इस पर बहुत कुछ कहा है । इन खण्डों को हटा देने पर जोर देते हुए उन्हों ने कहा है कि प्रथाओं को इस विधेयक के अन्तर्गत कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये । यह भी विचारणीय है । मेरा निजी मत भी यही है । यदि कोई प्रथानुसार काम करना चाहता है तो वह वैयक्तिक विधि के अनुसार विवाह कर सकता है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : वह दोनों प्रकार से काम नहीं कर सकता ।

श्री बिस्वास : उसे विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह करने की आवश्यकता नहीं है । दूसरी बात यह है कि भारत के एक भाग में यदि एक प्रथा को मान्यता दी जाती है तो अन्य भागों की प्रथाओं के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिये । प्रथायें ही नहीं जातियां भी भिन्न हैं । किन्तु यह विधि उन सब पर लागू होती है जो इस का लाभ उठाना चाहते हैं । अतः इसे इस प्रकार बनाया जाये कि अधिक से अधिक लोग इस का लाभ उठा सकें ।

इसे ध्यान में रखते हुए निषिद्ध बातें इस प्रकार रखी जायें कि न्यूनतम प्रतिबन्ध हो । प्राचीन काल में जब जातीय जीवन का प्राधान्य था, प्रतिबन्ध भी अधिक थे । संतों ने सोचा कि यदि ये प्रतिबन्ध न हुए तो विभिन्न जातियों का रहना कठिन हो जायेगा । किन्तु अब वह बात नहीं है । जहां तक हिन्दुओं का प्रश्न है, भारत में उन की सपिंड विधि कई स्थानों में टूट चुकी है । अतः हम ने अनुभव किया कि आधुनिक स्थितियों के अनुकूल ही निषेध भी होने चाहियें । हिन्दू-विधि की भांति पितृपक्ष में सात पीढ़ी तक और मातृपक्ष में पांच पीढ़ी तक प्रतिबन्ध नहीं लगाना है ।

यह विधि सब के लिये है अतः इस का निर्माण सरल नहीं है । निषिद्ध बातों में जो जो सम्बन्ध आते हैं उन को विशेष रूप से बतला देना, यही सरलतम उपाय है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : श्री एस० एस मोरे तो उस समय गम्भीर हो कर नहीं बोले थे ।

श्री बिस्वास : श्री यू० एम० त्रिवेदी कहते थे कि हम किसी एक या दूसरे देश की नकल कर रहे हैं । हम गुलाम नहीं हैं । अपने आप को दूसरों का दास समझने की भावना मेरी नहीं है । बल्कि उन की है जो इस प्रकार सोचते हैं । उन के विचारों से ही दासता प्रगट होती है ।

श्री टेकचन्द जी ने इस विषय पर जो विचार प्रगट किये हैं उन का भी मैं थोड़ा सा उल्लेख किये देता हूं । इस विधेयक के अन्तर्गत होने वाले विवाहों के बारे में उन्हों ने दृढ़ शब्दों में कहा है कि इस से धोखेबाजी, भ्रष्टाचार, बदनामी आदि बुराइयों का द्वार खुल जायेगा । इन तर्कों का समझना बड़ा कठिन है । विवाह का अफसर वैवाहिक मामलों की प्रक्रियाओं का शीघ्रता से सम्पादन करेगा । वह कोई अदालत नहीं है जो प्रत्येक बात की जड़ में जाये और अपना निर्णय देता फिरे । वैवाहिक दल स्वयं ही वयस्क होंगे जिस पर भी यदि दुराग्रह, धोखा या मानहानि आदि के प्रश्न आयेंगे तो श्री टेकचन्द जी उन्हें संभाल ही लेंगे ।

श्री एन० सी० चटर्जी : हां, लेकिन जेब गरम होने पर ।

श्री बिस्वास : सो तो है ही । दलों का उपचार किया ही जाता है । दंड संहिता निष्प्राण थोड़े ही है । इस विधेयक के खंड २५ (३) में भी कहा है कि पीड़ित दल को उपचार और क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी ।

में नहीं समझता कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार क्यों दिया जाये कि वह समस्त संभव कारणों से ऐसे विवाह का विरोध करे । इस से सम्बन्धित दलों के मार्ग में रुकावट पैदा की जायेगी ।

अब में सूचना के विषय पर आता हूं । यह एक छोटी सी बात है । हम यह उपबन्ध करना चाहते हैं कि जिला-रजिस्ट्रार का दफ्तर जिस क्षेत्र में है केवल वहीं पर विवाह की सूचना प्रकाशित नहीं होगी, अपितु संरक्षकों को स्वयं यह सूचना भेजी जायेगी जिस से कोई आपत्ति न रहे । यह उपबन्ध अभी नहीं है किन्तु में इस प्रकार का संशोधन मानने को तैयार हूं ।

अब में पंजीकरण के प्रश्न को लेता हूं । पहले किये गये विवाह का पंजीकरण एक महत्वपूर्ण नवीनता है । इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व और पश्चात् के विवाहों के लिये यह खुला है । एक सुझाव यह है कि अधिनियम के पूर्व के विवाहों पर ही यह लागू होना चाहिये क्योंकि उन का पंजीकरण हो सकता है ।

ऐसा न करने पर हमें खण्ड ४ को हटाना होगा । उस में यदि प्रथा को हटा दिया जाये तो कुछ शर्तें रह जाती हैं । वे यह हैं कि व्यक्तिगत सम्बन्ध की निषिद्ध श्रेणियों में नहीं आना चाहिये । इस के लिये यह कहा गया था कि लोग अपनी वैयक्तिक विधि के अनुसार विवाह कर लेंगे जिस में प्रथाओं की विभिन्नताओं को मान्यता दी गई है । दूसरे दिन वे अपना पंजीकरण करा लेंगे और इस प्रकार खंड ४ की शर्तों से बच जायेंगे । यह अवश्य ही एक प्रभावशाली प्रमाण है अतएव यह सुझाव रखा गया कि खंड १५ को, जिस का सम्बन्ध पंजीकरण से है, केवल अधिनियम के बाद के विवाहों तक ही सीमित रखा जाये ।

इस प्रश्न पर भी सभा को ध्यानपूर्वक विचार करना है । और भी अनेक प्रश्न हैं जिन्हें में आगे चल कर लूंगा ।

श्री बी० एन० मिश्र : (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर) : पारस्परिक सम्मति का क्या हुआ ?

श्री बिस्वास : में पंजीकरण पर अधिक नहीं बोलूंगा । में क्रमशः दलील दे रहा हूं । अब में खण्ड १९ को लेता हूं जिस में संयुक्त परिवार का उल्लेख है और जिस पर दोनों सभाओं का सब से अधिक ध्यान आकर्षित हुआ है । किन्तु उन की आशंकायें भावुकता लिये हुए हैं ।

वास्तव में इस में कोई अन्तर नहीं पड़ता । होता यह है कि इस विधेयक के अन्तर्गत विवाह करने वाले को अपने संयुक्त परिवार से पृथक होना पड़ता है तो उस का स्तर मिताक्षरा-समांशधारी के स्तर पर नहीं बल्कि दायभाग समांशधारी के स्तर पर हो जाता है । इस से उस का अन्य सदस्यों के साथ धर्मोपासनाधिकार नहीं हटता । वह बोरी-बिस्तर बांध कर अलग नहीं किया जा सकता । वह नाममात्र के लिये अलग कर दिया जाता है ।

साझे की पूंजी में पहले उस का जो परिवार में मृत्यू और जन्म के कारण घटता बढ़ता व्याज का हिस्सा था अब वह सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित कर दिया जायेगा । वैसे तो वह अविभाजित परिवार का सदस्य होगा किन्तु पृथक हो

[श्री बिस्वास]

जाने से केवल यही अन्तर पड़ेगा । हम यह उपबन्ध कर रहे हैं कि यदि पहली पत्नी से उस की सन्तान है तो उन पर इस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । वे बच्चे उन्हीं की विधियों के अन्तर्गत रहेंगे जैसे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में ।

अब जब वह मनुष्य विवाह कर लेता है परिवार से पृथक् हो जाता है और उस विवाह से उस के सन्तान होती है तो उन पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा ।

मैं इस पर बाद में आऊंगा । सम्मिलित कुटुम्ब से कोई लगाव न होगा इस का यह अर्थ नहीं कि वह घर, तथा सब सामान से ही बंचित हो जायेगा । उस के बहुत से लाभ भी हैं । यदि भारतीय उतराधिकार अधिनियम स्वीकार कर लिया गया तो पुत्री को भी पूरा भाग मिलेगा । आधा नहीं– जैसा कि आज कल प्रचलित है । मेरे जैसे व्यक्ति के लिये जिस के पुत्रियां ही हैं यह बहुत ही लाभप्रद है ।

अभी तक मैं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के लाभ बता रहा था अब मैं परस्पर सम्मति से तलाक के प्रश्न पर आता हूं । यह सत्य है कि बहुत से देशों में दोनों की सम्मति से भी तलाक की आज्ञा नहीं है । विवाह की पवित्रता के कारण सरकार विवाह बन्धन तोड़ने के पक्ष में नहीं है । परन्तु फिर भी सम्मति से तलाक के पक्ष में कोई नहीं है । भारतवर्ष में स्त्रियों को आर्थिक स्वतन्त्रता न होने के कारण इस का दुर्व्यहार भी हो सकता है । हमारे देश के कुछ भागों में जैसे मलाबार में तथा बर्मा में दोनों की सम्मति से तलाक की प्रथा का प्रचलन है । इन स्थानों पर सम्पत्ति-विषयक ऐसे नियमों का निर्धारण किया गया है कि जिन के द्वारा स्त्री को भी तलाक के पश्चात् किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता । मेरे पास मलाबार से कुछ पत्र आये हैं जिस में वहां की स्त्रियों ने अपनी शेष भारत की विधवाओं से तुलना की है । इस सम्बन्ध में मैं बता देना चाहता हूं कि स्त्री की सम्मति पर ही सब कुछ अवलम्बित नहीं रहेगा । दोनों की सम्मति पर भी तब ही निर्भर है जब कि उन के आपसी सम्बन्ध ऐसे हो जायें कि उन का साथ साथ रहना असंभव हो जाये । यदि इस खंड में कुछ और संशोधन किये जायें जैसे कि आवेदन पत्र एक साथ ही भेजा हो । तथा इस के पश्चात् भी कुछ समय निर्धारित कर दिया जाये तथा इसी प्रकार की कुछ शर्तें रख दी जायें तब यह विधेयक और उपयुक्त हो जायेगा । परन्तु यह विषय सभा पर अवलम्बित है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय मामलों में विवाह के विशेष रूप का उपबन्ध करने वाले तथा उन के और कतिपय अन्य विवाहों के पंजीयन तथा विवाह-विच्छेद का उपवन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : सभा कल ८.१५ म० पू० तक के लिये स्थगित होगई ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, बृहस्पतिवार २ सितम्बर, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—345 LSD—7-1-55—285